Par. S. 17. I. 31. 52
285

अंक १

संख्या ३१

सोमवार,

३० जून, १९५२

1st Lok Sabha
(First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग १९५३—१९९२]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग १९९२—२००२]

(मूल्य ४ आने)

349 P.S.D.

१९५३

लोक सभा

सोमवार, ३० जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

डा० सी० वी० रामा राव (काकीनाडा)

डा० सत्याबान राय (उलूबेरिया)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बीड़ी के कारखाने

*१३१७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में सन् १९५१-५२ में अनुज्ञप्त तथा अननुज्ञप्त बीड़ी कारखानों की संख्या ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि छोटी आयु के बच्चे बीड़ी बनाने के लिये इन कारखानों में लगाये जाते हैं ;

१९५४

(ग) यदि यह तथ्य है, तो इन में सेवायुक्त लड़कों की संख्या और उन की प्रतिशतता; तथा

(घ) क्या सरकारी आधार पर या निजी रूप में गिरेट बनाने की भांति बीड़ी बनाने के लिये कोई मशीन अविष्कृत करने के लिये कुछ प्रयोग किये गये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) सन् १९५१-५२ में अनुज्ञप्ति-प्राप्त बीड़ी कारखानों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। सन् १९५० में फैक्टरी अधिनियम के क्षेत्र में आने वाले बीड़ी कारखानों की संख्या १७०८ थी। अननुज्ञप्त कारखानों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। है।

(ख) फैक्टरी अधिनियम, १९४८ की धारा ६७ के अधीन इस के क्षेत्र में आने वाले कारखानों में १४ वर्ष से कम आयु के बच्चों को सेवायुक्त करना प्रतिसिद्ध है और बाल नियोजन अधिनियम, १९३८ की धारा ३(३) के अनुसार १४ वर्ष की आयु तक न पहुंचने वाला कोई बालक फैक्टरी अधिनियम में न गिने गये किसी कारखाने में, जिन में बीड़ी के कारखाने भी आ जाते हैं, सेवायुक्त नहीं किया जा सकता है और न उस को काम करने दिया जा सकता

है। सन् १९४९ में यह बात सरकार के ध्यान में लाई गयी थी कि बीड़ी बनाने वाले कारखानों जैसे छोटे मोटे कारखानों में विहित आयु से कम आयु के बालक सेवा-युक्त किये जा रहे हैं। भारत सरकार के कहने पर राज्य सरकार ने निरीक्षकों को अधिनियमों के कड़ाई के साथ प्रवर्तित कराने के लिये कठोर आदेश दिये। कुछ राज्य सरकारों ने दोषी मालिकों के विरुद्ध जहां संभव हुआ अभियोग भी चलाये।

(ग) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) सरकार ने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया है। उसे प्राप्त सूचना के अनुसार नासिक के किसी व्यक्ति ने एक मशीन बनाई थी, जिसे उस ने न्यू इंडिया मशीन वर्क्स लिमिटेड, नासिक के हाथ बेच दिया। मशीन को अभी औद्योगीय रूप में अपनाया नहीं गया है। माननीय सदस्य का ध्यान **हिन्दुस्तान टाइम्स**, दिल्ली दिनांक १० जून १९५२ में छपे हुए एक समाचार की ओर आकर्षित किया जाता है, जिस में बनारस के एक नगरपिता श्री कन्हैयालाल गुप्ता द्वारा एक बीड़ी मशीन के आविष्कार किये जाने की बात बताई गई है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या फैक्टरी अधिनियम क्षेत्र में न आने वाले अननुज्ञप्त बीड़ी कारखाने सामाजिक सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में नियंत्रित किये जा सकते हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : उन को कुछ सीमा तक इन निरीक्षकों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है और मुझे ज्ञात नहीं कि क्या उन को सामाजिक सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में नियंत्रित किया जा सकता है। मैं ठीक ठीक समझा नहीं कि माननीय सदस्य का इस से क्या अभिप्राय है।

श्री एस० सी० सामन्त : फैक्टरी अधिनियम के अनुसार बच्चों को दिन में ४ $\frac{1}{2}$ घंटे और दो पारियों में काम पर लगाया जाना चाहिये। मैं जान सकता हूं कि क्या कारखानों में यह बात मानी जा रही है ?

श्री वी० वी० गिरि : जी हां।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या उन बंदरगाहों में बच्चों का काम पर लगाया जाना, जिस के लिये बाल नियोजन अधिनियम १९३८ पारित किया गया है, श्रम मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में आता है ?

श्री वी० वी० गिरि : आता है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार के संकेत पर राज्य सरकारों द्वारा निकाले गये आदेशों का, जिन का माननीय मंत्री ने निर्देश किया था, आजकल पालन किया जा रहा है ?

श्री वी० वी० गिरि : जी हां, उन को कार्यान्वित किया जा रहा है।

श्रीमती ए० काले : मैं जान सकती हूं कि क्या बीड़ी कारखानों में काम पर लगाई जाने वाली स्त्रियों को पुरुषों जितना ही पारिश्रमिक दिया जाता है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे ठीक ज्ञात नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार ने इस स्थिति की छान बीन की है कि बीड़ी कारखानों में चार घंटों से अधिक काम करने के कारण इन छोटे बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है।

श्री वी० वी० गिरि : सरकार छान बीन नहीं की है; मैं समझता हूं कि यह की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

कार्मिक संघ

*१३१८. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार के कर्मचारियों के कितने कार्मिक संघों को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और वह कौन कौन से हैं ;

(ख) भारत सरकार के कर्मचारियों के अन्य विद्यमान कार्मिक संघों और संगठनों के नाम, जिन को मान्यता नहीं दी गई है ;

(ग) सन् १९४७-४८ से १९५१-५२ तक उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों द्वारा कितनी हड़तालों की घोषणा की गई थी; तथा

(घ) यह हड़तालें कैसे तय हुई थीं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) से (घ)। अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४९]**।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण से पता चलता है कि अनेकों आमान्य कार्मिक संघ हैं। मैं जान सकता हूं कि क्या उन्होंने शर्तें पूरी नहीं की हैं या उन के मान्यता प्राप्त न कर सकने के दूसरे कारण भी हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : ऐसा ही होना चाहिये ; या उन्होंने मान्यता के लिये आवेदन नहीं दिया होगा।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या कार्मिक संघ अधिनियम १९३४ का —मुझे वर्ष का निश्चय नहीं—पुनरीक्षण किया गया है या सरकार उस का पुनरीक्षण करने का विचार कर रही है ?

श्री वी० वी० गिरि : पुनरीक्षण का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह तथ्य है कि सरकारी कर्मचारियों के एक संघ को मान्यता देने के लिये एक पूर्व शर्त यह है कि उस के सदस्य एक 'निश्चित वर्ग' के हों, और यदि यह तथ्य है तो वर्तमान सरकार का "निश्चित वर्ग" से क्या अभिप्राय है ?

श्री वी० वी० गिरि : इस पूरे विषय पर अब विचार हो रहा है। हम इस विषय में अतिशीघ्र अपने विचार निश्चयपूर्वक बता सकेंगे।

श्री पुन्नूस : क्या यह तथ्य है कि इन कर्मचारी संघों ने अपनी परेशानियों के निवारण के लिये संसद सदस्यों के पास जाने पर प्रतिबंध या प्रतिषेध लगाया गया है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे इस का कुछ पता नहीं। मेरी अनुमान है कि यह संघ जा कर अपनी परेशानियां बता सकते हैं, व्यक्तिगत कर्मचारी नहीं जा सकते हैं।

काम में लाई हुई कारों का आयात

*१३१९. **डा० राम० सुभग सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या काम में लाई हुई कारों के निजी सामान के रूप में आयात करने सम्बन्धी

नियम दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों तथा सुलभ मुद्रा क्षेत्रों के लिये एक से हैं; तथा

(ख) यदि नहीं हैं, तो उस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) । मई के शुरू तक कारों के निजी सामान के रूप में आयात करने सम्बन्धी स्थिति सरल थी और साधारणतः लोगों को सुलभ मुद्रा क्षेत्रों से सामान की तरह कारों के लाने की अनुमति थी । पर दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों से कारों के लाने के बारे में स्थिति कठिन थी अर्थात् दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों से अधिक दिनों तक ठहरने के लिये आने वालों को यह वचन देना पड़ता था कि वे एक वर्ष तक कारों को बेचेंगे नहीं, और जो व्यक्ति थोड़े समय तक ठहरने के लिये आते थे, उन्हें वचन देना होता था कि वह कारों को वापस ले जायेंगे । मई से दुर्लभ और सुलभ दोनों मुद्रा क्षेत्रों से कारों की आयात सम्बन्धी नीति समान कर दी गई है और दिनांक २९ अप्रैल, १९५२ के प्रेस वक्तव्य की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५०]**

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि डालर तथा सुलभ मुद्रा क्षेत्रों से आयात की गई ऐसी कारों की संख्या जान सकता हूं, जो आने के बाद शीघ्र ही बेच दी गयी थीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि सुलभ तथा दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों से कारों को आयात करने सम्बन्धी नियमों में अन्तर होने का क्या कारण है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान, जैसा मैं ने बताया, अब स्थिति समान कर दी गई है । कोई भी अन्तर नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं जान सकता हूं कि अब तक आयातित कारों की कुल संख्या क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पूर्व सूचना चाहिये ।

चोरबाजारी

*१३२०. **श्री जांगड़े** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार की प्रवर्तन शाखा (पुलिस) कपड़े, इस्पात, सीमेंट आदि की चोर बाज़ारी के ऐसे मामलों में स्वतः प्रारंभिक जांच करने में साधिकार है, जिन में राज्य सरकार जांच करवाने का प्रयत्न नहीं करती है या अपराध पकड़ने में असफल रहती है ?

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को कभी ऐसे मामले पकड़ने का अवसर मिला है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) । प्रवर्तन अधिदेश राज्य सरकारों के अधिकारियों के सहयोग से कार्य करता है और तदनुसार मामलों की पड़ताल होती है और उन पर कार्यवाही की जाती है ।

श्री जांगड़े : क्या सरकार चोर बाज़ारी जैसे समाज विरोधी अपराधों के विषय में पूरी सूचना देने वाले व्यक्तियों को कानूनी संरक्षण देने का विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी । मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं ।

श्री **जांगड़े** : क्या सरकार ऐसा संशोधन करने का विचार कर रही है, जिस से तलाशी

वारंटों (अधिपत्रों) के बिना ही पुलिस अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के मकानों की तलाशी ली जा सके ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे कोई सूचना नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत कुछ कार्य करने के लिये सुझाव सा है ।

श्री वीरस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि चोर बाजारियों को दिये जाने वाले विभिन्न दंड क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें विदित होगा कि विधि में इस का उपबन्ध है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा यह जानने के लिये कि क्या राज्य सरकारों के कुछ मंत्री और बड़े राज्य अधिकारी चोर बाजारियों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं, कोई परताल की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि पुलिस प्रवर्तन शाखा द्वारा पकड़े गये ५०. प्रति शत से अधिक मामलों में इस कारण अभियोग नहीं चलाया जा रहा है कि केन्द्रीय सरकार के नियम उसे वैसा करने की अनुमति नहीं देते हैं ? क्या सरकार नियमों में परिवर्तन करना चाहती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य पर पड़े इस प्रभाव की पुष्टि करता हूं कि केन्द्रीय सरकार के प्रवर्तन अधिदेश द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने रखे गये सारे मामलों का अन्त दोषसिद्धि ही नहीं होता है, पर मुझे यह ज्ञात नहीं कि इस विषय में सरकार द्वारा बनाये गये नियम बाधक हैं ।

कोयला पर्षद्

*१३२१. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोयले के उत्पादन में भारी वृद्धि करने के लिये कोयला काटने की एक यांत्रिक प्रक्रिया अपनायी जाने वाली है ;

(ख) क्या कोयला पर्षद् नाम की एक समिति नियुक्त की गई है ;

(ग) यदि नियुक्त की गई है, तो उस पर्षद् के कर्त्तव्य क्या हैं ;

(घ) अब तक इस ने क्या काम किया है ;

(ङ) क्या कोयले से संशिलेषित तेल निकालने में कुछ प्रगति हुई है; तथा

(च) यदि हुई है, तो क्या यह तेल जनता को उपलब्ध कर दिया गया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) कोयला उद्योग की कार्यकारी टुकड़ी द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि देश के सामान्य औद्योगीकरण के विस्तार के कारण भविष्य में अपेक्षित कोयले के उत्पादन में भारी वृद्धि शीघ्रता पूर्वक और योजनाबद्ध आधार पर करने का एकमात्र वास्तविक साधन यंत्रीकरण है और वह यंत्रीकरण कुछ वर्षों में किया जाना चाहिये, जिस से व्यवस्थापन सरलतापूर्वक हो सके और एक कोयला खान से दूसरी कोयला खान में क्रमशः किया जा सके । यह सिफारिश सरकार द्वारा मान ली गई है और अब यह विचार है कि कोयला पर्षद् यथासमय इस बात की पड़ताल करे कि वर्तमान खानों में बिना भारी बेकारी फैलाये यह यंत्रीकरण किस सीमा तक शुरू किया जा सकता है । यह भी निश्चय किया गया है कि आगे कभी नयी खान खोलने की आज्ञा देते समय यह शर्त लगायी जायेगी कि सभी नये सुधार यथासंभव इस रूप में आयोजित

और कार्यान्वित किये जायें, जिस से कि कोयला काटने और ढोने में मशीनों का यथासम्भव अधिकतम उपयोग हो सके।

(ख) जी हां।

(ग) पर्षद के कर्त्तव्य कोयला खानों में सुरक्षा की समस्याओं को निबटाना, कोयले का सुरक्षण करना और अन्य तत्संबन्धी तथा आनुषंगिक विषय हैं।

(घ) यह पर्षद् सुरक्षितता के लिये तहकीकात के विषयों में भूतपूर्व कोयला खान तहाई पर्षद् का कार्य चालू रख रहा है। कोयले के बचाव तथा कोयला खानों में सुरक्षितता बनाये रखने के लिये किये जाने वाले उपायों के विषय में यह कोयला खान (संरक्षण एवं सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ के अधीन आवश्यक नियमों के प्रारूपण में लगा हुआ है। धातुकार्मिक कोयला पैदा करने वाली कोयला खानों की कार्यदशाओं की पड़ताल करने तथा प्रत्येक कोयला खान के विषय में निश्चित किये जाने योग्य निकास के अभ्यंश के बारे में सिफारिश करने के लियें इस ने एक अनौपचारिक प्रविधिक समिति नियुक्त की है। इस ने एक स्तर पर धातुकार्मिक कोयले के उत्पादन पर रोक लगाने की संभावना की पड़ताल भी की है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री एन० पी० सिन्हा : माननीय मंत्री द्वारा भाग (क) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर के विषय में मैं पूछ सकता हूं कि क्या इस रीति ने रोजगारी पर प्रभाव डाला है ?

श्री के० सी० रेडडी : इस का उत्तर भी मेरे द्वारा पढ़े गये उत्तर में समाविष्ट है। यदि संभावी बेकारी पर ध्यान दिये बिना शीघ्र ही यंत्रीकरण कर दिया गया, तो निश्चय ही बेकारी फैल जायेगी। इसी कारण पर्षद् ने यह सिफारिश की है कि जहां तक चालू खानों का सम्बन्ध है, बेकारी रोकने के लिये हमें सतर्कतापूर्वक कार्य करना होगा।

श्री एन० पी० सिन्हा : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि बचाव के उपायों के कड़े प्रवर्तन पर योजना आयोग द्वारा किये गये आग्रह की दृष्टि में क्या कुछ कोयला खाने बंद हो गई हैं।

श्री के० सी० रेड्डी : जी नहीं श्रीमान्। मुझे ज्ञात नहीं।

श्री रघवय्या : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या कोयला खानों में कोयला काटने में शुरू हुए यंत्रीकरण की दृष्टि में कुछ छंटनी या वेतनदर में कटौती हुई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी नहीं श्रीमान्, बहुत अधिक नहीं।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या यह यंत्रीकरण कोयला उठाने की लागत भी कम कर देगा, या उत्पादन ही बढ़ायेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : दोनों।

श्री श्यामनन्दन सहाय : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इस तथ्य की दृष्टि में कि कोयला खानों से कोयला उठाने के लिये काफ़ी संख्या में डब्बे नहीं मिले हैं जब तक उसके लिये डब्बे न मिलें, कोयले का उत्पादन बढ़ा देने से क्या होगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस से एक बिलकुल नया प्रश्न उठ खड़ा होता है।

श्री पुन्नूस : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इस कोयला पर्षद् में प्रतिनिधित्व पाने वाले स्वार्थ कौन कौन हैं और क्या संगठित

श्रमिकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : पर्षद में यह व्यक्ति हैं : श्री एल० एस० कोरबेट, कोयला, आयुक्त, अध्यक्ष श्री बाखले, सदस्य श्री गुहा, प्रमुख खान इंजीनियर, सदस्य रेलवे पर्षद्—कोयला उप-आयुक्त, उत्पादन तथा श्री आई० एस० मलिक—कोयला उप-आयुक्त वितरण। कोयला पर्षद् में श्रमिकों के कोई प्रतिनिधि नहीं है ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार की नीति इस पर्षद् में संगठित श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देनें पर विचार करने की है ?

श्री के०सी०रेड्डी : श्रीमान्, मेरे विचार से यह पर्षद् अधिनियम के निबंधनों के अनुसार बनाया गया है। अस्तु, मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा ।

श्री के० के० बसु० : क्या मैं सरकारी कोयला खानों में हुई यंत्रीकरण की प्रगति जान सकता हूं ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

अभ्रक तथा चमड़े का निर्यात

*१३२२. **श्री एस० बी० रामस्वामी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत से सन् १९५१-५२ में निर्यात किये गये अभ्रक और चमड़े का मूल्य क्या है ?

(ख) कौन देश उन को हमारे यहां से मंगाते हैं । और उन से क्या पदार्थ निर्मित होते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) भारत से सन् १९५१-५२ में निर्यातित अभ्रक और चमड़े का मूल्य क्रमशः १३.२१ और ११.३० लाख रुपये था ।

(ख) अभ्रक के प्रमुख आयातक ईंगलिस्तान, संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान और आस्ट्रेलिया हैं और चमड़े के संयुक्त राज्य अमरीका, इंगलिस्तान, सोवियत रूस, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटायना और आस्ट्रेलिया हैं। अभ्रक मुख्यतः विद्युत उद्योगों में और चमड़ा ग्रामोफोन के रिकार्ड, विद्युत निरोधी सामानों, वार्निशों और चिपचिपे पदार्थों, मुहर लगाने वाली बत्तियों, सान रखने के चाकों, आदि में काम आता है ।

श्री एस० बी० रामस्वामी : इन कच्चे द्रव्यों से बने पदार्थों के आयात का मूल्य क्या है ?

श्री करमरकर : माननीय सदस्य इस के लिये एक अलग प्रश्न रखें ।

श्री एस० बी० रामस्वामी : क्या बाहर से आयात होने वाले इन पदार्थों में से कोई यहां हमारे देश में बनाया जाता है ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्वसूचना चाहिये। ग्रामोफोन रिकार्ड यहां बनते हैं ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या यह तथ्य है कि चमड़े और अभ्रक का निर्यात क्रमशः कम होता जा रहा है और विदेशी लोग उन के स्थान पर संश्लेषित उत्पादों के बनाने का प्रबन्ध कर रहे हैं ।

श्री करमरकर : श्रीमान, हमारे आंकड़े बताते हैं कि निर्यात, क्रमशः बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिये जहां तक अभ्रक का सम्बन्ध है, सन् १९४९-५० में यह लगभग ७ लाख रुपये था और अब यह १३.२० लाख रुपये है; और चमड़े में भी हमारा निर्यात ३० लाख रुपये था और अब यह लगभग ९१ लाख रुपये हैं ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : श्रीमान्, क्या यह कीमत बढ़ जाने के कारण है या अधिक मात्रा के निर्यात होने के कारण ?

श्री करमरकर : यह कीमत और मात्रा दोनों के बढ़ जाने के कारण है ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं अभ्रक और चमड़े का मुख्यतः उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम जान सकता हूं ?

श्री करमरकर: मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

चीन को भेजा गया भारतीय सांसकृतिक शिष्ठमंडल

*१३२६. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मई १९५२ में चीन को भेजे गये भारतीय सांस्कृतिक शिष्ठ मंडल पर भारत सरकार को कितने रुपये व्यय करने पड़े थे ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : शिष्ठ मंडल के लिये वहां पर हुए व्यय के विवरण तथा दूसरे बिल पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास तथा शंघाई स्थित भारतीय महावाणिज्य दूत से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इस लिये ठीक राशि बता सकना संभव नहीं है। फिर भी कुल व्यय १ १/४ लाख रुपये से कम होने की आशा है ।

श्री के० जी० देशमुख : मैं जान सकता हूं कि किये गये व्यय के अनुपात में मिला हुआ प्रतिदान कितना है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान्, यदि मैं कह सकूं तो यह एक अनोखा प्रश्न है, पर मैं यह कहूंगा कि उन के साथ अत्यन्त सौजन्य और सौहार्दपूर्वक बर्ताव किया गया था ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस शिष्ठ मंडल ने भारत सरकार के समक्ष कोई वृतान्त रखा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : वहां जाने वाले सब शिष्ट मंडलों को कुछ वृत्तान्त सरकार के समक्ष रखना पड़ता है। परन्तु साधारणतः यह वृतान्त प्रकाशित नहीं होते हैं ।

श्री पुन्नूस : क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि विदेशी प्रेस के एक भाग ने यह राय प्रकट की है कि प्रतिनिधि मंडल के नेता द्वारा कुछ ऐसी बात कही गई है, जो उन के द्वारा यहां पर व्यक्त किये गये विचारों के विरुद्ध है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू: मुझे ज्ञात नहीं कि माननीय सदस्य किस विशेष बात का निर्देश कर रहे हैं। पर शायद मैं सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित कर सकता हूं कि उस विषय में प्रेस में निकले कुछ वक्तव्यों का शिष्ठ मंडल के नेता द्वारा खंडन किया गया था ।

जुट का मूल्य

*१३२७. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मार्च, १९५१ में नियंत्रण उठने के पहले प्रति मन जूट का मूल्य;

(ख) नियंत्रण उठाने के तत्काल पश्चात् के मूल्य; तथा

(ग) आज कल का मूल्य ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कलकत्ता में मिलों में निःशुल्क पहुंचने पर निम्नतर प्रकार के जूट का मूल्य ३५ रुपये प्रति मन था ।

(ख) १२ मार्च, १९५१ को ६५ रुपये प्रति मन ।

(ग) २६ जून १९५२ को आसाम में निम्नतम प्रकार के जूट का दाम २७ रुपये प्रति मन ।

श्री एम० इस्लामुद्दीन : क्या मैं मूल्य घटने का कारण जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बने हुए माल की मांग की दुनिया के बाजारों में कमी होना और शायद बाजार में कच्चे माल का आधिक्य होना ।

श्री एम० इस्लामुद्दीन : मैं जान सकता हूं कि क्या जूट के मूल्य में कमी ने किसानों पर प्रभाव डाला है और यदि डाला है तो किस सीमा तक ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह सच है कि मूल्य में कमी होने से किसानों पर प्रभाव पड़ता है, और हमें किसानों से शिकायतें मिली हैं और ऐसी शिकायतों की चर्चा इस सदन में भी हुई है । पर मैं ठीक ठीक यह नहीं बता सकता कि इस ने किस सीमा तक किसानों पर प्रभाव डाला है ?

श्री एम० इस्लामुद्दीन : मैं जान सकता हूं कि क्या वर्तमान मूल्य किसानों के लिये कोई लाभ की गुंजायश छोड़ता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि हम ने उस प्रश्न की कोई जांच नहीं की है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या माननीय मंत्री हमें अनुमानतः कुछ बता सकेंगे कि पाकिस्तान सरकार द्वारा निम्नतम प्रकार के जूट के लिये निश्चित किये गये मूल्य वर्तमान मूल्य निश्चयन की तुलना में कैसे हैं, और क्या भारतीय जूट मिलों को पाकिस्तानी जूट लेने में बचत होगी ? पाकिस्तानी जूट का क्या हुआ, क्या शुल्क में कुछ कमी हुई ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इससे परिस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह कह सकना हमारे लिये अभी समय से बहुत पूर्व की बात है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह तथ्य है कि पाकिस्तान सरकार ने विदेशी आयातकों की तुलना में भारतीय आयातकों के लिये कुछ भेदभाव पूर्ण दरें रखी हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास कोई सूचना नहीं ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि पाकिस्तान से भारी पैमाने पर जूट का चोरी छुपे भारत में आना भारत में मूल्य घटने का एक कारण है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य से यह जानकारी प्राप्त किये लेता हूं ।

श्रीसारंगधर दास : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जूट के बड़े बड़े स्टाक पड़े हैं और सरकार उन व्यक्तियों को, जिन से वह अधिक जूट पैदा कराना चाहती है, मूल्यों में कुछ सहारा दे सकती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय सरकार जूट पर कुछ छूट देने पर विचार नहीं कर रही है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं भारत से निर्यातित जूट के और उस के अंतर्देशीय मूल्यों के बीच का अन्तर जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भारत से कच्चे जूट का निर्यात नहीं होता है, और इस लिये तुलना नहीं हो सकती ।

प्रशिक्षण केन्द्र (सामूहिक योजनायें)

* १३२८. **श्री मादिया गौडा** : क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सामूहिक विकास योजनाओं के प्रशासनिक पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण केन्द्र कब और कहां खोले जायेंगे ; तथा

(ख) क्या प्रशिक्षण की कोई योजना तैयार की गई है और व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) योजना प्रशासनिक अफसरों का स्थिति बोधन तथा प्रशिक्षण का चार सप्ताह का पाठ्य क्रम नीलोखेड़ी में २१ जुलाई, १९५२ से आरम्भ हो रहा है ।

(ख) एक कार्यक्रम बनाया गया है और लोग चुने जा रहे हैं ।

श्री मादिया गौडा : मैं जान सकता हूं कि वह लोग, जो इन केन्द्रों में प्रशिक्षण देंगे, कैसे चुने जा रहे हैं ?

श्री नन्दा : वह अधिकांशतः सरकारी अफसरों में से चुने जा रहे हैं ।

श्री मादिया गौडा : मैं जान सकता कि चुने गये प्रशिक्षणार्थी राज्य सेवाओं के कर्मचारी होंगे या प्रशिक्षण के लिये नये व्यक्ति चुने जायेंगे ?

श्री नन्दा : श्रीमान्, दोनों ही ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या मैं जान सकता हूं कि नीलोखेड़ी के अतिरिक्त और दूसरे कौन कौन से प्रशिक्षण केन्द्रों में जुलाई मास से काम शुरू होगा ?

श्री नन्दा : हमारे ध्यान में बस नीलोखेड़ी ही एकमात्र केन्द्र है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या इन अफसरों के चुनने के लिये कोई निश्चित योग्यता रखी गई है ?

श्री नन्दा : कुछ योग्यतायें रखी गई हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : वे क्या हैं ?

श्री नन्दा : योजना अफसर के विषय में वह योग्यतायें सामूहिक योजना प्रशासन की प्रारूप रूपरेखा में ही दी गई हैं ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि कि क्या इन प्रशिक्षणार्थियों के चुनाव में कुछ राजनीतिक भेदभाव भी रहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । हम अगला प्रश्न लेंगे ।

सामुहिक योजनायें

* १३२९. **श्री मादिया गौडा** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) किन किन राज्यों ने राज्य विकास समितियां और ज़िला विकास समितियां बना ली हैं और ज़िला विकास अफसर नियुक्त कर दिये हैं, जैसा कि सामूहिक विकास योजनाओं के लिये अपेक्षित है, तथा

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने ऐसी किसी परियोजना की रूपरेखा और प्राक्कलन भेजे हैं, जो उस राज्य में कार्यान्वित होनी है ?

योजना तथा नदि घाटी परियोजना मंत्री (श्री **नन्दा**) : (क) आसाम, बिहार, बम्बई, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, राजस्थान और सौराष्ट्र सरकारों ने राज्य विकास समितियां बना ली हैं बिहार, मद्रास और मध्य भारत ने ज़िला विकास समितियां भी बनाई हैं और ज़िला विकास अफसर नियुक्त किये हैं

(ख) जी नहीं, यह ३१ जुलाई, १९५२ तक आनी हैं

श्री मादिया गौडा : मैं जान सकता हूं कि यह केन्द्र क्या विभिन्न राज्यों में एक ही समय शुरू होंगे या अलग अलग समयों पर ?

श्री नन्दा : साधारणतः एक ही समय ।

डा० पी० एस० देशमुख : इन समितियों का सभापति कौन है क्या इस का कुछ निर्णय

किया गया है ? क्या वह सरकारी व्यक्ति होंगे या असरकारी ?

श्री नन्दा : विकास समितियों के विषय में ज़िलाधीश या कलक्टर सभापति होगा ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या इन परियोजनाओं का संचालन करने के लिये एक केन्द्रीय समिति भी है ?

श्री नन्दा : जी हां, श्रीमान्, एक केन्द्रीय समिति है ।

श्री एच० एस० मुखर्जी : क्या केन्द्रीय समिति में अमरीकी प्रशासक के विशेष प्रतिष्ठा सम्बन्धी कुछ उपबंध हैं ।

श्री नन्दा : जी नहीं, श्रीमान् ।

श्री कर्णी सिंहजी : राजस्थान में काम कब शुरू होने की संभावना है ?

श्री नन्दा : सभी राज्यों के लिये कार्यक्रम एक ही है ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या किसी योग्य असरकारी व्यक्ति के किसी समिति के सभापति होने की कुछ संभावना है ?

श्री नन्दा : समय समय पर पूरे संगठन की समीक्षा हो सकेगी ।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को त्रावनकोर-कोचीन से शेरथलाई ताल्लुका में एक सामूहिक योजना केन्द्र खोलने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

श्री नन्दा : प्रत्येक सरकार ने अपनी सिफारिशें भेजी हैं, और पूर्ववर्तिता के क्रम के आधार पर प्रत्येक सामूहिक योजना केन्द्र का ठीक ठीक स्थान राज्य समितियों से परामर्श कर के निश्चित किया गया था ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : संसद् सदस्य सरकारी व्यक्ति माने जाते हैं या गैर सरकारी ?

श्री नन्दा : वह परामर्शदाता के रूप में रखे जा रहे हैं ।

ट्रैक्टर (निर्माण)

*१३३०. **श्री बी० एन० राय** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये कोई कारखाना है; तथा

(ख) यदि नहीं है, तो क्या निकट भविष्य में खोलने का कुछ विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) तीन सार्थ भारत में ट्रैक्टर निर्माण करने का विचार कर रहे हैं उन में से एक ने पहले ही आयातित पुरज़ों का जोड़ना शुरू कर दिया है ।

श्री बी० एन० राय : क्या मैं अब तक बनाये गये ट्रैक्टरों की संख्या जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आयातित पुरज़ों को जोड़ कर ट्रैक्टर बनाने वाला सार्थ मैसर्स फर्गुसन्स हैं। उस की सामर्थ्य लगभग ४२०० एकड़ प्रतिवर्ष है, और अभी तक उस का मध्ययान उत्पादन १०-१२ प्रति दिन रहा है पर मुझे ज्ञात हुआ है कि स्टाक इकट्ठा हो जाने से उस ने उत्पादन धीमा कर दिया है ।

श्री बी० एन० राय : मैं जान सकता हूं कि क्या इस उद्योग में विनियोजित पूंजी भारतीय ही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा।

सेठ गोबिन्द दास : क्या यह कारखाने पुरज़ों का आयात ही करते हैं या वह कुछ पुरज़े बनाते भी हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णामचारी : उन के निर्माण का एक कार्यक्रम

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि यहां जोड़े गये और आयातित ट्रैक्टरों का तुलनात्मक मूल्य क्या है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ट्रैक्टरों के विभिन्न अश्व-शक्ति वाले होने के कारण कोई तुलना करना संभव नहीं है। मैं समझता हूं कि भारत में जोड़े गये फर्गुसन ट्रैक्टर लग भग ७००० रुपये को बिकते हैं पर बड़े ट्रैक्टरों का दाम अधिक है ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या उड़ीसा में ट्रैक्टर बनाने की कोई परियोजना है और क्या सरकार वहा एक कारखाना शुरू करना चाहती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने सुना है कि उड़ीसा में ट्रैक्टर बनाने की एक योजना है ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या सरकार द्वारा एक ही प्रकार के ट्रैक्टरों के मूल्यों की तुलना करने का कोई प्रयत्न किया गया है ? छोटे बड़े ट्रैक्टर तो होते हैं, पर क्या एक से ट्रैक्टरों के मूल्यों की तुलना करने का कुछ प्रयत्न किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य मुझ से ठीक ठीक उत्तर चाहते हैं, पर मैं चाहूंगा कि वह मुझ पर भी वही कृपा करें और ठीक ठीक बता दें कि कौन सा ट्रैक्टर उन के ध्यान में है, तो मैं उत्तर दे सकता हूं ।

नागपुर प्रसारण केंद्र

*१३३१. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नागपुर प्रसारण केन्द्र को एक आत्म-निर्भर केन्द्र बनाने की कोई योजना है; तथा

(ख) यदि है तो इस के पूरे करने की समय मर्यादा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री केसकर) : (क) जी हां । एक १० किलोवाट के मध्यम तरंग (मीडियम वेव) वाले पारेषक (ट्रांसमीटर) का संस्थापन पहले ही हो रहा है ।

(ख) लगभग ६ महीने ।

श्री के० जी० देशमुख : नागपुर के वर्तमान ट्रांसमीटर की शक्ति कितनी है ?

डा० केसकर : वर्तमान ट्रांसमीटर लगभग एक किलोवाट का है ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या यह तथ्य है कि इस नये यंत्रका आयात बहुत पहले किया गया था । और यह एक वर्ष से अधिक समय तक बंबई में पड़ा रहा और अब तक संस्थापित नहीं किया जा सका ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य संभवतः १० किलोवाट के ट्रांसमीटर का निर्देश कर रहे हैं ।

डा० केसकर : जी नहीं, शायद आयात किये गये अन्य ट्रांसमीटरों का निर्देश कर रहे हैं, जो कुछ समय से पड़े हैं और हम उन्हें काम में नहीं ला सके हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या माननीय मंत्री हमें बतायेंगे कि इस ट्रांसमीटर के संस्थापन में कितना समय लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने कहा छः महीने ।

डा० केसकर : इस वर्ष के अन्त तक यह तैयार हो जायेगा ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में कोई अधूरा आकाशवाणी केन्द्र (रेडियो स्टेशन) है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अधिक विस्तृत प्रश्न है । प्रस्तुत प्रश्न नागपुर के बारे में हीं है ।

निष्क्रान्त सम्पत्ति

*१३३२. **श्री एम० एल० अग्रवल**: (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री ४ जून, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५०३ के भाग (क) और (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे कि निष्क्रमणार्थियों की अचल सम्पत्ति के अतिरिक्त दूसरे दावों के निपटारे के बारे में अब तक सरकार द्वारा कोई निर्णय क्यों नहीं किया गया है ?

(ख) निर्णय कब होने की सम्भावना है ?

(ग) क्या सरकार द्वारा संरक्षक (कस्टोडियन) को उपरिनिर्दिष्ट निर्णय न होने तक उस के द्वारा पंजीकृत दावों का भुगतान रोकने का निदेश दिया गया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) क्योंकि विषय अभी विचाराधीन है ।

(ख) जैसे ही विषय पर पूरा विचार हो जाये । मैं निश्चित तिथि नहीं बता सकता ।

(ग) जी हां ।

दुकान वाले (व्यस्थापित व्यक्ति)

*१३३४. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्वींसवे नई दिल्ली के विस्थापित स्टाल वालों को कनाट सरकस टैलीफोन एक्सचैंज के पीछे नये बने बाजार में ले जाने के प्रस्ताव के बाद में वास्तविक स्थिति ;

(ख) क्या नया बाज़ार बन चुका है ;

(ग) उन को हटाने के कारण ;

(घ) किस के कहने पर यह निर्णय किया गया है ; तथा

(ङ) उन को उसी स्थान पर रहने देने में क्या कठिनाइयां हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) से । (ङ) कनाट सरकस टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे नया बाजार बनाने का कोई निर्णय नहीं किया गया है । यह बता दिया जाये कि क्वींसवे के वर्तमान स्टाल और वैसे ही दूसरे सड़कों वाले स्टाल पूर्णतः अस्थायी रूप से बनाये गये हैं । उन को स्थायी करने का विचार कभी नहीं था । क्वींसवे के स्टाल वाले उन के लिये स्थायी दुकानें बन जाने पर हटा दिये जायेंगे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि शुरु से ही उन के लिये स्थायीं स्टाल बनाने के लिये यह कार्यवाही क्यों नहीं की गई थी ?

श्री ए० पीन जैन : क्योंकि उस समय बहुत जल्दी थी, और यह सोचा गया था कि उन की सहायता करने के लिये सड़क के किनारे अस्थायी स्टाल तुरन्त बना दिये जायें और बाद में स्थायी दूकानें बन जाने पर उन को हटा दिया जाय ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं ज़ान सकता हूं कि हाल ही में हड़ताल करने वाले स्टाल वालों की मांगें क्या हैं ?

श्री ए० पी० जैन : वह स्थायी रूप से जमना चाहते हैं । वह चाहते हैं कि सड़कों के किनारे ही स्थायी दुकानें बना दी जायें ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि स्टाल वालों ने इस स्थान पर अपना व्यापार जमा लिया है, और यदि उन को हटाया गया तो उन को भारी हानि होगी ?

श्री ए० पी० जैन : मुझे संदेह है कि इस से उन्हें भारी हानि होगी। वह वहां पर अस्थायी रूप से हैं और स्थायी रूप से नहीं रह सकते। जब उन को अच्छी भली और पक्की जगह मिलेगी, तो उन को लाभ ही होगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : वह नई स्टालें कहां हैं, जहां उन को ले जाया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : मैं ने बताया कि अभी हम ने कोई निर्णय नहीं किया है।

श्री रघवैय्या : मैं जान सकता हूं कि क्या उन स्टाल वालों को, जिन के स्टाल इरविन रोड पर अग्नि कांड में जल कर नष्ट हो गये थे, कुछ हानिपूर्ति भी दी जायेगी ?

श्री ए० पी० जैन : हम ने कोई स्टाल नहीं नष्ट किये।

श्री बैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि इन शरणार्थियों को क्वींसवे, पंचकुइयां रोड और इरविन रोड के ये स्टाल किन शर्तों पर दिये गये थे ?

श्री ए० पी० जैन : वह नई दिल्ली नगर-पालिका द्वारा दिये गये थे और उन लोगों ने कुछ करार किया था।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन स्टाल वालों को कब हटाया जायेगा ?

श्री ए० पी० जैन : यह स्टाल वालों पर निर्भर होगा। यदि वह इसी प्रकार परेशान करते रहेंगे, जैसा वे करते रहे हैं, तो मैं इस परेशानी का अन्त शीघ्र ही कर दूंगा। दूसरी ओर यदि वे शान्तिपूर्वक रहकर अपनी आजीविका कमाते और व्यापार चलाते रहेंगे, तो मैं उन को देर तक रहने दूंगा।

निवास स्थान

*१३३५. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आंक समिति की सिफारिशों के अनुसार (देखिये उपसंख्या १५ और १६ आंक समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन) सरकार देश में एक या अनेक स्थानों पर अतिरिक्त निर्माण के सम्बन्ध में किसी निश्चय पर पहुंची है और उस के वित्तीय आलेपन क्या हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट आंक समिति के प्रतिवेदन की क्रम संख्यायें १५ और १६ एस्टेट आफिस के कुछ संस्थापन विषयों से संबंध रखती हैं। शायद माननीय सदस्य के ध्यान में क्रम संख्या १२ है, जो कार्यालयों के दिल्ली से बाहर ले जाये जाने और अतिरिक्त निवास स्थानों के निर्माण से सम्बन्ध रखती है और जिस का विवरण के १८ सितम्बर १९५१ को सदन पटल पर रखा गया था। यदि यह बात है, तो स्थिति यह है कि मंत्रिमंडल-समिति आजकल यह विचार कर रही है कि दिल्ली से बाहर कौन से स्थान उपयुक्त हैं और कौन से कार्यालय बाहर भेजे जा सकते हैं। इसी बीच दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई में कम से कम आवश्यक होने वाले अतिरिक्त कार्यालय अधिवास के प्राक्कलन के आधार पर निर्माण कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : आंक समिति की पृष्ठ ८ पर की गई सिफारिशों के बारे में दिल्ली में अधिक कार्यालय अधिवास बनाने के विषय में सरकार का क्या निर्णय है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस वर्ष और अगले वर्ष में लग भग ३ लाख वर्ग फीट क्षेत्र वाले एक कार्यालय भवन के बनाने का विचार पहले से ही है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने एकीकरण के फलस्वरूप हमारे पास आने वाले विभिन्न राज्यों के

विभिन्न प्रासादों और अन्य अधिवासों को ध्यान में रखा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस प्रश्न का उत्तर मैं नें यह कह कर देने का प्रयत्न किया है कि स्थिति का परीक्षण किया जा रहा है। कठिनाई यह है कि जहां प्रासाद उपलब्ध हैं, वहां निवास स्थान उपलब्ध नहीं है यह इस का उलटा है। अतः जब यातक एक विशिष्ट स्थान पर कार्यालय और निवास दोनों के लिये ही स्थान न मिले, वह स्थान कुछ कार्यालयों के दिल्ली से बाहर ले जाने के उपयुक्त नहीं समझा जा सकता।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या इन प्रासादों और भवनों के निकट बनाये जाने वाले निवास स्थान सस्ते बनेंगे या दिल्ली में बनाये जाने वाले ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह कल्पित प्रश्न है और यह वांछनीय नहीं है कि सारे देश में बिखरे हुए एक दूसरे से दूर दूर स्थानों पर भारी धन राशि व्यय की जाये। यदि माननीय सदस्य के ध्यान में कोई विशेष स्थान है, तो मैं उस का परीक्षण करा लूंगा।

कोसी परियोजना (रेलवे लाइन)

*१३३६. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कोसी परियोजना के लिये बनने वाली रेल लाइन की मीलों में लम्बाई और अनुमानित लागत ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि उक्त रेल लाइन को नेपाल सरकार के महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्रों और प्रशासन के प्रधान केन्द्रों से हो कर निकालने का विचार है ; तथा

(ग) यदि सच है तो वह स्थान क्या हैं और लागत का कितना प्रतिशत भाग नेपाल सरकार द्वारा सहा जायेगा ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग)। परीयोजना का प्रतिवेदन अभी तैयार हो रहा है और लाइन का अन्तिम मार्ग परियोजना प्रतिवेदन के तैयार होने पर यथाशीघ्र निश्चित किया जायेगा।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि प्रतिवेदन को कब तक अन्तिम रूप दिया जा सकेगा ?

श्री नन्दा : दो तीन महीनों से अधिक नहीं लगेंगे, पर मुझे ठीक ठीक पता नहीं।

लोहा, इस्पात तथा सीमेंट

*१३३७. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत लोहा, इस्पात तथा सीमेंट के वर्तमान संग्रह ;

(ख) क्या वह देश की कृषि सम्बन्धी तथा दूसरी विद्यमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त है ; तथा

(ग) यदि कमी है तो कितनी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ग)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५१**]

(ख) जी नहीं श्रीमान्।

सरकारी गृह निर्माण फ़ैक्ट्री

*१३३८. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकारी गृह निर्माण फ़ैक्ट्री नई दिल्ली के निर्माण की मूल लागत ;

(ख) इस के उत्पादन का वार्षिक लक्ष बिन्दु ;

(ग) इस के संधारण का वार्षिक परिव्यय ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान तारांकित प्रश्न संख्या ४६३ के उत्तर में सदन पटल पर रखे गये सरकारी गृह निर्माण फ़ैक्ट्री के कार्य के विवरण की ओर आकर्षित किया जाता है।

(ख) फ़ैक्ट्री आज कल कुछ उत्पादन नहीं कर रही है और इस के उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य बिन्दु अभी निश्चित नहीं किया गया है।

(ग) सरकार द्वारा वहन किया गया साधारण परिव्यय जनवरी १९५१ में फ़ैक्ट्री के काम बन्द कर देने से ले कर अप्रैल, १९५२ तक ४,७३,००० रुपये प्रति वर्ष रहा है। यदि सरकार और एक भारतीय-स्वीडिश फ़र्म की साझेदारी में बनने वाली कम्पनी की योजना सफ़ल हो गई, तो इस फ़ैक्ट्री के कथित कम्पनी को पट्टे पर दिये जाने के बाद भविष्य में सरकार संधारण सम्बन्धी परिव्यय करना बन्द कर देगी।

श्री सिंहासन सिंह : सन् १९५१ और १९५२ में फ़ैक्ट्री में बने मकानों की संख्या क्या है ?

श्री के० सी० रेड्डी : अपने उत्तर में मैं पहले ही कह चुका हूं कि फ़ैक्ट्री ने सन् १९५१ में काम बन्द कर दिया था, तो मकान कैसे बन सकते थे ?

श्री सिंहासन सिंह : क्या मैं उत्पादन बन्द कर देने का कारण जान सकता हूं ?

श्री के० सी० रेड्डी : कई कारणों से हमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के साथ किया गया करार समाप्त करना पड़ा और करार समाप्त होने के समय से फ़ैक्ट्री ने उत्पादन कार्य करना बन्द कर दिया। अब हम दूसरी फ़र्म से बातचीत चला रहे हैं और उस के साथ करार होते ही उत्पादन फिर शुरू हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि स्थाई संसद् के समय इस विषय पर बहुत से प्रश्न किये गये थे, और पिछली कार्यवाही का निर्देश कर के पूरा इतिहास जान लेना अब फिर वही प्रश्न करने की अपेक्षा अच्छा रहेगा।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उन दो समितियों के प्रतिवेदन जिन्होंने पूर्वनिर्मित गृह फ़ैक्ट्री की पड़ताल की थी सदन पटल पर रखने जा रही है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं अभी कुछ वचन नहीं दे सकता। निकट भविष्य में कुछ बातें होने वाली हैं, जिन की दृष्टि में प्रतिवेदनों का अभी सदन पटल पर रखा जाना वांछनीय नहीं होगा।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि इस गृह निर्माण फ़ैक्ट्री के कारण राष्ट्रीय राजकोष को कुल कितनी हानि हुई ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह प्रश्न कई बार रखा जा चुका है और इस का उत्तर दिया जा चुका है।

डा० जैयसूर्य : क्या स्वीडिश फ़र्म ने कोई प्रत्याभूति (गारंटी) दी है कि वह अंग्रेजी फ़र्म की भांति असफ़ल नहीं रहेंगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : करार को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

श्री नम्बियार : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये इस उत्तर की दृष्टि में कि संधारण पर प्रति वर्ष चार लाख रुपये व्यय होते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इसे तत्काल उत्पादन करने योग्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही करेगी जिस से कि यह अनावश्यक अपव्यय समाप्त हो जाये।

श्री के० सी रेड्डी : हम यथासंभव सभी पग उठा रहे हैं और मुझे भरोसा है कि भारतीयस्वीडिश फ़र्म का करार पूरा होने में कुछ ही दिन लगेंगे ।

कागज़

*१३३९. **श्री. एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में उत्पादित कागज़ की मात्रा और सन् १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ में बाहर से आयातित मात्रा ; तथा

(ख) भारत में कागज़ बनाने वाले कारखानों की संख्या और वह कहां पर हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५२**] सन् १९५१-५२ में उत्पादन १३५,०९१ टन था और आयात २७,०४७ टन था ।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान १९ मई, १९५२ के श्री एस० सी० सामन्त के अतारांकित प्रश्न संख्या ५ के भाग (क) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

श्री एम० इस्लामुद्दीन : क्या मैं देश की कुल मांग जान सकता हूं ?

श्री करमरकर : सब प्रकार के कागज़ की कुल प्राक्कलित आवश्यकता आजकल १९६,००० टन है ।

श्री एम० इस्लामुद्दीन : क्या मैं अपनी कमी की प्रतिशतता जान सकता हूं ?

श्री करमरकर : हमारा उत्पादन १३५,००० टन है और आवश्यकता १९६,००० टन—तो प्रतिशतता निकाली जा सकती है।

श्री एम० इस्लामुद्दीन : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस विषय में देश का आत्मनिर्भर बनाने के लिये कुछ कार्यवाही कर रही है ?

श्री करमरकर : जी हां श्रीमान्, सरकार देश को यथाशीघ्र आत्मनिर्भर बना देने के लिये सभी संभव कार्यवाही कर रही है और यह आशा है कि सन् १९५७ तक हम बहुत कुछ आत्मनिर्भर हो जायेंगे ।

सेठ गोविन्द दास : अभी तक कागज़ बनाने के जितने कारखाने चल रहे हैं, उनके सिवा कितने कारख़ाने और हैं जो कि अभी बन रहे हैं और उन का काम कब से शुरु होने की आशा है ?

श्री करमरकर : मैं जानता हूं कि एडीशनल यूनिट (अतिरिक्त एकक) इस वर्ष में नया पैदा होने वाला हैं और जो यूनिट्स (एकक) इस समय हैं, उन का काम बढ़ने वाला है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि भारतीय समाचारपत्रों के लिये अपेक्षित विशेष कागज़ देने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री करमरकर : मेरे विचार से पहले एक प्रश्न पर मध्य प्रदेश की अख़बारी कागज़ की एक मिल के बारे में उत्तर दिया गया था, जिस की परिसामर्थ्य हमारी ६४,००० टन की आवश्यकता के सामने ३०,००० टन होगी ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि आंध्र में वुयूर में अख़बारी कागज़ बनाने वाले कारख़ाने का अंतर्बीज विद्यमान है और मैं जान सकता हूं कि क्या उस कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा सरकार से कोई सहायक अनुदान मांगा गया है ?

श्री करमरकर : मैं खोज कर बता सकूंगा ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या बांस और सबाई घास जैसे कच्चे माल देश की आवश्यकता पूरी करने के लिये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, जिससे कारखाने देश की आवश्यकता के लिये पर्याप्त मात्रा में कागज़ बना सकें ।

श्री करमरकर : जी हां श्रीमान्, हमें सूचना यह है कि देश में पर्याप्त कच्चा माल है ।

सेठ गोविन्द दास : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मंत्री जी ने अभी कहा कि नये यूनिट (एकक) पैदा होने वाले हैं, तो क्या आशा करनी चाहिये कि वे ९ और १० महीने के अन्दर पैदा हो जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

चाय बागानों में श्रम कल्याण

*१३४२. **श्री एम० इस्लामुद्दीन :** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में चाय बागानों में श्रम कल्याण कार्य के बढ़ाने के लिये केन्द्रीय चाय पर्षद से प्राप्त की गई राशि ;

(ख) कथित काम के लिये बिहार को आवंटित की गई राशि;

(ग) क्या आवंटित राशि कमाकरों को सहायक देशों के प्रशिक्षण देने में व्यय की गई है ;

(घ) क्या सम्बन्धित राज्य ने इस काम में कुछ अंश दिया था और यदि दिया था तो कितना ; तथा

(ङ) क्या कुछ स्थानीय अंशदान भी था, और यदि था, तो कितना

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) :

(क) ४ लाख रुपये ।

(ख) ७००० रुपये ।

(ग) बिहार सरकार द्वारा बनाई गई कल्याण योजना कामकरों के लिये उपयोगी दस्तकारियों आदि और मनोरंजन की सुविधाओं का उपबन्ध करती है । योजना राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अनुदान पर विधानमंडल का मतदान प्राप्त करने के बाद कार्यान्वित की जायेगी ।

(घ) राज्य सरकार ने २००० रुपये की राशि दी है ।

(ङ) अब तक कुछ स्थानीय चंदा नहीं हुआ है ।

श्री एम० इस्लामुद्दीन : श्रीमान्, क्या मैं प्रत्येक राज्य को किया गया धन का आवंटन जान सकता हूं ? क्या यह जनसंख्या पर आधारित है या आय पर ?

श्री वी० वी० गिरी : वहां की जनसंख्या के अनुसार ।

श्री एम० इस्लामुद्दीन : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये कोई योजना भेजी गई थी ?

श्री वी० वी० गिरि : कुछ योजना भेजी गई थी : पर योजना अभी कार्यान्वित नहीं हुई है ।

श्री एम० इस्लामुद्दीन : मैं जान सकता हूं कि क्या बिहार राज्य ने कोई योजना भेजी है ?

श्री वी० वी० गिरि : जी हां ।

श्री वेंकटारमन : श्रीमान्, प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के निर्देश में मैं जान सकता हूं कि क्या केंद्रीय चाय पर्षद् चार लाख

रुपये का चन्दा प्रति वर्ष देता है, या उसने केवल एक बार ही दिया था ?

श्री वी० वी० गिरि : केवल एक बार।

श्री वेंकटारमन : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार केंद्रीय चाय पर्षद् से प्रति वर्ष चन्दा लेना चाहती है ?

श्री वी० वी० गिरि : कुछ अभ्यावेदन किया गया था।

श्री वेंकटारमन : क्या मैं उस में सरकार का निर्णय जान सकता हूं ?

श्री वी० वी० गिरि : बहुत संदिग्ध है।

श्री वी० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार को विदित है कि आसाम के चाय बागानों में गये छत्तीसगढ़ी श्रमिकों की दशा ठीक नहीं है और उन को उचित भोजन नहीं मिलता है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं जानकारी ग्रहण किये लेता हूं।

श्री एम० इस्लामुद्दीन : क्या मैं जान सकता हूं कि इन कामकरों को किन सहायक पैशों में प्रशिक्षित किया जाता है ?

श्री वी० वी० गिरि : उन को प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा है। इस योजना के शुरु होने पर उनको कताई, बुनाई, टोकरी बनाने आदि व्यवसायों में प्रशिक्षित किया जायेगा।

श्री वेलायुधन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि एकत्र किये गये उपकर में से कितनी राशि चाय बागानों में श्रम कल्याण पर व्यय होने जा रही है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

श्री वी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि चाय बागानों के मालिकों के कल्याण के हेतु चंदा देने के लिये चाय पर्षद् को विवश करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री वी० वी० गिरि : अधिनियम के अनुसार हम चाय पर्षद् को विवश नहीं कर सकते।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या चाय बागानों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू हो चुका है ? क्या सरकार को यह ज्ञात है कि दक्षिण के नीलगिरि और अनामलाई के चाय बागानों में यह लागू नहीं किया गया है ?

श्री वी० वी० गिरि : यह लागू हो रहा है और राज्य सरकारों को इसे शीघ्र लागू करने के लिये मनाया जा रहा है।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि इसे कब लागू किया जायेगा और इस बीच कामकरों को क्या सुविधा दी जा रही है ?

श्री वी० वी० गिरि : भारत सरकार इस अधिनियम के शीघ्र लागू किये जाने की आवश्यकता को राज्य सरकारों के ध्यान में ला चुकी है, और हम उनको इसे लागू करने के लिये मना रहे हैं।

श्री एम० इस्लामुद्दीन : मैं जान सकता हूं कि क्या कामकरों के प्रशिक्षण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ से किसी सहायता की आशा है ?

नन्दी-कोंडा परियोजना

*१३३३. **श्री सी० आर० चौधरी (श्री गोपाल राव की ओर से) :** क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने नन्दी-कोंडा परियोजना को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का निर्णय अन्तिम रूप से कर लिया है ;

(ख) क्या हैदराबाद सरकार द्वारा इस विषय में कोई सिफ़ारिश की गई है ;

(ग) क्या इस विषय में कोई और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; तथा

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके कारण क्या हैं ?

योजना व नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). जी हां।

(घ) योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई एक अलग प्रविधिक समिति द्वारा योजना का परीक्षण किया जा रहा है।

श्री सी० आर० चौधरी : समिति के प्रतिवेदन के कब आने की आशा है ?

श्री नन्दा : प्रतिवेदन पूरा होने वाला है।

श्री सी० आर० चौधरी : श्रीमान्, मैं श्री वेंकटाचार के दिल्ली आगमन का उद्देश्य जान सकता हूं ?

श्री नन्दा : श्री वेंकटाचार को इस सम्बन्ध में यहां आने के लिये आमंत्रित नहीं किया गया था।

डा० जयसूर्य : क्या यह तथ्य है कि मद्रास सरकार मूल कृष्णा-पेन्नार परियोजना के शीघ्र कार्यान्वित किये जाने पर जोर दे रही है ?

श्री नन्दा : जी हां श्रीमान्। इस समिति का कार्य इस नदी की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में प्राप्त हुए सभी अभ्यावेदनों पर विचार करना है।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या हैदराबाद सरकार नन्दी-कोंडा परियोजना के शीघ्र कार्यान्वित किये जाने पर जोर दे रही है ?

श्री नन्दा : जैसा मैं ने पहले बताया विभिन्न परियोजनाओं के चलाये जाने में कई पक्षों के हित हैं। इस समिति का लक्ष्य यह देखना है कि कौन सी परियोजना सर्वश्रेष्ठ है ?

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या नन्दी-कोंडा परियोजना की पड़ताल की गई है ?

श्री नन्दा : वह भी बाद में द्वितीय भाग में आयेगी।

श्री ईश्वर रेड्डी : क्या सरकार इस परियोजना को प्रविधिक तथा आर्थिक दृष्टि से भारत में सर्वोत्तम समझती है ?

श्री नन्दा : इस विषय पर अभी पड़ताल होनी है ?

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि नन्दी-कोंडा परियोजना पर बातचीत करने से हैदराबाद सरकार के एक अनुरोध को मद्रास सरकार ने सुना अनसुना कर दिया है ?

श्री नन्दा : पारस्परिक बातचीत समाप्त हो गई है। सभी पक्ष समिति के सामने अपने अपने दावे रखने के लिये आ रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विस्थापित व्यक्ति (अनेक आवंटन)

* १३१६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि दिल्ली मे विस्थापित व्यक्तियों ने पुनर्वास सहायता के रूप में अनेकों आवंटन

मकान, दुकानें या प्लाट प्राप्त कर लिये हैं ;

(ख) क्या इन सब विस्थापित व्यक्तियों से एक निर्दिष्ट समय में सभी अनेक आवंटनों को घोषित कर देने के लिये कहा गया था ; तथा

(ग) यदि कहा गया था, तो कितनी घोषणायें की गई हैं और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) जी हां ।

(ख) जी हां । इस सम्बन्ध में १६ अप्रैल १९५२ को निकाली गई एक प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध सख्या ५३]**

(ग) निर्दिष्ट समय में केवल एक घोषण की गई थी । घोषणा करने वाले को नियत किये गये दो मकानों में से किसी एक को चुनने का विकल्प दे दिया गया है ।

रबड़

***१३२३. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा निश्चित किया गया कच्ची रबड़ का मूल्य क्या है ?

(ख) मूल्य के इस निश्चिय ने रबड़ उद्योग पर कैसा प्रभाव डाला है ?

(ग) उद्योग को दृढ़ आधार पर स्थापित करने के लिये सरकार क्या उपाय करना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : वर्ग १ की रबड़ का कोचीन में तट पर निःशुल्क (एफ़० ओ० बी०) मूल्य १२८ रुपये प्रति १०० पौंड है , और दूसरी श्रेणियों के लिये अनुपाती अन्तर रखे गये हैं ।

(ख) उत्पादकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि निश्चित किये गये मूल्य पूंजी की वापसी और पुनर्वास के लिये पर्याप्त उपबन्ध नहीं करते हैं ।

(ग) भारतीय रबड़ उद्योग एक रक्षित उद्योग है । उपर्युल्लिखित मूल्य भारतीय तटकर पर्षद की सिफ़ारिशों पर निश्चित किये गये थे और उत्पादन लागत और लाभ के उचित अंश पर आधारित थे । उत्पादकों से प्राप्त हुए अभ्यावेदन की दृष्टि में इन मल्यों के पुनरीक्षण का प्रश्न तटकर आयोग को निर्देशित कर दिया गया है । उतनी ही मात्रा तक रबड़ के आयात की अनुमति देकर, जितनी कि रबड़-निर्माता-उद्योग को स्थानीय उत्पादन के सिवा आवश्यक होती है, इस उद्योग की विदेशी प्रतियोगिता से रक्षा की जाती है, और इस प्रकार देश में स्थानीय रबड़ की बिक्री की गुंजाइश रखी जाती है । इस उद्योग के विकास की योजना भी सरकार के विचाराधीन है ।

रेडियो वार्ताओं का प्रतिलिप्यधिकार

***१३२४. श्री केलप्पन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अखिल-भारतीय-रेडियो से प्रसारित वार्ताओं, नाटकों या कहानियों का कुछ प्रतिलिप्यधिकार भारत सरकार को प्राप्त है ;

(ख) इस अधिकार को रखने का क्या कारण है ; तथा

(ग) इस विषय में और देशों में क्या व्यवहार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) तथा (ख). अखिल भारतीय रेडियो से प्रसारित वार्ताओं का प्रतिलिप्यधिकार और नाटकों और कहानियों का प्रसारणें अधिकार भारत-सरकार के पास है ।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

भेषजों आदि का समाहार

*१३२५. **श्री थिरानी** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि द्वितीय विश्व-युद्ध से पहिले एक ही संस्था नागरिकों तथा सेना दोंनों के लिये आवश्यक भेषजों और औषधों का समाहार किया करती थी; तथा

(ख) अब क्या स्थिति है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भारतीय चिकित्सकीय सेवा के महासंचालक नागरिकों और सेना दोनों ही के लिये आवश्यक भेषजों, औषधियों और चिकित्सा संबंधी चीज़ों के लिये उत्तरदायी था ।

(ख) अब नागरिकों और सेना दोनों के ही लिये आवश्यक चिकित्सा संबंधी चीज़ें निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय के अधीन महासंचालक, रसद द्वारा समाहृत की जाती हैं ।

मद्रास में सामूहिक योजना

*१३४०. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मद्रास राज्य में सामूहिक योजना चलाने के लिये चुने गये केन्द्र; तथा

(ख) जो चुने गये हैं, वह किस प्रकार के हैं ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : भाग (क) सम्बन्धी जानकारी तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ के संबंध में दिये गये उत्तर में दी जा चुकी है।

(ख) छः नई सामूहिक योजनाओं में सभी बुनियादी प्रकार की हैं ।

लोहा तथा इस्पात उद्योग

*१३४१. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में कच्चे लोहे तथा इस्पात के उद्योग के विस्तार के लिये सरकार का कार्यक्रम ; तथा

(ख) क्या भारत में कच्चे लोहे तथा इस्पात के उद्योग में अमरीकी निजी पूंजी के विनियोजन की कुछ संभावना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). सरकार विद्यमान इस्पात उद्योग में सहायता देने का विचार कर रही है। एक नये कारखाने की स्थापना भी विचाराधीन है । भारतीय इस्पात उद्योग में अमरीकी निजी पूंजी के विनियोजन के लिये कुछ स्पष्ट मांग नहीं की गई है ।

औषधियों का आयात

३०२. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में आयातित औषधियों में कौन कौन पांच औषधियों में क्रमशः सन् १९४८-४९ तथा १९५१-५२ में विदेशी विनिमय की सर्वाधिक राशि काम में आई थी?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : औषधियों की श्रेणी

में अलग अलग मदों के आयात लेखे अलग अलग नहीं रखे जाते हैं।

राष्ट्रीय योजनालयों के द्वारा सेवायुक्त कराई गई स्त्रियां

३०३. **श्री गणपति राम** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१ में राष्ट्रीय सेवायोजनालयों के द्वारा आवेदन करने वाली कितनी स्त्रियों को रोज़गार मिला ; तथा

(ख) रोज़गार पाने वाली स्त्रियों में से कितनी विस्थापित स्त्रियां हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) सन् १९५१ में सेवा योजनालयों में पंजीबद्ध होने वाली स्त्री-आवेदकों के ५२·४ प्रति शत को रोज़गार दिला दिया गया था ;

(ख) १,४८२।

ईंट उद्योग के लिये कोयला

५०४. **श्री रामजी वर्मा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्रत्येक विभिन्न राज्यों में भारतीय ईंट उद्योग के लिये कोयला उपआयुक्त (डी), कलकत्ता द्वारा मंजूरी-प्राप्त कोयले के अभ्यंश का वर्तमान आधार क्या है :

(ख) सन् १९४२ से अब तक प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक ईंट के भट्टे पर दिये गये कोयले का अभ्यंश और समय समय पर अभ्यंश में किये गये, यदि किये गये हों, परिवर्तनों के कारण;

(ग) ऐसे मामलों की संख्या, जिन में दिये गये अनुज्ञापत्रों (परमिटों) पर दी जाने वाली मात्रा के देने में १ अप्रेल, १९५१ के बाद से छः महीने से अधिक की देर हुई हो और प्रत्येक मामले में देर होने के कारण; तथा

(घ) ईंट उद्योग को नियमित रूप से कोयला मिलता रहे, यह देखने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) ईंट उद्योग के अभ्यंश दूसरे उद्योगों की भांति मांग, उद्योग की सापेक्षता, प्राथमिकता और उस काल में रेल डब्बों के उपलब्ध होने की संभावना के आधार पर निश्चित किये जाते हैं।

(ख) व्यक्तिगत भट्टों को कोयले का वितरण राज्य सरकारों के कोयला नियंत्रकों द्वारा किया जाता है। विभिन्न राज्य-नियंत्रकों से लगभग १० वर्ष तक की इस सूचना का संग्रह करने में पूर्णतः निरनुपाती समय और श्रम का व्यय होगा।

मांग तथा यातायात की उपलब्धता की दृष्टि में अभ्यंश समय समय पर बदल दिये जाते हैं।

(ग) अनुज्ञा पत्रों के अनुसार भेजे गये ईंट पकाने के कोयले के आंकड़े राज्यवार रखे जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। इसलिये यह जानकारी दे सकना संभव नहीं है।

(घ) अपर्याप्त यातायात सुविधायें ही ईंट भट्टा उद्योग समेत सभी उपभोक्ताओं के संभरणों पर प्रभाव डाल रही हैं। दूसरी अत्यावश्यक वस्तुओं के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और उपलब्ध यातायात सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोयला आयुक्त ईंट भट्टों के लिये कोयले के संभरण को अधिकतम करने के लिये पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। संभरण की स्थिति सामान्य यातायात स्थिति में सुधार होने पर ही सुधर सकती है। कोयला लादने के लिये डब्बों के मिलने की स्थिति में सुधार करने के प्रश्न पर रेलवे पर्षद् तथा संबंधित रेलवे प्रशासन निरन्तर ध्यान दे रहे हैं।

भाखड़ा नियंत्रण पर्षद्

३०५. **श्री बादशाह गुप्ता** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भाखड़ा नियंत्रण पर्षद् के सदस्यों के नाम ;

(ख) मई १९५२ के अन्त तक पर्षद् पर किया गया व्यय; तथा

(ग) पर्षद् पर किया जाने वाला मासिक व्यय यदि कुछ किया जा रहा हो ?

योजना व नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) भाखड़ा नियंत्रणपर्षद् में यह व्यक्ति हैं :

(१) श्री चन्दूलाल त्रिवेदी (राज्यपाल, पंजाब)—सभापति

(२) जल तथा विद्युत सम्बन्धी भारत सरकार के परामर्शदाता इंजीनियर—उप-सभापति

(३) भारत सरकार के संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय—सदस्य

(४) पंजाब सरकार के जन वास्तु विभाग आई० बी० (बी० डी० प्रशासन) के मुख्य इंजीनियर तथा सचिव—सदस्य

(५) पंजाब सरकार के सचिव, वित्त विभाग—सदस्य

(६) पैप्सू जन वास्तु विभाग के सचिव तथा मुख्य इंजीनियर—सदस्य

(७) मुख्य इंजीनियर सिंचाई राज-स्थान—सदस्य

यह अधिकारी प्रेक्षकों के रूप में पर्षद् की बैठकों में भाग लेते हैं—

(१) पंजाब सरकार के जन वास्तु विभाग, आई० बी० के मुख्य इंजीनियर तथा सचिव ।

(२) पंजाब सरकार के जन वास्तु विभाग ई० बी० के मुख्य इंजीनियर तथा सचिव ।

(३) भाखड़ा नंगल परियोजना के मुख्य लेखा-अधिकारी ।

(ख) मई, १९५२ के अन्त तक हुआ कुल व्यय १,१६,६२२ रुपये हैं ।

(ग) पर्षद के कार्यालय का मासिक व्यय वेतन और यात्रा-भत्तों आदि समेत कोई ६-७ हज़ार रुपये के लगभग होता है :

चाय

३०६. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय । (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ में भारत में उत्पादित चाय की मात्रा क्या है ?

(ख) उक्त काल में भारत में चाय की खपत कितनी हुई थी ?

(ग) उक्त काल में चाय के निर्यात की मांग कितनी थी और किन देशों से थी ?

(घ) एक पौंड चाय की उत्पादन लागत क्या है और प्रति पौंड बाज़ार भाव क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) भारत में सन् १९४९, १९५० और १९५१ के पत्री वर्षों में उत्पादित चाय की मात्रायें क्रमशः ५८५.२५; ६१३.५८ हैं और ६२२.७३ लाख पौड थीं ।

(ख) भारत में चाय की प्राक्कलित खपत १५०० लाख पौंड प्रति वर्ष है ।

(ग) सन् १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ में भारतीय चाय का कुल निर्यात

क्रमशः ४४२०, ४३९० और ४२६० लाख पौंड था। निर्यात इंगलिस्तान, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, आयरलैंड, आस्ट्रेलिया, ईरान और मिश्र को हुआ था।

(घ) उत्तर पूर्वी भारत के कुछ चुने हुए चाय बागानों के विषय में सन् १९५१ में मध्यमान उत्पादन लागत रु० १-९-२ प्राक्कलित की गई थी।

सन् १९५१-५२ की ऋतु में कलकत्ते में नीलाम द्वारा प्राप्त हुआ चाय का मध्यमान बाज़ार मूल्य में प्रति पौंड निर्यात के लिये रु० १-१२-६ है और अन्तर्देशीय चाये के लिये रु० १-६-८ है।

आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां

३०७. **श्री गोहेन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में उत्तर-पूर्वी सीमा एजेंसी के आदिम जाति छात्रों को उनके मिडिल, हाईस्कूल और कालेजों में अध्ययन के लिये छात्र वृत्तियां और काल वृत्तियां (स्टाइपेंड्स) देने में, यदि कुछ भी हों तो, कितनी राशियां व्यय की गई थीं और वर्तमान वर्ष में कितनी राशि व्यय करने का विचार है ; तथा

(ख) अपनी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं में कितने छात्रों को इस योजना से लाभ पहुंचा है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

Monday, 30 June 1952

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

सोमवार, ३० जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१३ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी (मैसूर) : श्रीमान्, मैं ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को बतला दिया था कि मैं इस की मंजूरी नहीं देता ।

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी: क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने अनेक बार कहा है वे जो प्रश्न उठाना चाहते हैं, उसके प्रति भारत सरकार की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है । इस सदन में एक स्वतन्त्र विदेशी सरकार के व्यवहार पर चर्चा करने के लिये किसी प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी जा सकती ।

श्री एन० एस० नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) : श्रीमान, जानकारी के हेतु । मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसा प्रश्न उठाना असंभव या अनियमित है जिस का किसी और सरकार से सम्बन्ध हो और क्या यह सदन उस अत्यावश्यक मामले पर अपनी राय नहीं प्रकट कर सकता ?

अध्यक्ष महोदय : यह ग्राह्य तो है किन्तु स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं । माननीय सदस्य अन्य बहुत से अवसरों पर उदाहरणेंतः वैदेशिक कार्य मन्त्रालय पर चर्चा के समय ऐसे प्रश्न उठा सकते हैं और भारत सरकार को अपनी शिकायतें बतला सकते हैं या अपने सुझाव दे सकते हैं ।

पटल पर रखे गये पत्र

गोरखपुर में गोली चलने की घटना के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : गोरखपुर में रेलवे कर्मचारियों पर गोली चलाये जाने की घटना के सम्बन्ध में २० मई, १९५२ को तारांकित प्रश्न संख्या ५६ का उत्तर दिया गया था और २८ मई १९५२ को उस से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर आधे घंटे की चर्चा के समय जो वचन दिया गया था उस के अनुसार मैं २५ अप्रैल १९५२ को गोरखपुर म गोली चलने की घटना के बारे में, बनारस-गोरखपुर विभाग के आयुक्त की जांच रिपोर्ट की एक प्रति पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या पी--१९/५२]

समितियों के निर्वाचन

लोक लेखा समिति

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को सूचना देता हूं कि निम्न सदस्य यथाविधि लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित हुए हैं :—

१ श्री बी० दास
२ पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
३ श्री एम० एल० द्विवेदी
४ श्री श्री नारायण दास
५ श्री त्रिभवन नारायण सिंह
६ श्री बी० एन० दातार
७ श्री रणवीर सिंह चौधरी
८ आचार्य एस० एन० अग्रवाल
९ डा० एम० एम० दास
१० पंडित कृष्णचन्द्र शर्मा
११ श्री उमा चरण पटनायक
१२ श्री वी० पी० नायर
१३ श्री वी० रामचन्द्र रेड्डी
१४ श्री जी० डी० सोमानी
१५ श्री के० एम० वल्लात्रास

प्राक्कलन समिति

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को सूचना देता हूं कि निम्न सदस्य यथाविधि प्राक्कलन समिति के सदस्य निर्वाचित हुए हैं :—

१ श्री एम० ए० अय्यंगर
२ श्री बी० शिवाराव
३ श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या
४ पंडित ठाकुरदास भार्गव
५ डा० पी० एस० देशमुख
६ श्री बलवन्तराय गोपाल जी मेहता
७ श्री नित्यानन्द कानूनगो
८ श्री मोहनलाल सक्सेना
९ श्री आर० वेंकटरामन
१० श्री बी० आर० भगत
११ श्री ए० सी० गुहा
१२ श्री उपेन्द्रनाथ वर्मन
१३ पंडित बालकृष्ण शर्मा
१४ डा० सुरेश चन्द्र
१५ श्री एस० आर० राने
१६ श्री राधेलाल व्यास
१७ श्री देवेश्वर सरमा
१८ डा० लंका सुन्दरम्
१९ श्री जयपाल सिंह
२० श्री एस० एस० मोरे
२१ श्री के० गोपाल राव
२२ श्री वी० मुनिस्वामी
२३ सरदार लालसिंह
२४ श्री जी० एस० सिंह
२५ श्री सारंगधर दास

सामन्य आयव्ययक-अनुदानों की मागें

मांग संख्या ४२—खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय
मांग संख्या ४३—वन
मांग संख्या ४४ — भारतीय भूपरिमाप
मांग संख्या ४५ — वानस्पतिक परिमाप
मांग संख्या ४६ — जीव सम्बन्धी परिमाप
मांग संख्या ४७ — कृषि
मांग संख्या ४८—असैनिक पशुपालन सेवाएं
मांग संख्या ४९—खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के अधीन विविध व्यय
मांग संख्या ११६— वनों पर पूंजी व्यय
मांग संख्या ११७ — खाद्यान्न का क्रय
मांग संख्या ११८—खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय का अन्य पूंजी व्यय ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम खाद्य तथा कृषि से सम्बन्धित मांगों पर चर्चा आरम्भ करेंगे । श्री सारंगधर दास ।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल — पश्चिम कटक) : मैं खाद्य के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता । परन्तु मेरी राय यह है कि देश के बहुत से भागों में आज कल जो अकाल की स्थिति है, वह उन गलत नीतियों के कारण उत्पन्न हुई है जो कि सरकार ने गत ५ या ६ वर्षों में अपनाई हैं ।

मुझे कृषि के सुधार में अधिक रुचि है और मैं सरकार को और सत्तारूढ़ दल को इस

सम्बन्ध में कुछ रचनात्मक सुझाव देना चाहूंगा ।

प्रधान मन्त्री ने १९४६-४७ में बहुत सी बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं की घोषणा की थी । उड़ीसा की महानदी घाटी योजना भी उनमें से एक थी । सरकार का कहना था कि हीराकुड परियोजना से देश में दूध और शहद की नदियां बहने लग जायेंगी । उसने उस समय यह अनुभव नहीं किया कि भाकड़ा-नंगल, दामोदर घाटी और हीराकुड परियोजनाओं से १॥ से २ करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी । वर्तमान सींची हुई भूमि को मिला कर, कुल सींची हुई भूमि ६ करोड़ एकड़ हो जायेगी । इसका अर्थ यह है कि २० करोड़ एकड़ में सिंचाई फिर भी नहीं हो सकेगी । अतः सिंचाई की छोटी छोटी परियोजनायें जारी करना आवश्यक है । पिछले दो वर्षों में सरकार ने इस ओर कुछ ध्यान दिया है और इन परियोजनाओं के लिए कुछ रुपया दिया है । किन्तु यह धन काफी नहीं है । इस से बहुत अधिक रुपया दिया जाना चाहिये । सरकार ने अब तक जो रुपया दिया है उसका कुछ दुरुपयोग भी हुआ है । सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इन छोटी छोटी परियोजनाओं के लिये दिये गये रुपये की पाई पाई को उचित तरीके से खर्च किया जाये ।

सरकार ने प्रति एकड़ उपज बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया । भारत में प्रति एकड़ उपज विश्व में सब से कम है । इसे बढ़ाने के लिए सब से पहली बात यह है कि भूमि का मालिक कृषक ही होना चाहिए । हम चाहते हैं कि उन ज़मींदारों और भूस्वामियों से जिन की भूमि ३० एकड़ से अधिक है, भूमि ले कर कृषि करने वालों में बांट दी जाये ।

भूमि के मालिक तो उच्च श्रेणी के लोग हैं जोकि नगरों में रहते हैं और जोतने वाले हैं हरिजन, आदिवासी, श्रमिक आदि जोकि फसल में हिस्सा बटाने की प्रणाली पर काश्त करते हैं । और भूस्वामी भूमि को एक काश्तकार के हाथ में नहीं रहने देते । यह एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के हाथ में दे दी जाती है । अतः काश्तकार जोकि इसे जोतता है, इसके उपजाऊपन को कायम रखने का प्रयत्न नहीं करता, इसमें खाद नहीं डालता और इस का सुधार नहीं करता जिसके फलस्वरूप भूमि की उपजाऊ शक्ति वर्ष प्रति वर्ष कम होती जा रही है । यदि आज नहीं तो आज से पांच वर्ष या दस वर्ष बाद जनसंख्या बढ़ जाने से और प्रति एकड़ उपज कम हो जाने से, अवश्य अकाल पड़ेगा, लाखों व्यक्ति मर जायेंगे और इतिहास में लिखा जायगा कि कांग्रेस सरकार ही इसका कारण थी । अतः यह आवश्यक है कि भूमि का पुनर्वितरण किया जाये । जब तक कि भूमि का स्वामित्व कृषक को प्राप्त न होगा और जब तक वह यह अनुभव न करेगा कि जो कुछ वह पैदा करता है वह उसका अपना है किसी ज़मींदार या साहूकार का नहीं, तब तक उत्पादन में वृद्धि न होगी ।

इस के अतिरिक्त बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है । देश में १·५ एकड़ भूमि बंजर पड़ी हुई है । सरकार ने कुछ क्षेत्रों में ट्रैक्टरों से बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयत्न किया है । यह अच्छी बात है । किन्तु उन स्थानों पर जहां ट्रैक्टर नहीं हैं यह काम लोगों को स्वयं करना चाहिए । ग्रामीण लोगों में इस काम के लिए तभी उत्साह पैदा होगा जब भूमि का पुनर्वितरण हो जायगा और वे समझने लगेंगे कि भूमि के स्वामी वास्तव में वही हैं ।

इस सम्बन्ध में सरकार लोगों में कोई उत्साह पैदा नहीं कर रही है और उन के प्रयत्नों का उपयोग नहीं कर रही है । वह केवल योजनाएं ही बनाती रहती है । सचिवालय में बैठे अधिकारी जिनका कृषि से कोई सम्बन्ध

[श्री सारंगधर दास]

नहीं होता बड़े बड़े ग्रन्थ लिख डालते हैं। यूरोप और अमेरिका में जहां कृषि के आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके अपनाये जा रहे हैं स्वयं कृषक ही योजनाएं बनाते हैं और सचिवालय में बैठे हुए लोग नहीं। क्या इन लोगों को कृषि या सिंचाई का इतना ज्ञान हो सकता है कि वे सिंचाई पर एक लम्बी रिपोर्ट लिख कर लोगों पर ठूंस दें। सरकार को जनता के सम्पर्क में आना होगा। सब योजनायें लोगों की ओर से बन कर आनी चाहियें। सरकार को जनता में विश्वास रखना चाहिये और सब विशेषज्ञों की, चाहे वे कांग्रेस या किसी अन्य दल के हों, सेवाओं से लाभ उठा कर कृषि में इतना सुधार करना चाहिये कि पांच या दस वर्षों में हम खाद्य के विषय में आत्म-निर्भर हो जायें।

श्री बी० पी० सिन्हा : (मुंगेर सदर व जमुई): अध्यक्ष महोदय, मैं फूड मिनिस्टर (खाद्य मन्त्री) साहब के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव सामने रखना चाहता हूं। हमारी चार जरूरी आवश्यकतायें हैं जिन के बिना हमारा जीवन सम्भव नहीं हो सकता है। वे चीजें भोजन, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य हैं। भोजन की समस्या आज हमारे लिये बहुत जटिल हो गई है और आज देश के जितने नेता हैं सभी बहुत परेशान हैं। परन्तु वह समस्या हम आज तक हल नहीं कर सके हैं। इसका कारण बहुत सरल है और हम आसानी से इसे हल कर सकते हैं। आज राजगोपालाचारी जी ने कंट्रोल (नियन्त्रण) उठा कर एक बड़ा भारी रास्ता हम को दिखाया है और भारतीय सरकार ने जो उसके साथ सम्मति दी है वह भी एक बहुत सराहनीय काम है। इतने दिनों की जो तकलीफ हमारी रही है वह बहुत कुछ कंट्रोल की वजह से रही है। कंट्रोल के पीछे चाहे कुछ भी कारण हों, चाहे कुछ भी तथ्य हों, लेकिन जो उस का सब से बड़ा दोष है वह यह है कि हम सभी आज सत्यभ्रष्ट हो गये हैं। जिस सत्य और अहिंसा के बल पर हमने आजादी हासिल की उस की अवहेलना कर रहे हैं। हमारी गुलामी बेमिसाल थी उसी प्रकार हमारी स्वाधीनता भी बेमिसाल रहा है। इसलिये सत्य का महत्व हमें बराबर समझना चाहिये। आज इस कंट्रोल के समय में कोई भी आदमी यह दावा नहीं कर सकता है कि हम सत्य के अनुसार चल रहे हैं। और हम सत्य के आधार पर अपना जीवन बिता रहे हैं। परसों डाक्टर खरे जी ने कहा था कि हम ने कोई चीज़ ब्लैक मारकेट में नहीं खरीदी है। चाहे यह उनका कहना सत्य हो, किन्तु उन्होंने ब्लैक मारकेट की चीज का व्यवहार नहीं किया होगा सम्भव नहीं है। किन्तु मनुष्य गृहस्थाश्रम में है वह किस प्रकार भोजन की और अन्य वस्तुएं कंट्रोल दर पर प्राप्त कर सकता है यह कोई नहीं कह सकता।

हम आज सरकारी आंकड़ों में पड़े हुए हैं हमारे माननीय फूड मिनिस्टर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सरकारी आंकड़े विश्वास के लायक नहीं हैं। आज कहा जाता है कि हमारे यहां जो गल्ला पैदा होता है वह बहुत कम है उसके कम होने का कारण यह कहा जाता है कि पार्टीशन (विभाजन) की वजह से कम हो गया है। ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है, वह भी इसका कारण हो सकता है। लेकिन यह कोई तथ्य नहीं है। सब से बड़ा तथ्य यह है कि हम ने भ्रष्टाचार का जो रास्ता अख्तियार किया है वह दूर होना चाहिये। आज यह भी कहा जाता है कि हमारी गल्ले की कमी १० प्रति शत की है। वह १० प्रति शत की कमी बहुत साधारण तरीके से दूर की जा सकती है। वह इस तरीके से कि हम

जो चावल खाते हैं उसमें प्रत्येक मन के पीछे तीन सेर पालिश करने से कम हो जाता है। यदि हम यह दस प्रति शत की कमी को दूर करना चाहते हैं तो सरकार को सब से पहले देश में जितने राइस मिल्स हैं उनको बन्द कर देना चाहिये उस से बड़ी बचत हो सकती है। फिरभी जो फ्लोर मिल की व्यवस्था है उस को भी बन्द कर देना चाहिये, क्योंकि गेहूं का जो पौष्टिक तत्व है वह मिलों में जाने से खराब हो जाता है। साथ ही साथ उस का जो चोकर निकाल कर फेंक देते हैं वह भी गलत चीज है और उसे भी हम काम में ला सकते हैं। इस सब के साथ हम सब्जियों का प्रयोग कर के भी उस कमी को दूर कर सकते हैं। कंट्रोल आरम्भ होने के समय पूज्य बापू जी ने बताया था कि खाने के लायक १५ दिनों में सरसों का साग तैयार हो जाता है इस तरह का साग खा कर हम जीवन निर्वाह कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि फलां जगह के लोग घास खा कर, वृक्ष के पत्ते खा कर रहते हैं। मैं देहात का रहने वाला हूं। मुझ को नहीं मालूम कि कोई वृक्ष ऐसे हैं कि जिन के पत्ते खा कर रहा जा सकता है। यदि हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। कहा जाता है कि लीफी फूड इज दी बैस्ट फूड (पत्तेदार सब्जियां सब से अच्छा खाना होती हैं) तो इस से हमारा जो भोजन का मामला है वह भी हल हो जायगा। हम राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन उसके पीछे छोटी सी बातों का भी ध्यान रखना चाहिये। आज जो हमारा भोजन बनाने का तरीका है उसको हमें बदलना चाहिये। हमें अपने खाने के तरीके को भी बदलना चाहिये, वह बहुत छोटी सी बातें हैं। वह यह है कि चावल जो हम बनाते हैं उसमें से मांड न निकाली जाय, चावल की लाली न निकाली जाय। इसी तरह आटे में से चोकर न निकाली जाय और साग सब्जी को उबाल कर खाया जाय तो वह बहुत पौष्टिक हो जाते हैं। आज हम को स्वाद के लिये जीना नहीं चाहिये। हमें यह ख्याल करना चाहिये कि हम पौष्टिक तत्व का भोजन खायें, विशेष कर ऐसी चीज जो हमारे यहां बहुत मात्रा में मिलती है। हम बहुत सी वस्तुओं के गुण नहीं जानते और इसलिये उनका प्रयोग नहीं करते। दक्षिण बिहार के देहातों में और मध्य प्रदेश में महुआ का फूल बहुत होता है और वह केवल शराब बनाने के काम में आता है। खाने के लिये उसका थोड़ा बहुत प्रयोग किया जाना चाहिये। विशेषज्ञों ने बताया है कि उस में वह तत्व है जो बहुत पौष्टिक है।

अधिक अन्न पैदा करने के लिये सरकार माइनर इरीगेशन के पीछे बहुत सा पैसा खर्च करती है। इसकी सारे देश में बहुत आवश्यकता है। ग्रो मोर फ़ूड (अधिक अन्न उपजाओ) के पीछे कितना पैसा बरबाद हुआ है यह सब जानते हैं। इस का कोई विशेष सदुपयोग नहीं हुआ है। सरकार को केवल यह बात सुन कर ही चुप नहीं हो जाना चाहिये, उसे एक कमीशन क़ायम करना चाहिये यह देखने के लिये कि ग्रो मोर फ़ूड में खर्च किये गये पैसे का कैसे दुरुपयोग हुआ है। मैं इस सम्बन्ध में अपने प्रान्त क बात कहना चाहता हूं और वैसा ही और प्रान्तों में भी हुआ होगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

बिहारी में इरीगेशन का काम तीन मिनिस्टर के ज़रिये होता है, एक इरीगेशन मिनिस्टर, (सिंचाई मन्त्री) दूसरे डैवल्पमेंट मिनिस्टर (विकास मन्त्री) और तीसरे रैवेन्यू मिनिस्टर (राजस्व मन्त्री)। इरीगेशन मिनिस्टर के पास में और डैवल्पमेंट मिनिस्टर के पास में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। वह समझ सकते हैं कि कौन काम ठीक है, कौन नहीं है। लेकिन रैवेन्यू मिनिस्टर के पास एक भी

[श्री बी० पी० सिन्हा]

आदमी टैक्निकल एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) नहीं है, एक भी ओवरसियर नहीं है । लेकिन कई करोड़ रुपया उन्होंने इसके पीछे खर्च किया है, इसके पीछे कोई भी तथ्य नहीं है कि वह पैसा जायज़ तरीके से खर्च हुआ । इसलिये यह जरूरी है कि हम जितने भी काम करें उसमें हमारे सामने जो समस्यायें हैं उन को नज़दीक रख कर हमें काम करना चाहिये । व्यक्तिगत प्रभाव के लिये, व्यक्तिगत प्रोपैगैण्डा (प्रचार) के लिये या किसी ग्रुप (गुट) के प्रोपैगैण्डा के लिये कोई काम नहीं होना चाहिये । बिहार में डैवलैपमेंट का काम डाक्टर सैयद महमूद ऐसे विशेषज्ञ मिनिस्टर के हाथ में था और जिनके नीचे एग्रीकल्चर इंजीनियर थे, यह काम उनके हाथ में न जा कर रैवेन्यू मिनिस्टर को दिया गया कि जिन के पास एक भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट (कृषि विशेषज्ञ) नहीं है । करोड़ों रुपये खर्च किये गये और वह किस के ज़रिये किये गये ? जिन को कोई तजुर्बा नहीं था । जमींदारी अबालीशन (उन्मूलन) आज तक नहीं हुई है, लेकिन तीन वर्ष पहले ही उसके लिये सैकड़ों आदमी बहाल किये गये । उनको आबपाशी का कोई तजुर्बा नहीं था लेकिन सब रैवेन्यू डिपार्टमेंट का पैसा उनके ज़िम्मे रखा गया और उन के द्वारा वह खर्च कराया गया । जो भी आदमी बहाल हुए उन के लिये कोई काम नहीं था । उसके पीछे एक प्रोपैगैण्डा हो सकता है, एक पर्सनल प्रोपैगैण्डा हो सकता है और उनके पीछे पैसा पानी की तरह बहाया गया है । इरीगेशन मिनिस्टर के पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था लेकिन उन के जिम्मे भी वह काम नहीं दिया गया । डैवलैप्मेंट मिनिस्टर के पास इंजीनियरिंग के आदमी थे, लेकिन उनको भी यह काम नहीं दिया गया और यह काम ऐसे मिनिस्टर के ज़रिये कराया गया जिसके पास कोई इंजीनियर नहीं थे, सिर्फ़ एग्जीक्यूटिव आफिसर्स थे । उनके ज़रिये यह काम कराया गया जिन को तजुर्बा नहीं था ।

मेरा ख्याल है कि करोड़ों रुपया इस तरह से बहाया गया । इतना ही नहीं ।

श्री भगवत झा : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के हेतु । अभी उस दिन यह निर्णय दिया गया था कि उन राज्य मंत्रियों के नामों को नहीं घसीटना चाहिए जो कि यहां प्रत्युत्तर देने के लिए उपस्थित न हों । तो क्या माननीय सदस्य इस समय अपने भाषण में उन का नाम लेकर ठीक कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपा कर के देश के किसी भी मंत्री के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल निर्देश न करें । यदि उन की प्रशंसा का प्रश्न हो, तब तो इसका निश्चय ही स्वागत किया जायेगा ।

श्री बी० पी० सिन्हा : मैं किसी मिनिस्टर का नाम नहीं ले रहा हूं परन्तु जो बात सत्य है उस को भुयाला नहीं जा सकता है वह बात में भवन के सामने रखा रहा हूं । जो फैक्टस हैं । जो चीज़ सही है कि किस तरह से रूपया वहां पर बरबाद हुआ वह कभी कभी भुलाया नहीं जा सकता है । आज बिहार के अन्दर कितना रुपया इस तरह से खर्च किया गया । आप को यह मालूम हो कर ताज्जुब होगा कि ग्रो मोर फूड की स्कीम (योजना) को पूरा करने के लिये ३१ मार्च तक काम खत्म करने का आदेश दिया जाता था । इस के लिये कागज़ी कार्रवाई सब तरह की हो जाती थी । कारण ३१ मार्च को वह ज़मीन बहुत ही कड़ी रहती थी । जिस पर इस तरह का खर्चा करने को मंजूरी की गई थी । जो रूपया उस ज़मीन के लिये मंजूर हुआ था वह सब खर्च दिया गया लेकिन ज़मीन

यी ही पड़ी रहीं। में इस बात के लिये चेलेंज करता हूं कि,अगर यह बात गलत होती। मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि वह इस बारे में एक जांच कमेटी बनाये और इस बात को देखा जाय कि बिहार में इस तरह से कितना रूपया बरबाद किया गया है। बिहार में कृषि साधन के सब से बड़े साधन जंगलों को बरबाद किया जा रहा है। मेरा दावा है कि आज बिहार की सरकार के ज़रिये से जंगल बरबाद हो रहा है, यह एक देखने की बात है। इस के बारे में मैं प्रमाण दे सकता हूं। बिहार असेम्बली के जो कांग्रेसी सदस्य हैं उन्हों ने भी इस बारे में जो भाषण दिये हैं, जो कटमोशन (कठौती प्रस्ताव) पेश किये हैं, उस से साबित होता है कि किस तरह से बिहार की सरकार जंगलों को बरबाद कर रही है। एक आदमी के ज़रिये से बिहार में करोड़ों रूपया का नुकसान किया जा रहा है। यह काम भी उसी मिनिस्टर को सौंपा गया है। इस तरह से वहां पर जंगल बरबाद किये जा रहे है। में सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस चीज के बारे में वह एक सरकारी जांच कमेटी बनाये जो कि इन सब चीजों के बारे में जांच करें। वह कमेटी इस बात का पता लगायगी कि राज्य गवर्नमेंट ने कहां कहां पर इस तरह से रुपया बरबाद किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नेहरू जी ने कहा था कि जो ब्लैक मारकिटिंग (चोर बाजारी) करते हैं उनको फांसी मिलनी चाहिये। तो मैं सरकार से यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह इन सभी बातों के बारे में जांच करने के लिये कुछ न कुछ कार्यवाही करें। हम कहते हैं कि जो सरकारी सदस्य हैं, जो सरकार से सरोकार रखते हैं। जिन ने करोड़ों रुपया सरकार का बरबाद किया है जिस के ज़रिये से हमारी राष्ट्रीय उन्नति रुक जाती है। अवश्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और हमारा धन इस तरह की कार्यवाहियों में बरबाद होता गया तो हम देश की कुछ भी उन्नति नहीं कर सकेंगे और देश में एक नई किस्म की बीमारी और पैदा कर देंगे। आज हम गरीबों की अपने पक्ष में करने की कोशिश करते है और उन को इस बात का आस्वासन दिलाते हैं कि सरकार तुम्हारे हित के लिए सब कुछ कर रही है। तो अगर हमारा धन इस तरह से बरबाद होता रहा तो हम कभी भी अपनी गरीब जनता का भला नहीं कर सकेंगे।

बिहार में डैवलैपमेंट मिनिस्टर के साथ इंजीनियरिग डिमार्टमेंट भी है उस के जरिये सेग्रो मोर फूड का थोड़ा काम होता है। बिहार में जो इरीगेशन मिनिस्टर हैं उन के साथ भी इंजिनियरिंग डिपार्टमेंट है और वह भी अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन का काम कर सकते हैं। मगर होता यह है कि इन दोनों मिनिस्टरों में से किसी भी मिनिस्टर को ग्रो मोर फूड का काम नहीं दिया जाता। एक तीसरे मिनिस्टर को यह काम दे दिया जाता है जिस के पास किसी तरह का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं है। न कोई इंजीनियर है गौर न कोई ओवरसियर हो इस काम को करने के लिये है। इस तरह से वह रुपया जो कि अधिक अन्न उपजाओ के लिये रक्खा गया है वह सब बरबाद हो रहा है। इसी तरह से जंगल भी बरबाद किये जा रहे है। अगर इस तरह से काम होता रहा तो हम कैसे उन्नति कर सकते है।

इतना ही नहीं पोलिटिकल गौर परसनल (वैयक्तिक) खींचातानी की वजह से इन मिनिस्टर के जिम्मे एक्साइज़ (उत्पादकर) का काम भी दे दिया गया है जिस से हम गरीब लोगों की तन्दुरुस्ती

[श्री बी० पी० सिन्हा]

में अग्रसर हो रहा है। इस से पहले जो मिनिस्टर इस विभाग के चार्ज में थे उन ने यह कहा था कि हम शराब बन्दी इस प्रान्त से हटा देंगे। इस का नतीजा यह हुआ कि उन को इस विभाग से ही हटा दिया गया। अब इस बिभाग को उस मिनिस्टर के हाथ में दिया गया है जो कि शराब बन्दी को कायम रखना चाहते हैं। इस को प्रान्त में कायम रखने के लिये यह उदाहरण दिया जाता है कि मद्रास में कांग्रेस की हार का कारण ही यहां है कि वहां पर प्रोहिबिशन लागू कर दिया गया था जिस की वजह से कांग्रेस की हार हुई। इस तरह से वह यहां के लोगों को खूब शराब पिलाना चाहते हैं जिस से कि गरीब जनता की हालत और भी खराब हो जाय।

मैं फूड मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करता हूं कि वह इन सब मामलों की जांच करने के लिये एक कमेटी बनायें जो कि ग्रो मोर फूड के बारे में जांच कर सके। जितना रुपया इस काम के लिये प्रान्तों को दिया गया है उस को ठीक तरह से इस्तेमाल किया है या नहीं। सरकार को इस बात का पता चलाना चाहिये कि किस प्रान्त को ग्रो मोर फूड के लिये कितना रुपया दिया गया था उस का उस ने ठीक तरह से इस्तेमाल किया या नहीं, यह कहा जाता है कि प्रान्त नये विधान के अनुसार आटोनमस (स्वायत्त) है। परन्तु जब वे केन्द्रीय सरकार से सहायता चाहते हैं तब यह केन्द्रीय सरकार का फर्ज हो जाता है कि वह जो रुपया देती है उस का अच्छी तरह से प्रान्तीय सरकारें इस्तेमाल कर रही हैं या नहीं इस की जांच करें। उन का यह कर्तव्य हो जाता है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से जो रुपया दिया जाता है वह बरबाद तो नहीं हो रहा है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस का सारे देश से सम्बन्ध है। हम लोग इस प्रश्न से बहुत समय से परेशान हैं, इस हाउस के सदस्य परेशान हैं। हम को इस तरह की कार्यवाही करनी चाहिये जिस से हमारा रुपया बरबाद न हो।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि अब मानसून का मौसम आ गया है हमारे पार्लियामेंट का एक विशेष सैशन खाद्य समस्या पर विचार करने के लिये किया जाय। इस के लिये मैं लीडर (नेता) से प्रार्थना करूंगा कि वह इस तरह का सैशन बुलायें। हम सब लोगों को जहां पर इस समय फसल का काम हो रहा है वहां पर जाना चाहिये और हर प्रकार की मदद किसानों को करनी चाहिये।

श्री बच्चिकोटैय्या (मसुलीपट्टनम्): इतिहास हमें बतलाता है कि एक समय हमारा देश खाद्य के विषय में आत्म-निर्भर था, किन्तु बाद में अंग्रेजों और विदेशियों के लगातार शोषण के कारण हम दूसरों के आश्रित हो गये थे। अब दुःख तो यह है कि कांग्रेस के पांच साल के राष्ट्रीय राज के बाद स्थिति वही है जो ब्रिटिश शासन काल में थी। इन वर्षों में देश का किसान अपने बच्चों तथा ढोरों के लिये खाद्य की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मारा मारा फिरता रहा है। वह पूछते हैं कि कांग्रेस और अंग्रेजों में भेद ही क्या है? आज भी भूमि कृषक के हाथ में नहीं बल्कि उसके शोषकों के हाथ में है। पंच वर्षीय योजना में किसानों की बहुत महिमा गाई गई है और कहा गया है कि उपज बढ़ाना उस पर निर्भर है। सिद्धान्त तो ठीक है किन्तु वास्तविकता क्या है? हमारे किसानों के प्रति क्या व्यवहार किया जाता

है ? देश के एक बहुत बड़े भाग में किसानों को न्यूनतम संरक्षण भी प्राप्त नहीं है।

विस्तार में जाते हुए, मैं समझता हूं कि समस्या का पूरी तरह हल करने के लिये तीन मौलिक चीजें होनी चाहियें। वे तीन चीजें क्या हैं और क्या वह इस देश में पाई जाती हैं ? वे यह हैं (१) जन-शक्ति, (२) उपजाऊ भूमि और (३) जल संसाधन। जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है, हमारे यहां जन-शक्ति बहुत है। इसकी संख्या भी अत्यधिक है और यह है भी उच्च कोटी की। उपजाऊ भूमियां हमारे पास बहुत हैं। जल संसाधन भी बहुत हैं और हम अपनी नदियों से बहुत जलविद्युत शक्ति पैदा कर सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में सरकार पांच साल से सत्तारूढ़ है किन्तु इस समस्या का हल नहीं कर सकी। क्या कारण है ? कहीं न कहीं तो त्रुटि होगी और यह त्रुटि क्या है और कहां है ? मैं कहता हूं कि यह त्रुटि सरकार की गलत नीति है, प्रकृति की प्रतिकूल अवस्था नहीं है। हमारे पास २५७ सिंचाई योजनाएं हैं। अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं पर हम ने एक वर्ष में १९५१ में १९,१/२ करोड़ रुपये खर्च किये हैं। कृषि के सुधार के लिये देशी और विदेशी कई अन्य योजनाएं हैं। विदेशों से खाद्य के आयात पर हम पांच वर्षों में ७३८ करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। किन्तु स्थिति में कोई संतोषजनक सुधार नहीं हुआ। जन साधारण कहता है कि इन योजनाओं का कोई लाभ नहीं। सत्य तो यह है कि इन योजनाओं से बड़े बड़े जमीदारों, सामन्तों और पूंजीवादी भूस्वामियों को ही लाभ पहुंचता है। गरीबों को कोई लाभ नहीं पहुंचता। साधारण कृषक इन योजनाओं से संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि इस समय केवल ६ प्रति शत जल संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है और केवल ३३ प्रतिशत भूमि में कृषि हो रही है और यही कारण है कि सरकार समय पर और अनुमानित राशि के अन्दर योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर सकती। जब तक हम भूमि के जोतने वालों को संतुष्ट नहीं करेंगे हम इस दिशा में कुछ प्रगति नहीं कर सकते। अन्त में, मैं अपने ठोस और रचनात्मक सुझाव आप के सामने रखूंगा। वे यह हैं : सामन्तवाद का बिना प्रतिकर के पूर्णतः उन्मूलन। यह एक विशेष अधिनियम के रूप में करना चाहिये। काश्तकारों तथा कृषि मजदूरों को प्रर्याप्त भूमि देनी चाहिये। मजदूरों और किसानों को उचित मजदूरी देना चाहिये। गरीब किसानों के सब ऋणों को माफ कर देना चाहिये और उन के लिये दीर्घकालीन और कम दरों पर ऋणों का प्रबन्ध होना चाहिये। भूराजस्व प्रणाली में अवश्य संशोधन होना चाहिये। भ्रष्टाचार, चोरबाजारी, परिवार पोषण और नौकरशाही का तुरन्त अन्त होना चाहिये।

श्री टी० एन० सिंह (जिला बनारस—-पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा अनुगृहीत हूं कि आप ने मुझे इस कठिन और जटिल समस्या पर बोलने का अवसर दिया। मेरी समझ में इस प्रश्न पर चूंकि यह जन साधारण से इतना सम्बन्ध रखता है, हमारी सब की कोई न कोई राय है ही और हम सभी आदमी अपनी राय जाहिर करने में जरा भी नहीं हिचकते। यहां जो मैं सुनता रहा हूं उस के बाद मुझे ऐसी धारणा हुई है कि बहुत सी बातें जो हम लोगों ने कहीं हैं उन पर कदाचित हम लोगों ने इस प्रश्न को गहराई तक सोचने का यत्न नहीं किया है। मेरी समझ में जो इस वक्त समस्या है उस के हमें दो हिस्से कर लेने चाहियें। एक तो प्रश्न यह है कि जो कुछ हमारे पास सामग्री है, जो कुछ भी हमारे पास भोजन

[श्री टी० एन० सिंह]

का अन्न है, उस का किस तरह से जनता में आवश्यकतानुसार समुचित और न्यायपूर्ण वितरण हो।

दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे यहां अन्न अधिक से अधिक उपजाया जाय। मेरी समझ में इस प्रश्न पर कि उस का वितरण कैसे हो, एक नीति हमारी गवर्नमेंट की पहले रही है और उस में अब हल्के हल्के तरमीम की जा रही है।

जहां तक नियंत्रण का प्रश्न है उस के बारे में मत स्थिर करने के लिये यह जानना आवश्यक है कि हमारे यहां अन्न कम है या नहीं। यदि उस की कमी है तो इस का यत्न जरूर होना चाहिये कि जितने लोग हैं उन में समान रूप से अन्न का वितरण हो और उस का उपयोग हो। मैं समझता हूं कि हमारे यहां अन्न की कमी है। इस का कारण है। अन्न की कमी कोई नई बात नहीं है। हमारे यहां अन्न की कमी रही है और अधिकतर जनता सदियों से आधे पेट खा कर रहती आ रही है। हमारे सामने यह प्रश्न है कि हम को जो अन्न मिलना चाहिये वह नहीं मिलता और जितना मिलना चाहिये उतना नहीं मिलता। गावों और शहरों के लाखों गरीब लोग हैं जिन का पेट नहीं भरता रहा है। इस का कारण यह भी कहा जा सकता है कि हमारी पर्चेजिंग पावर अर्थात् खरीदने की शक्ति कम है। लेकिन मैं इस के साथ साथ यह भी समझता हूं कि जहां खरीदने की शक्ति कम है वहां हमारी खेती करने के तरीके ऐसे रहे कि अन्न का उत्पादन कम होता है। हमारे यहां छोटी छोटी होल्डिंग्स (टुकड़े) बन गई हैं जिस के कारण पैदावार में कमी होती है। साथ ही यह भी ठीक है कि गेहूं, जौ और इस प्रकार के बहुत से और अन्न हैं जो हमारे यहां प्रचुर मात्रा में उत्पन्न नहीं होते क्योंकि गरीब जनता छोटे किस्म के गल्ले से अपना काम चलाती रही है। मैं यह भी समझता हूं कि जब से कीमतें बढ़ी हैं हमारे यहां जौ और गेहूं की मांग बढ़ी है, प्रोक्योरमेंट (समाहार) की वजह से या और किसी वजह से। मैं यह मानता हूं कि उस का उत्पादन भी बढ़ा है। जो आंकड़े सरकार की तरफ से दिये जाते हैं उन पर मैं विश्वास नहीं करता और मेरी समझ में हमारे मंत्री जी भी उन को नहीं मानते। यह तो ठीक ही है कि हमारे यहां खेती का क्षेत्र बढ़ा, ऐसा कहा जाता है कि करीब १३ लाख एकड़ ज़मीन हमारी जोत में आई है और उस में अन्न इत्यादि उत्पन्न हुये हैं। एक बात और हुई है जो मार्जनल लैंड (परती भूमि) यानी कम उपजाऊ परती ज़मीन है वह ज्यादा जोत में आई है और कैश क्राप (नकदी फसल) यानी रूई, जूट वगैरह के लिये अच्छी ज़मीन का उपयोग किया गया है और जो मध्यम श्रेणी की ज़मीन थी उस पर अन्न बोने का प्रकरण शुरू हुआ है। ऐसी हालत में यह हो सकता है कि जितनी एकड़ नई ज़मीन जोतने में आई हो उस के अनुसार हमारे यहां अन्न की वृद्धि न हुई हो। मेरी तो यह राय है कि हमारी सामूहिक आवश्यकता के मुकाबले में अन्न की कमी है और इस कमी के साथ एक और चीज़ हमारे सामने आती है कि जो खेत हमारे यहां लोगों की जोत में हैं उन की होल्डिंग्स बहुत छोटी हैं और उस का प्रभाव भी हमारे अन्न उत्पादन के यत्न के विरुद्ध ही पड़ रहा है। ज़मीन पर आश्रित लोगों का भार और बढ़ता जा रहा है और एक बीघा में या दो बीघा में ज्यादातर एक परिवार अपना निर्वाह कर रहा है। यही नहीं खेतों के और भी छोटे छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं। हमें यह समझ लेना चाहिये कि हमारे यहां छोटी छोटी होल्डिंग्स बनती जा रही हैं और उस को हम रोक भी नहीं सकते क्योंकि जो लोग

खेतों को जोतते हैं उन को हम उस ज़मीन पर हक भी देना चाहते हैं। तो इस तरह से खेती की होल्डिंग्स छोटी होती जाती है और जितनी छोटी ज़मीन की होल्डिंग्स होती आती है उतनी ही ज़मीन की उपज कम होती जा रही है। हमारे यहां अनएकानामिक (अनार्थिक) होल्डिंग्स की प्रवृति बढ़ रही है। नतीजा इस का यह निकलता है कि खेती से इस वक्त जो अन्न की मात्रा का उत्पादन होता है उस में ह्रास होने कि आशंका है। जितनी जनता की आवश्यकता है उस के अनुसार पैदावार न होने की जो प्रवृत्ति है उसे देखते हुए प्रश्न यह उठता है कि फिर हम क्या करें। अगर आप यह उम्मीद करें कि किसान अपने खेतों में पैसा लगा कर नये नये प्रयोग करेंगे तो आप गलती करते हैं। छोटे किसान के रास्ते में बड़ी दिक्कतें हैं। उस के अन्दर कोई कन्जर्वेटिज्म यानी रूढ़ि-वाद नहीं है। यदि कोई किसान प्लैन्ट और मशीनरी से अपने अनऐकानामिक होल्डिंग्स को अधिक उपजाऊ करने के प्रयत्नों में लगे भी तो भगवान की कृपा इतनी अनिश्चित है कि कौन जाने इस वर्ष पानी बरसे या न बरसे, और जो कुछ रुपया उस ने लगाया है उस के नष्ट हो जाने का भय रहता है। ऐसी हालत में मैं पूछता हूं कि कौन बड़े से बड़ा उद्योगवान, कौन बड़े से बड़ा व्यवसायी अपनी पूंजी ऐसे व्यवसाय में लगा सकता है। इसलिये अगर किसान उस में पूंजी लगाने से हिचकता है तो यह बात नहीं है कि उस में कोई कंजर्वेटिज्म है। अगर किसान ज्यादा पूंजी लगाने से हिचकता है तो बड़ा भारी सवाल यह खड़ा हो जाता है कि हम क्या करें। कुछ लोग कहते हैं फूड प्रोबलम (समस्या) हल नहीं होती है, यह नहीं होता है और वह नहीं होता। इस को समझ लेना चाहिये कि गरीब किसान के लिये यह मजबरी का सवाल है, कंजर्वेटिज्म नहीं। हमें सोचना चाहिये कि हम क्या करें। हम ने एक छोटी कमेटी में बैठकर इस के सम्बन्ध में बहुत कुछ सोचा और जो कुछ बातें हम लोगों ने तय की हैं वह आप के सामने आयेंगी। मैं यहां कमेटी की राय बतलाने के लिये नहीं आया हूं, बल्कि मेरी समझ में जो दो एक बातें आ रही हैं और जो बहुत ज़रूरी हैं उन्हें कहना चाहता हूं।

हमारे यहां रिसर्च डिपार्टमेंट (अनुसंधान विभाग) है, इस संकट काल में उस का पूरा उपयोग होना चाहिये। उसे सोचना चाहिये कि यह जो प्रश्न उठा है उस के लिये क्या किया जाय। आज दो वर्षों से मैं इस बात को चिल्ला रहा हूं और मैं ने कई बार कहा है कि हमारे यहां जब वर्षा कम होती है या साधारणतया अनिश्चित है तो वैसे अनाज और वैसी चीज़ें कौन सी हैं जो सूखे में भी उत्पन्न की जा सकती हैं वे ड्राई क्राप्स कौन सी हैं। मुझे आश्चर्य है कि तीस चालीस वर्ष से हमारा आई० सी० ए० आर० डिपार्टमेंट काम कर रहा है। उसे ड्राई क्रापिंग के बारे में कुछ अध्ययन करना चाहिये था। लेकिन आज तक उस की ओर से केवल दो पैम्फलेट पुस्तिकायें निकली हैं। उन को मैंने पढ़ा है। वे भी सन् १९४३ के बाद छपी हैं। और सिर्फ छोटे २ एक्सपैरीमेंट ज्वार और बाजरा से सम्बन्ध रखती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब हमारे यहां पानी बरसना इतना अनिश्चित है तो हम लोगों ने क्यों इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि पानी की कमी रहते हुए भी हम अन्न पैदा कर सकें। मेरी समझ में इस के लिये काफी गुंजायश है, और अगर हम इस में लग जायें तो कोई वजह नहीं है कि हम सूखे में भी अधिक उपजने वाले अन्नों का विकास न कर सकें।

[श्री टी० एन० सिंह]

दूसरी चीज यह है कि जैसा उन लोगों को मालूम होगा जो यहां गांवों से आते हैं, कि चतुर और मेहनती किसान अपने छोटे खेत में तीन तीन और चार चार फसलें करता है। यानी वह ऐसी फसलों को बोता हैं कि जो जल्दी पक जाती हैं, यानी चालीस चालीस पचास पचास और साठ साठ दिन में पक जाती हैं। अगर उसी दो बीघा खेत में तीन तीन और चार चार फसलें की जायें तो वह ६ या आठ बीघा के बराबर हो सकता है। तो जो हमारे यहां स्माल होल्डिंग्स का मसला है उस में भी इस तरह से सुधार किया जा सकता है और इस तरीके से उस का हल किया जा सकता है यह मेरी दृढ़ मति है।

इस के बाद यदि अध्यक्ष महोदय मुझे कुछ समय देंगे तो मैं चन्द बातें कन्ट्रोल के बारे में कहना चाहता हूं जिन के बारे में मैं अभी तक नहीं कह पाया हूं। कंट्रोल का प्रश्न बड़ा जटिल है और उस के प्रति जो हम लोगों का विरोध है, उस के प्रति जो हम लोगों के मन में दुर्भावना है उस का मुख्य कारण यह है कि कंट्रोल जिस तरह से लगाया गया है और जिस तरह से वह रोज ब रोज बरता जाता है उस से लोगों को बड़ा असंतोष है। इस में ठीक तरह से काम नहीं होता है, न्यायपूर्वक काम नहीं होता है। इसमें किसी को मत भेद नहीं होना चाहिये। और यह बहुत अच्छी बात होगी अगर हम सब मिल कर कोई ऐसा तरीका निकालें जिस से अगर हमारे यहां खुराक कम है तो उस का इस तरह से वितरण करें कि सब को कुछ न कुछ पेट भरने को मिल जाये। असली सवाल तो तब उठता है जब उस के बांटने में न्याय नहीं होता और लोगों में व्याभिचार बढ़ता है। इसी वास्ते इस का विरोध होता है, मुझे यह कहना है कि यदि हमारे यहां अन्न की कमी है, जो कि मेरी राय है, और अगर हम को सब के साथ न्यायसंगत व्यवहार करना है, तो हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम पहले ऐसा उचित प्रबन्ध करें जिस से सब के लिये न्याय पूर्वक वितरण हो सके। आज बहुत से लोग जो कि गेहूं खाने लगे थे वे गेहूं खाना छोड़ रहे हैं। सबसिडी (साहाय्य) हट जाने से बहुत से लोग अब गेहूं नहीं खरीद पाते। कहा जाता है कि गेहूं का आफटेक (खपत) बड़े शहरों में कम हो गयी है। मुझे इस से कोई खुशी नहीं हुई। आप के जो राशनिंग कमिटमेंट (राशन के लिये आभार) है वह इस तरह कम तो हो जाते हैं लेकिन जब मैं सोचता हूं कि हमारे यहां जो लोग गेहूं खाने लगे थे वह गेहूं छोड़ रहे हैं तो इस से मुझे खुशी नहीं होती। मैं समझता हूं कि इस हाउस के सदस्य कांग्रेस गवर्नमेंट के बारे में और जो कुछ कहें यह सब को मानना होगा कि हम ने गरीब से गरीब आदमी को यह दिखला दिया है कि वह भी जौ और गेहूं और अच्छे अनाज खा सकता है। तो इस के लिये आप को हमारी मदद करनी चाहिये। और हम को भी यह देखना चाहिये कि हमारे यहां क्यों न्याय पूर्वक वितरण नहीं हो सका। सिर्फ इस वास्ते कि अच्छा वितरण नहीं हो सका राशनिंग का अन्त नहीं करना चाहिये। शायद जो और चीज़ों के राशनिंग में भ्रष्टाचार होता है उस से गल्ले के राशनिंग में कम होता है। लोहे के राशनिंग में और कपड़े के राशनिंग में ज्यादा शिकायतें सुनने में आई हैं। लेकिन गल्ले के राशनिंग में शुरू के तजरबे के बाद बहुत सुधार हुआ है जिस भावना से हम और चीजों के कन्ट्रोल का विरोध करते हैं वह भावना इस में लागू नहीं करनी चाहिये। इसीलिये अन्न की राशनिंग की निन्दा करना उचित नहीं और न उसे एक दम हटाना ठीक होगा। इसलिये मैं अपने कृषि मंत्री जी से यह इस्तदुआ करूंगा कि

वह यह देखें कि यद्यपि राशनिंग हटाने से उन का दायित्व कम हो जाता है लेकिन क्या यह अच्छा होगा कि जो हमारे आदमी जौ और गेहूं खाते थे वह अब उनको नहीं मिलेगा।

खती के बारे में मैं और बातें कहना चाहता था परन्तु मेरा समय खत्म हो गया है। मुझे कुछ और बातें कहनी थीं लेकिन अब इस समय नहीं कहूंगा। मैं बड़ा अनुगृहीत हूं कि मुझे समय दिया गया।

श्री जनार्दन रेड्डी : जनाब ! आपने मुझ को यहां कुछ अपने ख्यालात ज़ाहिर करने का मौका दिया इस का में शुक्रिया अदा करता हूं।

जनाब बाला ! परसों और आज मुख्तलिफ असहाब ने फूड और ऐग्रीकल्चर पर अपने मुख्तलिफ ख्यालात का इज़हार किया। बाज मुखालिफ दोस्तों ने तो बहुत बुरी तरह नुक्ता चीनी की, लेकिन बाज साहिबान ने कुछ कान्स्ट्रक्टिव सजैशन भी दिये। जनाब! फूड और ऐग्रीकल्चर का मुआमिला इतना अहम है कि इस पर नुक्ता चीनी करना काफ़ी नहीं है बल्कि एक सिंसीयर वियू के साथ साथ कान्स्ट्रक्टिव सजैशन देने चाहियें। बाज़ असहाब ने तो कांस्ट्रक्टिव सजैशन दिये हैं मगर उस के साथ साथ हम को यह देखना चाहिये कि आज हम किस अवस्था से गुज़र रहे हैं। हमारी हुकूमत इस अवस्था को किस तरह फेस कर रही है। हमारा ग़ज़ाई मसला तकरीबन दूसरी जंग के खतम के बाद से या उस दौरान में शुरू हुआ जबकि जापान जंग में शरीक हुआ। जापान के जंग में शरीक होने से बर्मा और इन्डोचाईना से जो चावल हमारे यहां आता था और जिस से हमारी कमी पूरी होती थी वह रुक गई। उस के बाद बदकिस्मती से हमारे मुल्क को तकसीम कर दिया गया। मुल्क की तकसीम की बजह से तीन चौथाई आबादी अपने हिस्सा में आई सिर्फ दो तिहाई ज़मीन हमारे हिस्से में आई। जिस से हम गज़ा पैदा करते थे। इन कठिन अवस्थाओं में हमारी हुकूमत ने जिस जानकारी से कोशिश की और जिस दिलदेही से इस मसला को हल करने की कोशिश की मैं उस पर अपनी हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं। इस ग़ज़ाई मसला पर हुकूमत खामोश नहीं रही बल्कि अच्छे से अच्छे एक्सपर्टस को जैसे लार्ड वाईडोर को बुला कर इस मामले में उन की तज़ावीज़ मांगीं। इन में से बाज़ तजावीज पर हमारी हुकूमत ने तजुरबा किया। उस के बाद उस वक्त के जो आनरेबुल फूड मिनिस्टर थे उन का आठ प्वाइंट वाला प्रोग्राम भी इस में शामिल किया गया। जिस के तवस्सत्त से यहां की पैदावार ज़्यादा करने की कोशिश की गई और उस के साथ साथ यह भी देखा गया कि हमारे मुल्क से जो बरामद होता गया इस को किस तरह रोका जाये और हम इस तरह से अपने को सैल्फ सफिशैंट बनायें। यह सब तजावीज़ पार्लियामेंट के सामने पेश की गई और एक बिल पास हुआ। इन सब से पता चलता है कि हमारी हुकूमत ने बिल्कुल दिलदेही के साथ इस मुआमिले में कोशिश की। जनाब ! मैं आप से अर्ज करता हूं कि ग़जाई मसला कोई मामूली मसला नहीं है।

इस के साथ साथ हुकूमत ने एक बहुत बड़ा तजुरबा ग्रो मोर फूड का भी किया जिस के ज़रिये तकावी देना, तुख्म काश्तकारों में तकसीम करना नीज़ ट्यूब वैल्स बनाना और वेस्ट लैंड्स जो हैं उन पर काश्त करना यह सब काम किया गया। इस तरह से जो हुकूमत ने ज्यादा ग़ल्ला उगाओ के काम में कामयाबी हासिल की उसको मैं फिगर्स दे कर साबित कर सकता हूं। सन् १९३९ में हमारी पूरी पैदावार ४८ मिलियन टन थी, तकसीम के बाद गो सिर्फ हम को दो तिहाई ज़मीन मिली उस के बावजूद भी हमारी हुकूमत ने कोशिश की और ४२ मिलियन टन पैदा कर सकी। और उस का सिलसला १९०१ ई० तक जारी रहा जब कि

[श्री जनार्दन रेड्डी]

पैदावार ४१ मिलियन टन रही। उस के साथ साथ वेस्ट लैंड्स की जो काश्त की गई उस के बारे में एक सूबा के फिगर्स दे सकता हूं, वहां १६ हज़ार एकड़ वेस्ट लैंड्स पर काश्त की गई। इसी तरह से और प्राविंसिस में भी हुआ होगा।

एक आनरबुल मैम्बर : किस सूबे में ?

श्री जनार्दन रेड्डी : आसाम में। इस के साथ साथ हुकूमत ने स्पैशल ट्रैक्टर आरगेनाइजेशन के तहत में पैदावार को ज़्यादा करने के लिये जो कोशिश की उस की वजह से सन् ४८–४९ में ८२ हजार एकड़ ज़मीन उन ट्रैक्टर्स से जोती गई और सन् ४९–५० में ८० हजार एकड़। इन सब हालात से मालूम होता है कि हमारी हुकूमत ने अपने मकदूर भर कोशिश की और कर रही है। मगर मैं अर्ज करता हूं कि इस में शक नहीं कि गवर्नमेंट का एप्रोच काश्तकार तक एक हद तक ठीक नहीं है। हम ने अपनी पैदावार का इजाफा करने के लिये अपनी ग़ज़ाई इजनास में इजाफा करने के लिये सात सौ करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किये। इस के बावजूद भी आज हम देखते हैं कि हम डैफिसिट में हैं। इस की क्या वजह है? इस की वजह यह है कि हम जराअत को जिस तरह से समझते हैं, या काश्तकार तक, जो असल पैदावार करने वाला है तक, जो हमारा एप्रोच है उस में कहीं गलती है।

हम ने जो कुछ कोशिश की उस से हम अपने एक्रेज में जो पैदावार होती है उस को भी न बढ़ा सके। मैं आपको दूसरे ममालिक का मुकाबिला करके बता सकता हूं कि हमारी क्या हालत है। ईजिप्ट में चावल की एकड़ ३४४८ पौंड पैदा होता है। जापान में ३९०९ पौंड पैदा होता है, इटली में ४८१० पौंड पैदा होता है. मगर हिन्दुस्तान में सिर्फ ९३९ पौंड चावल फी एकड़ पैदा होता है। इसी तरह से गेहूं जापान में २०१० पौंड फी एकड़, कनाडा में ११९८ पौंड, इटली में १३७४ पौंड और इंगलैंड में २०६५ पौंड पैदा होता है अगर हिन्दुस्तान में गेहू फ़ी एकड़ ८८४ पौंड पैदा होता है। इस से मालूम होता है कि हम ने देश में अपनी पैदावार बढ़ाने की कोशिश की लेकिन हमारा एप्रोच ठीक न होने से पैदावार नहीं बढ़ी।

हमारा मुल्क नाकस पैदावार करता है और इस के मुतल्लिक १४ जून को आनरेबुल प्राइम मिनिस्टर साहिब ने ब्राडकास्ट में फरमाया कि मुल्क की पैदावार बिल्कुल नाकस है। इसलिये हम वह काम्याबी हासल नहीं कर सकते जो कि दूसरे मुल्कों ने हासल की है। जनाबवाला ! मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि इस हमारे मुल्क की अराजियात नाकस नहीं हैं। पैदावार की कूअत की उस में कमी नहीं है बल्कि इस की जरखेजी और इस की पैदावार की कूअत किसी दूसरे मुल्क की अराजियात से कम नहीं है और हमारे जो कुदरती रसायल हैं वह दूसरे ममालिक से बहुत बेहतर हैं। मगर इस के बावजूद हम क्यों डैफिसिट में हैं इसे हमें सोचना चाहिये। इस का असली सबब यह है कि हमारे जो तरीके हैं वह बिल्कुल दकयानूसी हैं। हम इसी तरह से काश्त करने में फख़र समझते हैं कि जिस तरह पहले करते थे और जिस के हम आदी हैं। हमारी जराअत में वह इन्कलाबी असूल नहीं है जिनको कि दूसरे ममालिक में एडाप्ट किया जाता है। यही वजह है कि हमारा मुल्क जो जराई मुल्क कहलाता है और जिसकी ९० फीसदी आबादी जराअत पैशा है वह अपने गजाई डिफिसिट को दूर नहीं कर सका। हम को तो ऐसा करना चाहिये कि बजाये इस के कि हम अपनी भूक को मिटाने के लिए दूसरे ममालिक की तरफ आंखें विछायें हमें दूसरे की भूक मिटाने के लिए देना चाहिए था। लेकिन हमारा एप्रोच गलत होने की वजह से गो कि हमें आजादी मिल गई है अपनी भूक को मिटाने के लिए दूसरे ममालिक से कुछ हद तक मदद लेते से

और यह बात हमारे लिए कोई फखर की नहीं है। गो कि हम छोटी २ कोशिशें कर रहे हैं मगर इसके साथ २ बाज ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से हमें अपने छोटे मोटे कामों में भी कामयाबी नहीं हो रही है। इस डैफिसिट की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं और मैं आप से अर्ज करूंगा कि इस की वजह जो सब से बड़ी वजह है वह है काश्तकार की मुफलिसी। जनाब ! हमारे हिन्दुस्तान का काश्तकार इतना मुफलिस है, इतना गया गुजरा है, इतना नीचे गिरा हुआ है कि वह अपनी पैदावार में अजाफ़ा करने के लियें बहुत कुछ कोशिश करता है लेकिन वह नाकाम्याव होता है। इस की इक्तसादी हालत इतनी पस्त है कि वह यही सोचता है कि हमें तो अपने को और अपने खान्दान को पालने के लिए ज़िन्दा रखने के लिए पैदा करना है। चूंकि हमारा एप्रोच काश्तकार के पास तक नहीं है इसलिए उस की आज भी वही हालत है जो पहले थी। हम सात सौ करोड़ रुपया या इस से भी ज़्यादा खर्च करके भी डैफिसिट को दूर नहीं कर सके। लिहाजा सब से पहले हम को सोचना चाहिए कि वजूहात क्या हैं। मेरे नजदीक पांच वजूहात हैं। एक तो काश्तकार की मुफलिसी, दूसरे नेचर का साथ न देना, तीसरे आवादी, चौथे समाजी खराबियां और पांचवीं हकूमत का काश्तकार तक ठीक एप्रोच नहीं होना। वाकई नेचर ने हमारा साथ नहीं दिया। बिहार और आसाम के जलजले, रायलसीमा का कहत, रायलसीमा और दूसरे मुकामात पर वक्त पर बारिश न होना यह सब ऐसी चीजें हैं जिन के लिए हमारा मुल्क बहुत बदकिस्मत है। इस के साथ साथ हमारी बदकिस्मती यह भी है कि हर साल हमारी आबादी बढ़ती है और यह इतनी बढ़ गई है कि पैदावार उस का साथ नहीं दे सकती। इस के अलावा रेफयूजीज भी हैं। लेकिन यह सब ठीक हो सकता वशर्ते कि हमारा एप्रोच ठीक होती।

जनाब ! ग्रो मोर फूड के तरह यानी ज्यादा गला पैदा करने के लिये जो तकावी दी जाती है उस की ठीक वसूली काश्तकार को नहीं होती। इस को हासिल करने के लिए उस को कई कठिन मन्जिलों को तै करना पड़ता है और इतना करने पर भी उस को जो रकम मिलती है वह बहुत थोड़ी होती है। जो तुखम उस को दिया जाता है वह नाकस तुखम होता है। अगर अच्छा तुखम काश्तकार को दिया जाये तो जितनी पैदावार अभी है उस से २९ फीसदी ज्यादा पैदावार हो जायेगी और वह भी इतनी ही अराजियात में जितनी कि अब होती है। हमारा डैफिसिट दस फीसदी ही कहा जाता है। इस तरह से अच्छे तुखम के देने से ही वह डैफिसिट दूर हो सकता है। इस तरह जो खाद दी जाती है वह भी नाकस किसम की होती है। इस के अलावा जो बीमारियों को बचाने की तरकीबें हैं और उन के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल होता है उन को भी काश्तकारों को वक्त पर नहीं दिया जाता। हालांकि पैम्फलेट्स निकाले जाते हैं लेकिन बीमारियों का इलाज वक्त पर नहीं होता ; काश्तकार की मदद वक्त पर नहीं होती। इस लिए में अर्ज करूंगा कि काश्तकार के साथ अरास्त एप्रोच होना चाहिये। इस के इलावा मैं यह अर्ज करूंगा कि जानवरों की अफजाईस होनी चाहिये। अभी हमारा मुल्क मैकेनाइज्ड नहीं हुआ है और चूंकि हमारा काश्तकार बहुत गरीब है इसलिए अगर हमें अपनी जराअत में अच्छी पैदावार हासिल करनी है तो जानवरों की अफजाइश करनी चाहिए। इस के अलावा ज्यादा पैदावार के लिए हम को एक किसम का वैलैंस्ड कल्टीवेशन (संतुलित खेती) इख्तियार करनी चाहिए। आज देखा जा रहा है कि इसी की खेती काश्तकार कर रहा है जिस में ज्यादा पैसा मिलता है जैसे ईख

वगैरह ; लहाज़ा ऐसा होना चाहिए कि कम से कम ६० फीसदी जमीन पर हमें अजनास जरूर पैदा करनी पड़े। सब से बड़ा जो हमारा डिफैक्ट है वह यह है कि हम बड़े बड़े प्रोजैक्ट की तरफ जा रहे हैं। इस में शक नहीं है कि बड़े बड़े प्रोजैक्ट मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी हैं लेकिन छोटे प्रोजैक्ट हम को जिन्दा रखने के लिए और भी जरूरी हैं। इस लिए हमें छोटे छोटे प्रोजैक्ट्स की तरफ ज्यादा जोर देना चाहिए ।

यह भी में अर्ज करूंगा कि हमारी पैदावार की कमी की जो सब से बड़ी वजह है वह जमीदारी सिस्टम है। जमींदार चाहता है कि वह काश्तकार से जहां तक हो सके रुपया वसूल करे और काश्तकार यह देखता है कि में तो इस जमीन का मालिक हूं नहीं आज नहीं तो कल बेदखल किया जा सकता हूं और जब तक में रुपया देता हूं तब तक मैं जोतता हूं और जब नहीं दूंगा तो दूसरा जोतेगा। वह जमीन को अपनी नहीं समझता और इस ख्याल के मातहत वह इस जमीन से इतना ही हासिल करना चाहता है जितना कि आसानी से हासिल कर सकता है। और वह उस की जरखेजी में अजाफा करने की कोशिश नहीं करता । इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि सब से पहले जमींदारी का खातमा हो जाना चाहिए ।

जनाब ! अगर हमें गजाई मसला को बेहतर बनाना है तो हमें रसम व रिवाज में और अननेसैसरी सैरेमनीज (अनावश्यक उत्सव) में जो गजा का वेस्ट हो रहा है उसको भी कम करना चाहिए । जब तक हम इस वैस्ट को कम नहीं करेंगे तब तक गजाई सूरत हाल ठीक नहीं हो सकती।

मेरा ख्याल है कि अब टाइम हो रहा है और बहुत सो बातों पर अपने ख्यालात का इजहार करना है लेकिन अब एक दो खास बातें कह कर ही खतम कर दूं। यह आम बात है कि जब तक जरई लेबर का मयार ठीक न हो तब तक अच्छी पैदावार नहीं कर सकते । इससे ही जराअत में अजाफा हो सकता है । इसलिए यह जरूरी है कि हम उन की हालत को बहतर बनायें और चूंकि जरई में हरिजन ज्यादा हैं इसलिए अगर उन की मजदूरी में अज़ाफा किया जाये तो उन की भी हालत में सुधार हो सकता है।

में अर्ज करूंगा कि अगर हमें गजाई सूरत ठीक बनाना है तो दो चीजें जरूर करनी चाहिएं। एक तो जमींदारी का खातमा होना चाहिए और दूसरे कन्ट्रोल का खातमा होना चाहिए। मैं अपने आनरेबुल फूड मिनिस्टर को जो उन्होंने कन्ट्रोल से निकलने का जरिया निकाला है उस के लिए मुबारकबाद देता हूं ।

श्री एन० सोमना (कुर्ग)। मेरी राय में इस समस्या पर दो पहलुओं से विचार करना चाहिये। पहला पहलू दीर्घकालीन योजना का है और दूसरा अल्पकालीन योजना का है । जहां तक दीर्घकालीन योजना का सम्बन्ध है, में सरकार द्वारा किये गये उपायों की पूरी सराहना करता हूं। बहु-प्रयोजनीय परियोजनाएं और बड़े बड़े बांध जो सरकार बना रही है अन्त म बहुत आवश्यक और उपयोगी सिद्ध होंगे ।

अल्प-कालीन योजना के बारे में, जिसे में बहुत महत्त्वपूर्ण समझता हूं, में कुछ सुझाव दूंगा, जिन पर खाद्य मंत्रालय विचार कर सकता है ।

अल्पकालीन योजना में सब से आवश्यक चीज घनी कृषि है और इसके लिये सिंचाई की छोटी योजनाएं अनिवार्य हैं। मैं आशा करता हूं कि खाद्य मंत्रालय इस मामले पर

सुरन्त ध्यान देगा और इस प्रयोजन के लिये राज्यों को पर्याप्त धन देगा ।

रैय्यत की कठिनाइयों को दूर करना भी सरकार के लिए आवश्यक है । एक रैय्यत खाद्यान्न के स्थान पर नगदी फसलें पैदा करना अधिक अच्छा समझता है क्योंकि खाद्यान्न के मूल्य अन्य नगदी फसलों के मूल्यों के मुकाबले में कम होते हैं इसलिए उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न के मूल्यों को यथासंभव ऊंचे स्तर पर ले आना आवश्यक है ।

कृषकों की अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा करना पड़ेगा । जैसा कि श्री नेत्वी ने कहा है, खाद को समय पर और सस्ते दामों पर मुहय्या करना चाहिए । छोटे किसान खाद नहीं खरीद सकते । सरकार को उन्हें खाद के लिए ऋण देने चाहिएं, जो कि वे दीर्घकालीन आधार पर चुका सकें । रैय्यत के लिए एक और बड़ी कठिनाई ग्रामों में उचित परिवहन के साधनों की कमी है । इस कमी के कारण वह अपनी पैदावार समय पर नगरों में नहीं पहुंचा सकता । उसके लिए डाक्टरी सहायता का प्रबन्ध करना भी आवश्यक है । कृषि के मौसम में यदि वह बीमार पड़ जाता है, तो डाक्टरी सहायता न होने के कारण वह उचित रूप से और समय पर कृषि नहीं कर सकता और उसकी फसल को हानि पहुंचती है । इसके अतिरिक्त आजकल के जमाने में रैय्यत अपने जीवन की साधारण जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकता । कृषि उपकरण और ढोर उनके लिये बहुत महंगे हैं । सरकार को चाहिये कि वह रैय्यत की इन साधारण जरूरतों को सस्ते दामों पर पूरा करे । वह अपने लिये पर्याप्त कपड़ा भी नहीं खरीद सकता । अब समय आ गया है जबकि सरकार को कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए ताकि रैय्यत को सस्ते दामों पर कपड़ा मिल सके ।

अन्त में मैं अपने राज्य कुर्ग के बारे में एक दो शब्द कहूंगा । कुर्ग यद्यपि आधिक्य वाला राज्य है, फिर भी जहां तक सिंचाई की छोटी योजनाओं का सम्बन्ध है, इन के लिए भारत सरकार ने पर्याप्त धन नहीं दिया । यदि केन्द्र अधिक रुपया दे, तो हम धान की फसल दुगनी कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त मुझे भय है कि सदन में बहुत से सदस्य हमारे राज्य में नारंगी की खेती के महत्त्व को नहीं समझते । इस समय इसकी बहुत गम्भीर स्थिति है । 'फ़ैंचिंग' की बीमारी से, जिसके लिए कृषि विभाग कोई उपाय नहीं निकाल सका, फसल बरबाद हो रही है । नारंगी की खेती के लिए उचित परामर्श और पर्याप्त सहायता देने के लिए कुर्ग में एक अनुसंधान केन्द्र खोलना आवश्यक है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे खाद्य मंत्री ने खाद्य नीति और क्रमशः नियन्त्रण हटाने के बारे में जो मार्ग अपनाया है, वह मार्ग ठीक ही है और मुझे विश्वास है कि वे अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मेरी राय में जहां तक खाद्य तथा कृषि का सम्बन्ध है, वर्तमान सरकार की नीति एक अनियन्त्रित और निराशामूलक नीति है । यदि हम इस नीति का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि गत पांच वर्षों में सरकार ने कभी तो नियंत्रण लगाया है और कभी हटाया है । १९४६ में जब कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई, तो उसने नियन्त्रण की नीति अपनाई किन्तु १९४७ में महात्मा गांधी के दबाव में आ कर उन्होंने अपनियन्त्रण की नीति शुरू कर दी । इस से मूल्य बढ़ गये और दो वर्ष तक तो कांग्रेस सरकार ने बढ़े मूल्य रहने दिये । इसके बाद जब लोगों में घबराहट फैली और शिकायतें आने लगीं, तो एक ऐसी नीति निर्धारित करने के बजाय, जिस से स्थिति सुधरे, सरकार ने फिर

[श्री एस० एस० मोरे]

जल्दी से नियन्त्रण लगा दिये। मेरा निवेदन है कि वास्तव में सरकार की कोई नीति है ही नहीं।

कांग्रेस ६० वर्षों से अंग्रेजों की आलोचना करती आ रही है। जब हम अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो हमारा सारा जोर इस बात पर होता था कि अंग्रेज हमारा शोषण करते हैं और उन के कारण हमें कष्टों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारा दावा यह था कि राष्ट्रीय सरकार बनते ही ये सब कष्ट और दुःख दूर हो जायेंगे। राष्ट्रीय सरकार अब पांच वर्ष से सत्तारूढ़ है। परन्तु इस ने क्या किया है? क्या अब अकाल का अन्त हो गया है? नहीं। अंग्रेज अपने पीछे अकाल, बीमारी, अक्षमता, भ्रष्टाचार और अन्य सब बुराइयां जो कि उन के शासन में यहां थीं, वैसे ही छोड़ गये हैं।

मैं समझता हूं कि खाद्य की समस्या ऐसी है जिस पर हमें बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए और अपनी सारी शक्ति इसे हल करने में लगानी चाहिए। दुर्भाग्य से हमारी सरकार ठीक रास्ते पर नहीं चल रही है। हमारी कृषि में बहुत कमियां हैं। सब से पहली चीज तो यह है कि कृष्य भूमि तो कम है किन्तु जनसंख्या अधिक है। कांग्रेस के बनने के समय से ही हम यह कहते रहे हैं कि लोगों को अन्य काम देकर भूमि पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को कम किया जाये। इस दिशा में हमने कुछ भी नहीं किया। जमींदारी का उन्मूलन करना होगा किन्तु सरकार इन्कार कर रही है। लोगों को भूमि की भूक है और जब तक आप उनकी यह भूक नहीं मिटाएंगे वे संतुष्ट नहीं रहेंगे और आप चाहे कितने ही निवारक निरोध अधिनियम क्यों न बनायें लोग इनका विरोध करेंगे और क्रांतिकारी तरीके अपना कर उन लोगों से जो कि परोपजीवी हैं और परिश्रम करने वाले किसानों के परिश्रम पर पलते हैं, भूमि छीनने की चेष्टा करेंगे। वर्तमान सरकार को मैं यह सुझाव दूंगा कि इस परोपजीवी तत्वों का, जो भूमि के स्वामी हैं और जो काश्तकारों का खून चूसते हैं, अस्तित्व ही मिटा देना चाहिए और उन की भूमि लेकर किसानों में बांट देनी चाहिए। स्वयं पंडित नेहरू ने १९२८ में यह सुझाव दिया था कि जमींदारी को केवल थोड़े से न्यायसंगत मामलों को छोड़ कर बिना प्रतिकर के ही हटा देना चाहिए। इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करना चाहिए।

निराशा से प्रभावित हो कर अब हमारी सरकार अपनियन्त्रण की नीति अपनाने लगी है। परन्तु इस से हमारे कष्ट और दुःख और भी बढ़ेंगे, क्योंकि मूल्य बढ़ जावेंगे और छोटे छोटे किसान जिनके पास भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हैं ठहर नहीं सकेंगे। कुछ लोग उन का सब खाद्यान्न न्यूनतम मूल्य पर खरीद लेंगे और अनुचित संग्रह करेंगे जिस के फलस्वरूप कई लाख व्यक्तियों को अत्यधिक बढ़े हुए मूल्यों के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यदि सरकार नियन्त्रणों को प्रभावोत्पादक बनाना चाहती है, तो सही नीति यह है कि भ्रष्टाचार का अन्त किया जाये।

हम अपनी योजनाएं बनाने में व्यस्त हैं। मैं नहीं समझ सकता कि कुछ निश्चित नियन्त्रणों के बिन एक आयोजित अर्थ-व्यवस्था कैसे क्रियान्वित की जा सकती है। आयोजन नियन्त्रणों के बिना हो ही कैसे सकता है। मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि एक ओर तो सरकार अपनी योजनाएं बना रही है किन्तु साथ ही वह नियन्त्रणों को हटा रही है अर्थात् उस नींव को हटा रही है जिस पर आयोजित अर्थ-व्यवस्था स्थापित की जा सकती है।

वित्त मंत्री ने खाद्य साहाय्य को बन्द करना भी उचित और बुद्धिमत्तापूर्ण समझा है। परिणाम यह है कि मूल्य बढ़ गये हैं। मैं समझता हूं कि इस नीति से लोगों में भुकमरी बढ़ेगी। सब से अधिक कष्ट मध्यम वर्ग के लोगों और श्रमिकों को होगा और मध्यम वर्ग के परिवारों में पर्याप्त खाद्यान्न न मिलने के कारण स्त्रियों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि हम पिछले पांच वर्षों के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि स्त्रियों की मौतें बढ़ गई हैं और इसका कारण भुकमरी है। जब हम साहाय्य की बात करते हैं, तो कांग्रेस के कुछ लोग यह कहने लगते हैं कि खाद्य की उपज बढ़ने की बजाय आबादी बढ़ रही है। हम अब भारत में ऐसे विशेषज्ञ ला रहे हैं जो हमें परिवार आयोजन के सम्बन्ध में परामर्श देंगे। पंच वर्षीय योजना में भी इस का उल्लेख किया गया है। मेरा कहना यह है कि चूंकि लोग गरीब हैं और उन के पास खाने को कुछ नहीं, इस लिए वे अधिक बच्चे पैदा करते हैं। यदि उन्हें रहने के लिए अच्छे मकान दिये जायें और खाने के लिए पर्याप्त खाद्य, तो वे कम बच्चे पैदा करेंगे। अतः मेरा निवेदन यह है कि यदि आप चाहते हैं कि गरीब लोगों की सन्तान कम हो, तो आप उनकी गरीबी दूर करें उन्हें पर्याप्त खाद्य और अच्छे मकान दें और उन्हें सुखी और सन्तुष्ट बनायें।

कृषि समस्या के सम्बन्ध में एक बात और है जिस पर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए। वह यह है कि ग्रामीण लोगों को उनकी उपज के लिए जो मूल्य दिये जाते हैं, वे आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होते। मैं यह कहूंगा कि पहले उनकी स्थिति सुधारनी चाहिए, उन्हें सुखी और संतुष्ट करना चाहिए। आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है और वह यह है कि किसानों को उचित मूल्य दिये जायें और उसे वह सब मशीनी सामान और खाद आदि देने चाहिएं, जिस से कि उपज बढ़ती है।

डा० पी० एस० देशमुख (अमरावती पूर्व) : माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री के लिए यह कार्य-विभाग नया है। उन्होंने देश की स्थिति को भिन्न तरीके से आंका है और उन्होंने नीति भी भिन्न अपनाई है। उन्होंने अपनियन्त्रण को प्रोत्साहन देने की जो नीति अपनाई है, वह भी साहस पूर्ण है। मैंने स्वयं नियन्त्रण को कभी पसन्द नहीं किया। वह इस लिए कि नियन्त्रण के अन्तर्गत कृषकों को उचित मूल्य नहीं मिलते और सारा लाभ दलाल या व्यापारी उठाते हैं। उन्होंने नियन्त्रण से इतना लाभ कमाया है कि ये उनके लिए निहित स्वार्थ बन गया है। अपनियन्त्रण की नीति और प्रयोग की सफलता की आशा करते हुए मैं यह सुझाव दूंगा कि साथ ही कुछ ऐसे पग भी उठाने चाहिएं, जिन से कि बीच के लोगों या व्यापारियों के हस्तक्षेप को कम से कम किया जा सके। अपनियन्त्रण करते समय व्यापारियों को हटा देना चाहिए और जहां भी संभव हो उनका स्थान सहकारी संस्थाओं को देना चाहिए। सिवाय इन संस्थाओं के और किसी को खाद्यान्न का व्यापार करने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए और इन संस्थाओं को खाद्यान्न निश्चित मूल्यों पर मिलना चाहिए।

जहां तक रुई का सम्बन्ध है, मैं मूल्यों के बारे में, सरकार की नीति से सहमत नहीं हूं। इस से केवल बीच के व्यापारियों को लाभ हुआ है। यदि रुई के साथ, अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भी सामान्य कमी हुई होती, तो बात समझ में आ सकती थी। किन्तु रुई का मूल्य तो ३३५ रुपये से १३५ रुपये प्रति खंडी तक गिर गये हैं और अब फिर २५० रुपये हो गया है। कृषि मंत्रालय लोगों को अधिक रुई उगाने के लिए प्रोत्साहित तो करता है, किन्तु मूल्य निर्धारण में इस का कोई हाथ नहीं होता। ये मूल्य वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

[डा० पी० एस० देशमुख]

निश्चित करता है और इस विषय में कृषि मंत्रालय से कोई परामर्श नहीं लिया जाता। मैं आशा करता हूं कि माननीय कृषि मंत्री से परामर्श किये बिना रुई की नीति और इसके मूल्यों में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। मैं अनुरोध करूंगा कि रुई के न्यूनतम मूल्य, विशेषतया जरीला रुई के मूल्य कम कम २०० रुपये बढ़ा देने चाहिएं। रुई सम्बन्धी नीति घोषित करने में भी कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए अन्यथा जत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

नीति के सम्बन्ध में, मैं यह कह सकता हूं कि श्री मुन्शी ने काफ़ी सफलता प्राप्त की है और इस में संदेह नहीं कि वर्तमान मंत्री भी सफल होंगे। विरोधी पक्ष की ओर से कई बार शिकायत की जाती है कि लोगों में उत्साह नहीं पैदा किया जाता। किन्तु यह किस की जिम्मेदारी है? आप वन महोत्सव को लीजिये। इसे मखौल समझा जाता है और अधिकतर लोग इस की हंसी उड़ाते हैं। क्या केन्द्रीय सरकार ने वनमहोत्सव शुरू करने में कोई गलती की है? मैं पूछता हूं कि विरोधी पक्ष ने लोगों में उत्साह पैदा करने के लिए क्या किया है। इस सदन के सदस्यों के भी तो कुछ कर्तव्य हैं। उत्साह तो तभी पैदा होगा यदि आप रचनात्मक कार्यों में सरकार को पूरा सहयोग देंगे। हम सरकार की गलतियों पर आलोचना तो करते हैं, किन्तु यह नहीं सोचते कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिन्हें हमें स्वयं करना चाहिए।

मुझे इस बात का हर्ष है कि अधिक अन्न उगाओ समिति ने मान लिया है कि अपव्यय काफ़ी हुआ है। मैं समिति के इस सुझाव का स्वागत करता हूं कि १० करोड़ रुपये सिंचाई की छोटी छोटी परियोजनाओं पर खर्च किये जाने चाहिएं। मैं यह भी कहूंगा कि १० करोड़ रुपये और ग्रामों में सड़कें बनाने पर खर्च किये जाने चाहिएं। सड़कों से समृद्धि बढ़ेगी, क्योंकि सड़कों के बनने से ही कृषक अपनी पैदावार को उचित मूल्यों पर बेच सकेंगे। यह एक महत्वपूर्ण बात है। अन्त में मैं केवल यह सुझाव दूंगा कि माननीय मंत्री को रुई को बेचने की समिति की रिपोर्ट को जांच में शीघ्रता लानी चाहिए और उस में दी गई सिफारिशों को जो कि रुई उगाने वालों के लिए बहुत लाभदायक हैं, जल्दी कार्यान्वित करना चाहिए।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन): अध्यक्ष महोदय जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। दूसरे मैं भारतीय सरकार के प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्हों ने बिहार के अकाल में बड़ी मदद की। वह बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। अगर बिहार के अकाल में केन्द्रीय सरकार मदद न करती तो बिहार के बहुत से आदमी मर जाते। मैं अपने अनुभव से बतलाता हूं कि मेरे गांव की आबादी १२ सौ है। मैं ने हिसाब लगाया तो साल भर में दो सो आदमियों के पास खाने को गल्ला था। दो सो आदमियों के पास भी अपने मज़दूरों को देने के लायक गल्ला नहीं था यहां से, केन्द्रीय सरकार से, जो गल्ला गया उस गल्ले को खा कर के ८० फी सदी आदमियों ने अपनी जान को बचाया। बहुत से भाई कहते हैं कि सरकार ने क्या मदद की। मैं आप से कहता हूं कि आप चलिये और बिहार के गांवों में एक एक बच्चे से, एक एक औरत से, एक एक बूढ़े से पूछिये कि केन्द्रीय सरकार ने क्या किया और यही कारण है कि इस वर्ष चुनाव में हम लोगों को काफी सफलता मिली है।

मेरे एक भाई ने कुछ बातें कहीं जो मैं समझता हूं कि अप्रासंगिक बातें थीं । मैं जानता हूं कि उस विभाग में कैसे काम होता है । उस विभाग में कुछ दिनों तक मैं आनरेरी इंस्पैक्टर (अवैतनिक निरीक्षक) था और उस हैसियत से गांव गांव में घूमने का मुझे मौका मिला है, हर एक आइटम (चीज़) को मैंने देखा है, यह नहीं है कि माइनर इरीगेशन (छोटी सिंचाई) के काम को मैं ने नहीं देखा है, हर एक आइटम को मैं ने देखा और गांव वालों से पूछा और जांच पड़ताल की और उस पर मैं ने रिपोर्ट की । मुझे एक रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एक रिपोर्ट सेक्रेटरी को भेजने का हक था । उस डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है । हां यह ज़रूर था कि रैवेन्यू डिपार्टमेंट की बहाली हुई थी कि जब ज़मीदारी अबालिशन (उन्मूलन) हो जायगा तब वह काम करेगा । लेकिन ज़मींदारी अबालीशन का काम रुक गया, उस का कारण यह था कि सुप्रीम कोर्ट में वह मुक़द्दमा आया और तब तक वह काम मुलतवी हो गया था लेकिन उस डिपार्टमेंट ने पूरा काम किया उस ज़माने में जब कि बिहार में अकाल था । उस डिपार्टमेंट वालों ने गांव गांव में जा कर राशन कार्ड बनाया था, लाल कार्ड को बनाया था जो कि इस लिये था कि जिन के पास कुछ नहीं था उन को सरकार से मुफ्त मदद मिलती थी । यही नहीं, उस डिपार्टमेंट वालों नें गांव गांव में जा कर क़र्ज़े का बंटवारा भी किया । आप कहते हैं कि उस डिपार्टमेंट की क्या ज़रूरत है । मैं पूछता हूं कि अगर वह आर्गेनाईजेशन (संघटन) पहले से नहीं होता तो कौन सा डिपार्टमेंट था जो उस काम को करता ?

पंडित ऐस० सी० मिश्र (मुंगेर उत्तर-पूर्व) : कमीशन बैठाइये, कमीशन ।

श्री विभूति मिश्र : मुझे अनुभव है, मैं आप से पुराना कार्यकर्ता हूं घबराइये नहीं ।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ज़रूरी है कि और कोई काम करते हैं तो उस में थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर नष्ट होता है लेकिन उस के मेजर पोर्शन को देखना चाहिये कि इस डिपार्टमेंट ने कितना काम किया है ।

अब मैं कुछ फोरेस्ट (वन) के बारे में कहना चाहता हूं । जिले में दो ज़मींदारों के फोरेस्ट हैं, एक बेतिया राज का और दूसरा रामनगर राज्य का । आज भी आप देख सकते हैं कि बेतिया राज का कितना अच्छा फोरेस्ट है, दूसरा एक प्राइवेट जमीदार का था जिसको कि गवर्नमेंट ने ले लिया है और जब से उस को गवर्नमेंट ने लिया है आप जा कर देखिये कि फोरेस्ट किस तरह से हरा भरा हो रहा है और किस तरह से बढ़ रहा है ।

एक्साइज के बारे में कहा गया । एक्साइज़ तो ऐसी चीज़ है जो कि आल इंडिया पालिसी की चीज़ है । यह सारी गवर्नमेंट की पालिसी है, सारे बिहार कैबिनेट की इसमें ज़िम्मेदारी है । यहां से, सेन्टर से तय होता है कि यह होना चाहिये । अगर यहां से यह तय कर दिया जाय कि सारे देश में प्राहिबिशन (मद्यनिषेध) कर दिया जाय तो अच्छा होता । लेकिन ज़रा देखिये, एक तरफ़ कहते हैं कि प्राहिबिशन मद्रास में हुआ सो ख़राब हुआ । लेकिन दूसरी तरफ़ कहते हैं कि बिहार में नहीं हुआ सो ख़राब हुआ । तो आप सोचिये कि दोनों में कौन सी बात चाहते हैं । उन्होंने यह भी कहा कि माइनर इरीगेशन का जो डिपार्टमेंट रखा गया है वह बेकार डिपार्टमेंट रखा गया है । मैं तो समझता हूं कि वह डिपार्टमेंट साकार रखा गया है क्योंकि माइनर इरिगेशन से मेरे

[श्री विभूति मिश्र]

ज़िले में, कम से कम चम्पारन ज़िले में बहुत लाभ हुआ है, लास्ट ईयर (गत वर्ष) जब कि हम लोगों का खेत सूख रहा था तो उस डिपार्टमेंट ने बांध बनवाया, कुंवे बनवाये, और उन के ज़रिये से लोगों को लाभ हुआ है ।

ऐग्रिकल्चर के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर बहुत सी प्लानिंग (योजनायें) हैं, पांच साल की प्लानिंग है, दस साल की प्लानिंग है, और जब यह प्लानिंग होगी तब उस प्लानिंग के बाद हम लोगों का दुख दूर होगा । मेरा तो यह ख्याल है कि जो कुछ साधन हम लोगों के पास मौजूद हैं जो पुराने तरीके के हल हैं, जो पुराने तरीक़े की खाद है, अगर उस में ही सरकार कुछ मदद करे दो बहुत कुछ हो सकता है । सरकार हम लोगों को अच्छा बीज दे, सरकार हम लोगों को अच्छा खाद दे, तो भी खेती का काम ठीक से चल सकता है, क्योंकि मान लीजिये कि अभी दुनिया में कोई आकस्मिक घटना हो जाय तो अमरीका से मदद आना बन्द हो जायेगा और फिर हमें उस पुरानी खेती पर निर्भर करना पड़ेगा । इस लिये मैं तो यह समझता हूं कि जो साधन मौजूद हैं उन को ही आप उपयोग में लायें तो आप की खेती की पैदावार बढ़ सकती है । मैं समझता हूं कि खेती की आमदनी बढ़ाने के लिये यह बहुत ज़रूरी है कि अच्छा बीज दिया जाय । मैं तो देखता हूं कि जब धान के बीच देने का समय बिहार में आता है तो बीज नहीं दिया जाता बल्कि जब आश्विन का महीना आयेगा उस समय बीज पहुंचता है । मैं यह बतलाता हूं कि दिल्ली से ले कर बिहार तक और बिहार से ले कर मोतिहारी तक यह जो खेती डिपार्टमेंट का काम है वह बोगस काम है । यह मैं मानता हूं कि ईख की खेती ये लोग जानते हैं, इस में वे एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) हैं । इस के अलावा वह गेहूं की खेती भी कुछ जानते हैं । लेकिन धान के बारे में कुछ नहीं जानते । धान की खेती के बारे में जो पैम्फलेट निकलते हैं वे उस भाषा में होते हैं जिस को कि लोग समझ नहीं सकते कि गवर्नमेंट क्या कर रही है । हमारा मंत्री महोदय से कहना है कि यह ज़रूरी है कि इस डिपार्टमेंट का पूरा सुधार हो, नहीं तो मोतिहारी में मैं देखता हूं कि खेती डिपार्टमेंट के पास न तो खुरपी है, न बीज है और न खाद है । कोई चीज़ इस के पास नहीं है । जब तक यह डिपार्टमेंट नहीं सुधरेगा तब तक यह होगा कि केन्द्रीय सरकार यहां से चिट्ठी भेजेगी, यहां से पटना जायेगी और फिर पटना से मोतिहारी पहुंच कर बस रह जायेगी । किसानों तक वह नहीं पहुंचेगी । इसलिये किसानों तक पहुंचाने का कोई ठीक इंतज़ाम होना चाहिये ।

मैं आपको बतलाता हूं कि खेतों में काम करने वाले किसानों को खाद नहीं मिलती है, खाद उन को मिलती है जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, मिल मालिक हैं । उन को तो खाद मिल जाती है । लेकिन जो छोटे छोटे किसान हैं, जिन के पास कि एक बीघा १० कट्ठा, ५ कट्ठा खेती होती है उन को खाद नहीं मिलती ।

उन को खाद मिलने की सहूलियत मिलनी चाहिये । अभी हमारे भाई ने कहा कि बड़ी बड़ी खेती करनी चाहिये । मैं आप से कहना चाहता हूं कि बड़ी फ़ार्मिंग करने से फ़ायदा नहीं होता, पैदावार नहीं बढ़ती । इसीलिये मैं आप से कहता हूं कि जो छोटी छोटी खेती होती है वह अच्छी होती है और उस में पैदावार भी ज्यादा होती है । एक किसान के ५ कट्ठा खेत हैं तो उस के पास एक बैल होता है जिस के ज़रिये से वह खेत को जोतता

है और उसके गोबर की खाद देता है। इस तरह से आप ५० बीघा खेत से खेती करेंगे तो वह अच्छी नहीं होगी बनिस्बत ५ कट्ठा खेत के। यह जो छोटे छोटे खेत सारे देश में हैं वह हिन्दुस्तान की जान हैं।

मैं खुद किसान हूं और जानता हूं कि खेती में कितना लाभ होता है। हमारे जो कम्युनिस्ट भाई हैं वह तो खेती करना जानते नहीं सिर्फ़ गांवों में जा कर लोगों को भड़काना जानते हैं। वे लोग हमारे साथ चलें तब उन को मालूम होगा कि किसान को क्या फ़ायदा होता है और क्या नुक़सान होता है। क्या उस की तक़लीफ़ें हैं और किस तरह से वह लोग अपना काम करते हैं।

खेती करन से आप लोगों को खाना मिलता है। खेती करने से सरकार प्रोक्योरमेंट (समाहार) करती है और उस को जनता में बांटती है। सरकार ८ रुपया मन धान लेती है जब कि कास्ट आफ़ प्रोडक्शन (उत्पादन व्यय) ज्यादा पड़ता है। अब आप ज़रा सोचें कि किस तरह से किसान मेहनत कर के कड़ी धूप में खड़े हो कर सवेरे से शाम तक खेत में व्यस्त रह कर हाथ पावों को पानी के अन्दर सड़ा कर, मलेरिया बीमारी का सामना करते हुये वह धान पैदा करता है। आप लोग शहर से आ कर किसानों से ८ रुपया मन में धान ले लेते हैं। क्या आप ने शहर वालों से भी कभी तनख्वाह कम करने को कहा है? बड़े बड़े मिल मालिकों ने अभी भी तनख्वाह कम नहीं की। मगर आप लोग किसानों के ऊपर ही सब बातों में टूट पड़ते हैं ऊख के बारे में कितनी पैदावार बढ़ गई है यह तो सब ही जानते हैं। मगर कहा जा रहा है कि ऊख के दाम कम हो जाने चाहियें जो कुछ भी किसानों के फ़ायदे की चीज़ होती है उस के ऊपर ही मुसीबत आती है। कभी आप लोगों ने यह नहीं कहा कि कपड़े और चीनी के दाम कम होने चाहियें।

किसान आप लोगों को अन्न देता है मगर आप ने कभी यह सोचा कि किसानों के जो साधन होते हैं उन को आसानी से वह पा सकें। भादों के महीने में और आषाढ़ के महीने में बहुत से किसान जिन की खेती परती पड़ जाती है, बहुत से किसानों के पास बीज नहीं होता है, बहुत से किसान ऐसे होते हैं जिन के पास हल और पैसा नहीं होता है, उस समय उन को इन चीज़ों से मदद की आवश्यकता होती है। ऐसे अवसर पर सरकार को चाहिये कि उन किसानों की मदद करे। इस तरह से अगर सरकार मदद करेगी तो उस को प्रोक्योरमेंट में मदद मिलेगी और वह धान आसानी से वसूल कर सकेगी। मगर किसानों की मदद करने वाला कोई नहीं है। यह कहा जाता है कि यह मदद करने का काम प्रान्तीय सरकारों का है मगर प्रान्तीय सरकार की ओर से भी कोई खास मदद नहीं मिलती। इस लिये सरकार से प्रार्थना है कि खेती डिपार्टमेंट का यह काम होना चाहिये कि वह किसानों तक मदद पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करे। जहां पर सैन्टर्स होते हैं वहां से देहात कोई २० मील, कोई ३० मील और कोई ४० मील में पड़ जाता है। वहां तक आप किसानों को मदद पहुंचाने के लिये इन्तज़ाम करें। यह ठीक है कि मल्टीपरपज़ कोआपरेटिव सोसायटी (बहुप्रयोजन सहकारी समिति) खुली हुई हैं। पहिले भी सोसायटी खोली थी। उस में किसानों ने हर प्रकार का योग दिया मगर उन पर ही नाना प्रकार के ज़ुल्म किये गये। इस तरह से किसान कोआपरेटिव सोसायटी के खिलाफ़ हो गये। अब मल्टी परपज़ सोसायटी खुली हैं उस से किसानों को फायदा होगा या नहीं, यह बात देखने की ह।

[श्री विभूति मिश्र]

दूसरी बात जो आप के सामने कहनी है वह वृक्ष यानी वनमहोत्सव की बात है। इस से भी अन्न की पैदावार बढ़ती है। वृक्ष लगाने से उस क्षेत्र में पानी की कमी नहीं होगी। केन्द्रीय सरकार की ओर से कहा जाता है कि वनमहोत्सव मनाया जाय और सारे देश में वृक्ष लगाये जायें। मगर हमारे यहां चम्पारन में जो मिल मालिक हैं वह तमाम वृक्षों को काट रहे हैं। एक ओर तो वृक्ष लगाने के लिये कहा जाता है। और दूसरी ओर वृक्ष इस तरह से मिल मालिकों की ओर से काटे जा रहे हैं। मुझे मालूम है कि एक मर्तबा हमारे यहां अकाल पड़ा तो लोग जामुन और आम खा कर दो दो और तीन तीन महीने तक गुजारा करते रहे। लेकिन आज होता क्या है कि लोग और मिलमालिक वृक्षों को काटते ही चले जा रहे हैं। मेरा जिला चम्पारन वृक्ष लगाने में हिन्दुस्तान में पहिला आया। उस को पहिला इनाम दिया गया। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि हम लोगों ने उस समय कितने पेड़ आम और जामुन के लगाये। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जो कुछ भी काम करें उस को यवहारिक दृष्टि से करें। हम यहां पर पार्लिया मेंट में आते हैं और तरह तरह की बहस करते और फैसला करते हैं। हमारे कामों का असर जनता पर पड़ता है और वह हम लोगों से बहुत आशा लगाये बैठी है। हम लोग यहां पर तीन महीने बैठ कर काम करते हैं इस लिये हम को जो भी काम करना है उस को व्यवहारिक दृष्टि से करें। हम लोग यहां पर देहात वालों की वोट ले कर आये हैं, किसानों की वोट ले कर आये हैं, किसानों ने हम को वोट दे कर यहां पर भेजा है। सो किसी आशा से ही उन्होंने हम को अपना वोट दिया। वह आशा यह है कि हम उन के कष्टों को दूर करने में हर प्रकार का प्रयत्न करें। मैं ने अपने चुनाव में ५०० रुपया भी खर्च नहीं किया। मेरे विरोध में ८ आदमी थे उन सब को हरा कर मैं इस पार्लियामेंट के लिये चुना गया हूं। मेरे विरोध में कम्युनिस्ट भी थे, लाल टोपी वाले भी थे और कई लोग थे। उन लोगों ने हज़ारों रुपया मेरे विरुद्ध खर्च किया मगर उन को कामयाबी नहीं हुई। इस लिये अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो महात्मा गांधीजी ने गांवों के बारे में कहा है उस को हम को करना चाहिये। इस पार्लियामेंट को गांधी जी ने जो बातें गांवों में करने को कहीं हैं उन को हम को पूरा करना होगा।

हमारे कम्युनिस्ट भाई यहां पर कहते हैं कि रायलसीमा में सरकार को अनाज भेजना चाहिये और वहां की जनता को बचाना चाहिये। मगर जब तक हम किसानों की जो तकलीफें हैं उन को दूर नहीं करेंगे तब तक यह काम हम लोग पूरा नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में या दूसरी जगह स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूं कि आप लोग रायलसीमा में जाते और उन लोगों के साथ काम करते। अगर आप में से कोई मर भी जाता तो शहीद हो जाता। हम भी कहते हैं कि कम्युनिस्टों ने सच्चे दिल से काम किया है: यहां पर पार्लियामेंट में कहने से काम नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब समय हो गया है आप अपना भाषण खत्म कीजिये।

श्री विभूति मिश्र : मैं खाद्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा की वह गांवों की तरफ ज्यादा ध्यान दें और किसानों को जो तकलीफें हैं उन को दूर करें। अन्न और दूसरी चीजें सब गांवों में ही पैदा होती हैं। इन सब बातों को देख कर आप उन की मदद करें। मैं आप से यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि किताबों से किसानों को फायदा नहीं होगा।

हां, इतनी मदद ज़रूर मिलेगी कि किस ज़मीन में क्या चीज़ बोई जाती है और कौन सी मिट्टी कैसी होती है। जहां तक खाद का सवाल है, गोबर ही ऐसी खाद है जो कि फायदेमन्द हो सकती है। गोबर की खाद की तरफ़ विशेष तौर से ध्यान दिया जाना चाहिये। आप ने इतना बड़ा सिन्दरी का कारखाना खोल दिया है। वहां जो खाद तैयार होती है उस से हम लोगों का काम चलने वाला नहीं है। अगर गोबर की खाद नहीं दी जायेगी तो इस से खेती में उन्नति नहीं हो सकेगी। इस लिये इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण): नियंत्रण से कई बुराइयां पैदा होती हैं जैसा कि भ्रष्टाचार, अशुद्ध खाद्य और लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ना। इस लिये हमें सोचना है कि क्या हमें नियंत्रण रखना है या नहीं। यदि हमें अपनियन्त्रण करना है, तो उन लोगों को जो अन्न का अनुचित संग्रह करते हैं सख्त दंड देना चाहिये। उन्हें कम से कम दो साल कैद सख्त का दंड तो अवश्य दिया जाना चाहिये। नहीं तो अनुचित संग्रह के कारण हमें बहुत कष्ट होगा।

मैं माननीय मंत्री से इस बात पर सहमत हूं कि अब कम से कम उन राज्यों में जहां फालतू अनाज है अपनियन्त्रण होना चाहिये। कई राज्य ऐसे हैं जहां प्रतिवर्ष फालतू अनाज पैदा होता है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल फालतू अनाज वाले राज्य हैं और मद्रास, त्रावनकोर-कोचीन और बम्बई कमी वाले राज्य हैं। इन राज्यों में फालतू अनाज वाले राज्यों से खाद्यान्न आयात कर के उन की कमी पूरी की जा सकती है।

यदि नियंत्रण कुछ वर्ष और जारी रखे गये, तो हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इन्हें हटाना आवश्यक है। किन्तु इस सम्बन्ध में आत्म निर्भरता के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिये। और हम केवल उचित आयोजन के द्वारा ही, खाद्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव दूंगा। ज़मींदारी तत्काल हटा देनी चाहिये। सहकारी कृषि मशीनों द्वारा खेती और सिंचाई की छोटी छोटी योजनाएं आरम्भ होनी चाहियें और बंजर भूमि का पुनरुद्धार करना चाहिये। और यदि हम लोगों में उत्साह पैदा करना चाहते हैं तो किसानों को ही भूमि का स्वामी बनाना आवश्यक है।

एक बात और है। चार या पांच वर्ष पूर्व १९.६ करोड़ एकड़ भूमि में खाद्यान्न की फसलें होती थीं। अब यह भूमि केवल १६.७ करोड़ एकड़ रह गई है। इस कमी का कारण यह है कि खाद्य फसलों की अपेक्षा धन फसलों के लिये अधिक मूल्य मिलते हैं। नियंत्रण भी इस का एक कारण है। स्वयं कृषक भी राशन की दुकानों से राशन लिया करते थे और अपने खेतों में धन फसलें, तम्बाकू, रुई और तिलहन उगाते हैं। इस स्थिति का पुनरीक्षण करना आवश्यक है।

श्री पी० आर० राव: (वरंगल) जनाबे सदर, मुझे बहुत उम्मीद थी कि कम से कम आज़ादी मिलने के बाद तो हमें अपने ख्यालात को अपनी मादरी ज़बान में इज़हार करने का मौका मिलेगा। लेकिन बदक़िस्मती से मुझे यह भी देखना पड़ रहा है कि आज़ादी मिली है या नहीं अगर मुझे अपनी मादरी ज़बान में अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका होता तो जिस प्रान्त से मैं नमाइन्दा हो कर आया हूं वहां के मसायल को बहुत अच्छी तरह आप के सामने रख सकता था। लेकिन दूसरी लैंग्वेज (language) में यानी उर्दू ज़बान में बात करने पर मुझे मजबूर किया जा रहा है। इसलिये मैं यह शक करता

[श्री पी० आर० राव]

हूं कि मैं अपने ख्यालात को बराबर इज़हार कर सकूंगा या नहीं ।

गिज़ाई मसला इस क़दर अहम है कि जिस के बारे में जैसा कि मौअज्ज़िज़ मैम्बर्स (माननीय सदस्य) ने कहा यह ज़िन्दगी और मौत का मसला है । लेकिन हुकूमत इस मसले को किस तरह से हल करना चाहती है इस की कोई तसवीर मेरे सामने नहीं है। और ख़ास कर मद्रास प्राविन्स में मिस्टर राजगोपालाचार्य जो वेदान्ती हैं वह वेदान्त की दृष्टि से इस मसले को (practice) में रखना चाहते हैं। उन की नज़र में ज़िन्दा रहना और मरना दोनों एक ही हैं और एक वेदान्ती की दृष्टि में मनुष्य का मरना और जन्म लेना एक पुराने लिबास को जो वह पहने हुए है, बदल कर दूसरा नया लिबास पहिनना है, इस से ज्यादा इस का महत्व नहीं है। और वह जो अपने प्राविन्स (राज्य) वालों को मेसेज (संदेश) देते हैं उस में उन को कहते हैं कि या तो वे अपने ज़िस्म को बदलें या वह मौत के मुंह में उन को छोड़ देते हैं। ऐसा मेरा ख़याल है और मेरे पास जो रिकार्ड है उस से मैं साबित कर सकता हूं कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य राज्य सरकारों के मंत्रियों का व्यक्तिगत रूप से उल्लेख किये बिना अपनी बात करें ।

श्री पी० आर० राव : एक पाबन्दी आयद की जा रही, अगर हमें अपना ख़याल इज़हार करने से रोका जाता है, तो फिर आख़िर हम यहां आये किस लिये हैं ? आप अपनी थम्पिंग मैज़ारिटी (अत्यधिक बहुमत) के बल पर जो चाहते हैं अपनी नीति और पालिसी (नीति) एडाप्ट (अपना) कर लेते हैं। आख़िर जिन लोगों ने हमें यहां भेजा है और जिस प्रान्त से मैं आता हूं, उन्हों ने भी तो हम से कुछ उम्मीदें बांधी हुई हैं कि हम यहां पर बतलायें कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । बैठिये, यह ठीक है कि आप मद्रास से आये हैं, लेकिन यहां पर मद्रास स्टेट के बारे में नहीं बोलना चाहिये कि मद्रास के मंत्री किस तरह काम करते हैं, यह आप यहां पर नहीं बोल सकते हैं ।

श्री पी० आर० राव : अगर हम उन के काम के बारे में यहां नहीं कह सकते हैं, तो आखिर फिर क्या कह सकते हैं, इस तरह तो मेरी समझ में खाली वक्त गुजारना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या इसे आप का स्पष्ट निर्णय समझना चाहिए या आपकी सलाह ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह भी मेरा निर्णय है । राज्य सरकारों के आचरण की यहां आलोचना नहीं की जानी चाहिए । उन के लिए राज्य विधान मंडल हैं। यहां तो सामान्य नीति के सम्बन्ध में पूछा जा सकता है ।

श्री एस० एस० मोरे : प्रान्तीय सरकारें खाद्य के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में काम कर रही हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं । खाद्य प्रान्तीय विषय है ।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान् जब हम प्रान्तीय सरकारों से शिकायतें करते हैं तो वे कहती हैं कि यह चीज़ें केन्द्रीय सरकार के अधीन है ।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर): अपनियन्त्रण की नीति का सम्बन्ध केवल मद्रास से नहीं है। यह अखिल भारतीय नीति है। खाद्य की चर्चा के समय, क्या हम इस नीति की आलोचना नहीं कर सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने तो केवल इतना ही कहा था कि ऐसी बातें करने की आवश्यकता नहीं कि मद्रास के मुख्य मंत्री को किसी के मरने या जीने की कोई चिन्ता नहीं। मंत्रियों या सरकारों के व्यक्तिगत आचरण की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। सामान्य नीति की आलोचना की जा सकती है।

श्री पाटस्कर (जलगांव): मेरे विचार में खाद्यान्न के उत्पादन या वितरण के सम्बन्ध में जो कि पूर्णतया राज्यों के विषय हैं यहां चर्चा नहीं की जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय: हम केवल इतना कह सकते हैं कि अपनियन्त्रण की नीति गलत है और इसके यह यह परिणाम होंगे। माननीय सदस्य को इससे आगे नहीं जाना चाहिए।

श्री पी० आर० राव: ज्यादा पैदावार होने की बात कही गई। लेकिन डिकन्ट्रोल (अपनियन्त्रण) के बाद में जो हालत पैदा हुई वह पेपर (पत्र) में आई है, उस से साफ ज़ाहिर हो सकता है, और यह कोई कम्युनिस्ट पेपर नहीं है, हिन्दू पेपर है १४–६–५२ को कहा जाता है :—

> "अपनियन्त्रण के कारण मद्रास में चावल का भाव खुले बाजार एक रुपया बढ़ गया है"

इस तरह से यह मालूम होता है कि वहां भाव बढ़ते जा रहे हैं। और वहां एक जगह यह भी बताया गया है कि फेअर प्राइस शाप (उचित मूल्य की दुकान) में चावल खत्म हो चुका है, लोग आ कर वापस चले जा रहे हैं लेकिन सरकारी तौर पर कहा जाता है कि चावल मिल रहा है। दूसरी जगह निकला है :

> "पाल घाट से जो दो लारियां चावल की आई थीं उन में से अधिकांश बोरे के बोरे बिक गये। कुछ थोड़ी सी परचून की दुकानों वाले १ रु० ८ आने और १ रु० १० आने के भाव चावल बेच रहे थे, जो कि नियन्त्रण के मूल्य से लगभग ५० प्रतिशत अधिक था"

और यह भी बताया जा रहा है कि कंट्रोल प्राइस (नियन्त्रित मूल्य) .....

श्री किदवई: किस तारीख का है।

श्री पी० आर० राव: १४–६–५२ का। लोगों से यह गलत कहा जा रहा है कि बाजार में कन्ट्रोल भाव से प्राइसेज (मूल्य) उतर गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जो बताया जा रहा है वह ब्लैक मार्केट प्राइस (चोर बाजार मूल्य) है।

श्री किदवई: क्या मैं नवीनतम मूल्य बतला सकता हूं। नैलोर के चावल का हाल का मूल्य १७ रु० ७ आने प्रति मन है। यह २८ जून का मूल्य है जो कि राशन के मूल्य से कम है।

श्री पी० आर० राव: मैं जब बता रहा हूं वह डिकंट्रोल (decontrol) के बाद की हालत है।

श्री किदवई: मैं उसके भी बाद की बता रहा हूं।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन: हिन्दी में बताते तो वह समझते, आप अंग्रेजी बोल गये, वह कैसे समझें :

श्री पी० आर० राव: हम अखबार मे न्यूज (समाचार) देखते हैं कि लोग डिकंट्रोल (अपनियन्त्रण) से खुश हैं ? लेकिन यह कैसे लोगों के बारे में है ? गरीब मजदूर जो करोड़ों की तादाद में हमारे देश में बसते हैं गरीब किसान जो बसते हैं यह उन की आवाज नहीं है, वह तो कन्ट्रोल चाहते हैं चाहे वह

[श्री पी० आर० राव]

खराब राशन क्यों न हो लेकिन कम से कम यह गारेन्टी (प्रत्याभूति) तो रहती है कि वह मिलेगा । यह जो आवाज उठ रही है वह पूंजीपतियों, और ब्लैकमार्केटर्स (चोर-बाजार करने वाले) की और उन लोगों की ही जो जमींदार हैं । और यह एक जिन्दा मिसाल है कि सारे देश में (खाद्य साहाय्य) के बारे में जो हुक्म हुआ है उसके खिलाफ लाखों आदमियों सिर्फ बम्बई में तीन लाख आदमियों ने प्रोटैस्ट (विरोध) में हड़ताल वगैरह किया था । इस से साफ जाहिर होता है कि लोग कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन सब्सिडीज के साथ कन्ट्रोल चाहते हैं, वह डिकन्ट्रोल के खिलाफ हैं ।

(इस समय घंटी बजी)

यह तो मेरे साथ नाइन्साफी है । मेरा वक्त कम किया जा रहा है, औरों ने भी तो इस वक्त में से लिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं ने उस समय के लिए और समय दे दिया है ।

श्री पी० आर० राव: दूसरी बात यह है कि लोग कन्ट्रोल क्यों नहीं चाहते हैं । प्रोक्योरमेन्ट में बहुत गलत तरीका अख्तयार किया गया है, बहुत जुल्म ढाये गये हैं और जमींदारों से लेवी वसूल करने की बजाय गरीब किसानों से जबरदस्ती लेवी वसूल की गई है । मुआविजे में भी उनको बहुत कम पैसा दिया गया है और वह भी बहुत से लोगों को नहीं मिला है । यह गारेन्टी भी नहीं है कि जो चीज़ उनकी सारी जिन्दगी का आधार है उस से होने वाली पैदावार को सरकार जबर्दस्ती लेने पर उन की जिन्दगी की दूसरी ज़रूरी चीज़ें कन्ट्रोल दाम से सप्लाई (संभरण) करेगी । इस के अलावा जो राशन का इन्तजाम किया गया है वह सिटीज (cities) में ही किया गया है, जो देहात हैं जहां अस्सी फी सदी लोग बसते हैं वहां कोई इन्तजाम नहीं है, जिन्दगी की कोई भी जरूरत की चीज उन्हें नहीं मिलती ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब खत्म करना चाहिये ।

श्री पी०आर० राव : इस के अलावा जो कानून बने हैं वह कांग्रेस हुकमत से पहले जो वहां की निजाम की हुकूमत थी उस के कानून से भी बहुत खराब हैं । उस वक्त कम से कम यह गारेन्टी थी कि जिस शख्स ने किसी जमीन पर फलां सन् से फलां सन् तक काश्त की है उस को पट्टे का हक मिलेगा । उस को निकालने का हक किसी को नहीं है । यह कानून था । लेकिन अब जमींदारों की हुकूमत यानी कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद ऐसी तब्दीली आई है कि जमींदार अपनी जाती काश्त के लिये किसी भी शख्स को जो साठ, सत्तर साल से किसी ज़मीन पर काबिज है, उस ने जमीन को तैयार किया, मकान बनाये, सिंचाई का इन्तजाम किया, उस को बेरहमी से निकाल सकता है, यह जो आजकल की हुकूमत है यही इसको अमल में ला रही है । तभी से लाखों आदमियों, लाखों टेनेंट्स (काश्तकार) को जमीन से बे-दखल किया जा रहा है । इस नाम से कि मैं जाती काश्त के लिये चाहता हूं, मैं आप को इस के लिये तफसील से बताना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप बन्द कीजिये ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : (कुश्टगी) : इस संसद में अभी जैसा एक सदस्य ने ऐलान किया कि निजाम की हुकूमत के बाद जो हुकमत आई वह किसानों के खिलाफ है । मैं इस का विरोध करता हूं और निजाम की हुकूमत के बाद जो हुकूमत आई उस का कुछ मसायल भले ही अब भी न तय हो पाये हों, या वह न तय कर पाई हो, फिर भी उस का मैं स्वागत करता हूं । और कहना चाहता

हूं कि जो भी अभी सदस्य महोदय ने कहा इस सम्बन्ध में वह गलत है ।

श्री सी० डी० गौतम (बालाघाट) : सभापति महोदय, मैं उन में से नहीं हूं जो यह सोचते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फौरन हमारा स्वर्ग महल बन जाये और न मैं उन लोगों में से हूं जो यह स्वप्न देखते हैं कि कोई जादूगर का डंडा घूम जाय और हम को सम्पत्ति मिल जाये । इस बात की उम्मीद करना भी उचित नहीं है । हमारे पास जो सम्पत्ति है या जो हालत है उस सम्पत्ति और उस हालत का हमारी सरकार उपयोग कर सकेगी और दूसरे साधन उपलब्ध कर सकेगी ऐसी मुझे आशा है ।

यहां इस वक्त कंट्रोल की बहुत सी बातें हो रही हैं और हमारे अन्य मंत्री जी ने कंट्रोल उठाने का बीड़ा भी उठाया है, और बहुत जगहों पर कंट्रोल उठ भी गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : बोलने वाले सदस्य के अतिरिक्त सदन में और कोई बातचीत न की जाये ।

श्री सी० डी० गौतम : कंट्रोल के जमाने में जो जो दिक्कतें किसानों को हुई उनमें से दो चार नमूने के बतौर आपको बताता हूं । हमारे प्रान्त में खास कर और दूसरे प्रान्तों में हम को मालूम है कि इस तरह की दिक्कतें किसानों को हुई हैं । जब कंट्रोल जारी हुए मान लीजिये कि उस समय एक किसान ए० जिले में रहता है और उस का खेत बी० जिले में है और उस के खेत और मकान में चार फरलांग का फासला है । कन्ट्रोल हो जाने की वजह से वह अपने घर से अपने खेत को बीज नहीं ले जा सकता और जो फसल अपने खेत में पैदा करता है उस को वह अपने घर नहीं ले जा सकता । वह सोचता था कि यह कौन सा जमाना है, जो कि उस के सामने आ गया है । भारत के इतिहास में तो हम ने ऐसा कभी देखा नहीं, न पुराणों में देखा है और न इतिहास में देखा है कि हम अपने खेत के लिये अपने घर से बीज नहीं ले जा सकते और अपने खेत की पैदावार अपने घर नहीं ले जा सकते । ऐसी हालत हो गई । लोगों को हथकड़ी लगने का मौका आ गया । पुलिस कहती थी कि तुम ने कानून को भंग किया है । किसान सोचता था कि महात्मा गांधी ने हम को स्वराज्य दिलाया पंडित नेहरू ने हम को राज्य दिलाया, पर यह क्या हो रहा है कि आज हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, मैं कांग्रेस का मेम्बर हूं, जितनी भी मांगें आप के सामने प्रस्तुत हैं उन का मैं समर्थन करता हूं । मैं तो सिर्फ कुछ वह बातें आप को बता रहा हूं जो कि किसानों को भुगतनी पड़ी हैं । मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं और न टीका टिप्पणी करता हूं । उस के बाद बहुत सी बातें सरकार के ध्यान में आईं ।

दूसरा उदाहरण यह है कि जिस गांव में मैं रहता हूं आप देखिये कि उस गांव से चार फरलांग पर दूसरे जिले में एक राइस मिल (चावल मिल) है परन्तु मैं वहां अपना धान नहीं ले जा सकता । मुझे चार पांच मील अपने जिले में जाना पड़ता है । फिर आप देखिये मेरे जिले में बड़ा बाजार मेरे गांव से चालीस मील दूरी पर है, पर दूसरे जिले का बड़ा बाजार मेरे गांव से तीन मील पर है । पर मैं अपना धान वहां नहीं ले जा सकता मुझे अपने जिले में दूर वाले बाजार में जाना पड़ता है । तो इस तरह की तकलीफें हमारे किसानों को मिल रही हैं । इस तरह की कुछ बातें सरकार के ध्यान में आईं और उन्होंने कानून में कुछ अमेंडमेंट (संशोधन) किया और उन्होंने हुक्म जारी किये और अपने अधिकारियों को बतलाया कि कानून तो इस तरह का है पर उन को उस कानून को जरा

[श्री सी० डी० गौतम]

लिबरली (उदारता से) काम में लाना चाहिये। परन्तु फिर भी बहुत सी बातें ऐसी होती रहीं जिन से किसानों को तकलीफ होती रही और वह मुसीबत भुगतता रहा। अगर किसान को कपड़े की जरूरत होती थी तो उस को दस रुपये की धोती १२ रुपये में लेनी पड़ती थी। और कोई पकड़ने में नहीं आता था। अगर पकड़ने में आते थे तो छोटे लोग। बड़े आदमियों में से बहुत थोड़े पकड़ने में आते थे। बड़ा आदमी करता क्या है। इस वक्त हम लोगों की भावना दुर्बल हो गई है। हम थोड़ा बहुत कानून से तो डरते हैं पर हमारी नैतिकता बहुत कम हो गई है। हम सत्यता का बिल्कुल ख्याल नहीं करते और हमारी नैतिकता का इतना पतन हो गया है कि सत्य क्या है इस को तो हम भूल गये हैं। आदमी यह सोचता है कि बड़ा आदमी पैसे वाला आदमी, गुनाह कर भी सकता है और पैसे से बच भी सकता है। पैसा पैदा करते समय सत्यता और नैतिकता का भाव उस के दिल में नहीं रहता। वह कानून का डर मानता है और वह कानून से बचने के लिये सब कुछ करता है। अगर वह देखता है कि उस के दस रुपये की जगह १५ रुपये लेने का मामला पकड़ा गया है और पुलिस को गया है तो सोचता है कि क्या इन्तजाम करूं। पहले वह काश्तकार को बोलता है कि मुझ से दस बीस रुपये ले लो। अगर काश्तकार नहीं मानता तो वह पुलिस को बोलता है कि दारोगा जी साहब १०० रुपये ले लीजिये। अगर दारोगा जी ने मान लिया तो मामला खत्म हो जाता है। पर अगर दारोगा जी ने नहीं माना तो वह गवाहों को रुपये दे कर मनाने की कोशिश करता है। अगर वह भी नहीं मानते और मुकद्दमा मजिस्ट्रेट के सामने जाता है तो वहां भी रुपया देने की कोशिश करता है। इस तरह से वह रुपये के रूप में वह गुनाह का वजन करता है। यह कन्ट्रोल की दिक्कतें हैं और इस तरह से कन्ट्रोल की वजह से हमारा नैतिक पतन होता है। और हमारे व्यापारियों का नैतिक पतन हुआ है। हमारे मंत्री साहब ने जो यह कन्ट्रोल हटा दिया है वह उनकी बड़ी कृपा है और अगर बाकी के कंट्रोल को और निकाल देंगे तो उन की और भी कृपा होगी। जो हमारा नैतिक पतन हो गया है उसको सुधारने की जरूरत है और इस तरह से हमारी सरकार सतर्क है और भारत सेवा संघ जैसी संस्थायें बन रही है। मैं समझता हूं कि इससे हमारे हृदयों में कुछ परिवर्तन होगा।

अब भी हमारे किसानों को कुछ तकलीफें महसूस होती हैं जैसे कि तकावी है। तकावी का रुपया उन को फरवरी या मार्च में मिलना चाहिये मगर वह उन को जून और जुलाई में मिलता है। जिस का परिणाम यह होता है कि हमारे किसान लालच के मारे वह रुपया ले तो लेते हैं पर उस से कुछ कर नहीं पाते हैं। और जब देने का समय आता है और वारंट निकलता है तो उन को अपने बैल बेचने पड़ते हैं और इस तरह से उनको मुसीबत आती है।

फरटीलाइजर्स (उर्वरक) के बारे में मैं आप से अर्ज करूं कि फरटीलाइजर एक बहुत अच्छी चीज है। परन्तु उस में एक बड़ा अवगुण भी है। जब जमीन में फरटीलाइजर डाला जाता है तो भभक के साथ एक बार बहुत फसल हो जाती है और दस मन की जगह १५ मन उपज हो जाती है। परन्तु वह जमीन को बिल्कुल नष्ट कर देता है इस लिये अगर फरटीलाइजर के साथ गोबर का योग हो तो फरटीलाइजर से बहुत लाभ हो सकता है। अगर ऐसा किया जाय तो हम अपनी फसल को बहुत बढ़ा सकते हैं।

हमारे कुछ भाइयों का ख्याल है कि ज़मीन को सब में बराबर बराबर बांट दिया जाय । अगर ऐसा किया जायगा तो किसी को एक एकड़ ज़मीन मिल जायेगी और किसी को आधा एकड़ ज़मीन मिल जायेगी । मैं कहता हूं जमीन तो आप बांट देंगे पर आप उस पर खेती कैसे करेंगे । आप इतने बैल कहां से लायेंगे। आप लाखों हजारों जोड़ी बैल कहां से लायेंगे । तो यह तो नहीं हो सकेगा जब आप छोटे छोटे किसानों को ज़मीन बाटेंगे तो उन के पास पैसा न होने से वह दो सौ, तीन सौ और चार सौ रुपये खर्च कर के बैल नहीं ले सकेंगे और खेती नहीं कर सकेंगे ।

कोई कोई भाई बताते हैं कि अगर तीन एकड़, चार एकड़ या दो एकड़ के खेत हों तो उपज ज्यादा बढ़ेगी । यह बात भी बहुत गलत है। मैं कहता हूं कि हर एक काम को करने के लिये अक्ल की ज़रूरत होती है । खेती के लिये भी अक्ल की जरूरत होती है । अगर आदमी खेती करना जानता हो तो वह तीन सौ एकड़ की खेती में भी बहुत फसल कर सकता है । मेरे यहां पर एक सेठ साहब के पास एक बड़ी खेती थी पर उस से तीन सौ मन फसल होती थी । कारण वह सेठ जी घर से खेत पर नहीं जाते थे और नौकर खेती करते थे । दूसरे आदमी ने जो कि किसान था उस ज़मीन को लिया और उस में उस ने दो हज़ार मन गल्ला हासिल किया क्योंकि किसान खुद खेती करता था और अपनी अक्ल से काम लेता था ।

श्री एन० आर० एम० स्वामी (वान्दिवाश): खाद्य के मामले को राजनीति से अलग रखना चाहिये और प्रत्येक प्रशासक और राजनीतिज्ञ को इसे प्राथमिकता देनी चाहिये । यदि ऐसा न किया गया तो हम कोई अच्छी खाद्य नीति निर्धारित नहीं कर सकेंगे । जहां अनाज फालतू है, वहां से इसे कमी वाले क्षेत्रों में भेजना होगा । यद्यपि देश में भूमि की मात्रा सब से अधिक है उपज सब से कम है । यदि इस समस्या का सफलतापूर्वक हल करना है तो पहले कुछ प्रारंभिक समस्याओं को हल करना होगा । आंकिकों, भूगोलवेत्ताओं को मिल कर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को उचित सामग्री देनी होगी ताकि वह अपनी नीति निर्धारित कर सकें । जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है, वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न है, मिट्टी भी भिन्न भिन्न प्रकार की है और उत्पादन शक्ति भी एक सी नहीं है । अतः आंकिकों और भूगोलवेत्ताओं को भूमि के उपजाऊपन और वर्षा की मात्रा के बारे में स्थिति की परीक्षा कर के सरकार को ठीक ठीक आंकड़े देने चाहियें ।

हमें परिवार आयोजन की भी उचित व्यवस्था करनी होगी । इसके बिना समस्या हल नहीं हो सकती । राज्यों का इस प्रकार पुनर्वर्गीकरण होना चाहिये कि फालतू अनाज वाले राज्य कमी वाले राज्यों को अनाज दे सकें । फालतू अनाज वाले राज्य तो केवल तीन या चार हैं, किन्तु कमी वाले राज्य बहुत हैं। इस लिये कुछ प्रादेशिक प्रबन्ध करना आवश्यक है ।

किसानों में रुचि और उत्साह पैदा करने के लिये, यह आवश्यक है कि हम उन में यह भावना पैदा करें कि वे भूमि के स्वामी हैं । ऐसा करने से ही उन्हें अधिक अन्न उगाने की प्रेरणा मिलेगी । भूमि का पुनर्वितरण करते हुए यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि यह केवल कृषकों को दी जाये और अन्य किसी को नहीं । उन भूमियों को जिन में पहले कृषि की जाती थी किन्तु जो अब बन्जर हैं सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये और उन्हें कृषि योग्य बनाकर किसी सहकारी संस्था को पट्टे पर दे देनी चाहिये । केवल

[श्री एन० आर० एम० स्वामी]

इस तरीके से अन्न की पैदावार बढ़ाई जा सकेगी।

अच्छी किसम के बीजों से उपज ५ से १० प्रति शत तक बढ़ाई जा सकती है। यदि यह किसानों को निश्शुल्क नहीं दिये जा सकते, तो ऋण के आधार पर देने चाहियें। उन्हें खाद भी अच्छी किसम की देनी चाहिये और सिंचाई की भी अधिक सुविधायें देनी चाहियें।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें अन्न के उचित वितरण के लिये एक योजना बनानी पड़ेगी। इस के बिना देश के करोड़ों लोगों को पर्याप्त अन्न संभरित नहीं किया जा सकता।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन (ज़िला इलाहाबाद—पश्चिम) : श्री उपाध्यक्ष महोदय, मुझे हिन्दी में ही कुछ कहना है और शायद यह वही हिन्दी हो जिसको हमारे दो बंगाली दोस्तों ने "परन्तु हिन्दी" कहा है। मैं ऐसा समझता था कि उन की मादरी ज़बान उन को "परन्तु" गवारा कराती है। लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि "परन्तु" से वह घबराते हैं। मैं चकित हुआ, कि इन दो बंगाली मित्रों के मुख से "परन्तु" पर कैसे आपत्ति हुई, क्योंकि उन की भाषा तो 'परन्तु' से भरी हुई है। परन्तु अब मैं अपने विषय पर कुछ कहूंगा।

भोजन की सामग्री का मसला दो तरह से देखा जा सकता है। पहले तो हमारा ध्यान इस बात पर जाना है कि जितनी सामग्री हमारे देश में है, जितनी हमारे देश में उपज होती है, वह किस तरह से बढ़े। उस उपज का बढ़ाना हमारा पहला कर्त्तव्य है। इस विषय के ऊपर कि वह कैसे बढ़ाई जाये, गवर्नमेंट का भी ध्यान है। यह बात स्पष्ट है कि यह जो बड़ी बड़ी योजनायें हैं जिन पर कि करोड़ों रुपये लगने वाले हैं, यह सब इसी विचार से हैं। हां उन योजनाओं में जो पैसा खर्च होगा वह ठीक ही खर्च होगा, उस पैसे का सब से अधिक उपयोग होगा, इस में अवश्य मतभेद हो सकता है, मेरा कुछ अनुभव यह है कि गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी लम्बी चौड़ी योजनायें होती हैं, उन में रुपया बरबाद बहुत हुआ करता है, विशेषकर यह जो इंजीनियरिंग का विभाग है, इसके द्वारा जो बड़े बड़े काम उठाये जाते हैं वे ठेकेदारों के द्वारा होते हैं, इन में ठेकेदारों के और सरकारी नौकरों के बीच में रुपया खाया बहुत जाता है। यह कहते हुए मुझे खेद होता है। यही बात जो मिनिस्टर लोग बैठे हुए हैं उन से मैं पूछता हूं कि क्या उन में साहस है, क्या उन में यह हिम्मत है कि वह यह कह सकें कि ऐसा नहीं है।

बाबू रामनारायण सिंह : नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन: आप मिनिस्टरों की पंक्ति में नहीं हैं। मेरा तो कहना अपने माननीय मंत्रियों से है। अगर उन्होंने जीवन में घुस कर के कुछ जनता का और सरकारी कार्यकर्त्ताओं का अनुभव किया है तो उन को यह मानना होगा कि इस रुपये में से बहुत अधिक बरबाद होता है। मैं उन योजनाओं का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जब हमारे पास रुपये की कमी है, बंधा हुआ रुपया है, तो उस रुपये से हम अधिक से अधिक काम कर सकें, इस पर हमारा पहला ध्यान होना चाहिये। हमारे पैसे की अधिक से अधिक उपयोगिता हो यह हमारा पहला कर्त्तव्य है। इस लिये मुझ को ऐसा लगता है कि अधिक से अधिक उपयोगिता इस बात में होगी कि हम छोटी छोटी योजनायें उठायें, किसान के पास जायें, और किसान को उस के काम में सहूलियत दें, इस समय मेरे लिये ब्योरे में जाना संभव नहीं है। एक उदाहरण लेता हूं।

यह बात ठीक है कि किसान को पानी चाहिये। पानी के लिये नहरों का आना

आवश्यक बताया जाता है। लेकिन नहरों में तो करोड़ों रुपये लगेंगे और समय लगेगा। मुझ को ऐसा लगता है कि अगर हम गांव को नये ढंग से बसाने की बात सोचें और उन को कुओं और तालाबों की अधिक से अधिक सुविधा दें तो उस में इतना रुपया बरबाद नहीं होगा और हम को परिणाम भी जल्दी मिलेगा। एक नया भारत बसाना आप का और हम सब का कर्त्तव्य है। नयी सृष्टि, सुन्दर सृष्टि हम करें, इस में हम सब एकमत हैं। कैसे हो, यह विचार करने की बात है। आज जो गांव हमारे देश में बसे हैं, वह अक्सर गन्दे ह घर वहां किसी काम के नहीं हैं और वहां उचित सुविधायें नहीं हैं। मैं यह सुझाव देता हूं--वैसे मैं ने निजी तौर पर पहले दिया भी है--कि हमें एक नये ढंग से गांव बसाने चाहियें। मैं जो सुझाव देता हूं उसे पूरा करना बहुत सम्भव है और उस में जो रुपया लगाया जायगा उसका हमें तुरन्त परिणाम मिल सकता है। हम अपनी आंखों के सामने उस का नतीजा देख सकते हैं, हम सुन्दर गांव बसते हुए देख सकते हैं। हम उपज जो बढ़ाना चाहते हैं इसके लिये हमारा यह ध्यान होना चाहिये कि एक एक पुरुष और एक एक स्त्री जितना परिश्रम वे कर सकते हैं उन को परिश्रम करने का अवसर हम दें। आज घर के दो एक प्राणी खेती पर चले जाते हैं, स्त्रियां घर में रहती हैं, उन का खेती के काम में कहीं कहीं तो उपयोग होता है, लेकिन अधिक नहीं। मैं जो अपने माननीय मंत्रियों को सुझाव देता हूं इस में जो बेज़मीन के लोग हैं, जो भूमिहीन हैं, उन का भी मसला पूरी हद तक तो नहीं लेकिन कुछ हद तक तो हल होगा। मेरा सुझाव है कि हमारे जो गांव बसाये जायें उन में हर घर में रहने के लिये लगभग आधा एकड़ या एक बीघा ज़मीन आप दें। यह एक नयी सी बात सुन कर लोगों को शायद ताज्जुब हो। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई वहां घर न बनाने पाये जब तक कि उस में आधा एकड़ ज़मीन न हो।

श्री **किदवई** : कहते हैं कि नीलोखेरी में ऐसा ही किया गया है।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन : आधे एकड़ से कम ज़मीन में जो एक बीघा के क़रीब होती है, कोई घर न बनने पाये। देखिये इस का क्या परिणाम होता है। आप को कोई सेनिटेशन का मसला नहीं उठाना पड़ेगा। बीच में सड़क होगी। सामने सामने घरों की पंक्तियां होंगी। हर एक के पास आधा आधा एकड़ ज़मीन है उस में सुन्दर वृक्ष लगेंगे। उस में तरकारी हो सकेगी। उस में कोई जुलाहा या कोई लुहार रहता है तो उसको अवसर होगा कि फैला कर अपना काम करे। वहां गाय भैंस बांधने की जगह है, खाद जितनी होगी वह उस भूमि के अन्दर चली जायेगी।

उपाध्यक्ष जी, इस खाद की चर्चा करते हुए मेरा ध्यान इस बात पर जाता है कि हम बात तो करते हैं अधिक उपज करने की लेकिन सब से अधिक उपज करने की जो शक्ति खाद है उस खाद का नाश मेरे विचार में हमारे देश के बराबर और कहीं नहीं है। हमारे इधर के एक सदस्य ने गोबर के विषय में विचार रखा है। लेकिन मैं चर्चा करता हूं (यदि मैं एक नया शब्द गढ़ दूं) 'नरबर' की, अर्थात् मनुष्य के मल मूत्र की। यह मनुष्य का मल मूत्र गोबर से कहीं अधिक शक्तिवान खाद है, उस की आप क्या रक्षा करते हैं? यह एक नया सा शब्द मैं ने बना दिया है। मनुष्य के मल 'नरबर' की आप इज्ज़त नहीं करते। किन्तु यह बड़ी शक्तिवान चीज़ है। इस से अच्छी अधिक खाद संसार में नहीं है। आज इस को संसार समझ रहा है। यह जो फ़र्टीलाइज़र हैं, सिन्दरी आदि में उत्पन्न हुआ के सम्बन्ध में आज अमेरिका

(श्री पुरुषोत्तमदास टंडन)

के लोग भी समझ रहे हैं कि उस से क्षणिक शक्ति तो आ जाती है लेकिन अन्ततोगत्वा वह भूमि की शक्ति का नाश करने वाली वस्तु होती है ।

डाक्टर लोग जानते हैं कि कुछ दवायें अंग्रेज़ी भाषा में Aphrodisiacs कहलाती हैं जो इन्द्रियों को बल देने के लिये खाई जाती हैं, उनसे शक्ति नहीं बढ़ती, परन्तु उन के प्रयोग से क्षणिक तौर पर इन्द्रियों को बल मिलता है । ऐसे ही वह फ़र्टेलाइज़र क्षणिक तौर पर एक शक्ति दे देते हैं, परन्तु कुछ समय में यह भूमि को नपंसुक बना देती हैं। इस लिये मैं तो यह सुझाव देता हूं कि यदि यह आधा एकड़ ज़मीन हर कुटुम्ब को हम देने की योजना करे तो उस कुटुम्ब का मल मूत्र वहीं भूमि के भीतर रह जायेगा और उपज बढ़ायेगा। आज उस मल मूत्र के अधिकांश का नाश होता है और वह उपयोग में नहीं आता। अस्तु, अब मैं इस विषय में अधिक न कह कर इस को यहीं छोड़ता हूं ।

एक बात जिस की बहुत चर्चा होती है यह है कि बड़े बड़े फ़ार्म बनाये जायें। उपाध्यक्ष जी, हम लोग देहात के लोगों को मूढ़ाग्रही कहते हैं और उन के सुपरस्टीशन्स (superstitions) की हंसी उड़ाते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के सुपरस्टीशन्स अधिक निन्दनीय और हानिकारक होते हैं। उन में आज एक यह सुपर-स्टीशन अथवा मूढ़ाग्रह और अन्धविश्वास फैला हुआ है कि बड़े फ़ार्मों में अधिक पैदा होगा। एक भाई ने अभी बताया और मैं भी आप से कहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है । आप गज़ ले कर भूमि नाप लीजिये, और खेती कर के देख लीजिय कोई आप बड़ा फ़ार्म बना कर उस में से अधिक उपज निकालेंगे बनिस्बत एक छोटे फार्म के ऐसी कोई बात नहीं है, पैदावार तो इस पर निर्भर करती है कि आप भूमि में आवश्यक जल कितना देते हैं और खाद कितनी देते हैं। जो खेतिहर इन बातों का ध्यान रखते है वह अपनी भूमि में बहत अच्छी पैदावार करते हैं आज जो हम को यह सुझाव दिया जा रहा है कि हम बड़े बड़े फार्म बनायें यह अच्छी उपज के लिये कोई आवश्यक साधन नहीं है ।

अब मैं दूसरी बात पर आजाता हूं क्योंकि मैं घड़ी की सूई को देख रहा हूं कि वह तेजी से बढ़ रही है। मैं आपसे अन्न वितरण के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। उपज पहली चीज़ है जिस की ओर हमें ध्यान देना है और फिर उस का वितरण (बटवारा) कैसे हो, उसका हमें ठीक प्रबन्ध करना है, उस के बटवारे के बारें में हमने कुछ विलायती तरीकों को अपनाया है और कंट्रोल के क्रम को अपनाने का निश्चय किया हैं। यह कंट्रोल का क्रम ऐसा है कि जिस का एक दम तो हम बहिष्कार नहीं कर सकते क्योंकि कुछ न कुछ कंट्रोल और नियमनतो हमें समाज में करना ही पड़ता है, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिये कि नियन्त्रण अथवा नियमन से हमें लाभ है अथवा हानि है। यह जो नियमन हमारे देश में हुआ है, उस से क्या आप की लाभ हुआ है ? आप ने वस्तुओं के सीलिंग प्राइस (अधिकतम मूल्य) नियत किये, लेकिन मैं पूछता हूं कि कितने मिनिस्टर्स और दूसरे लोग हैं जो ईमानदारी से कह सकते हैं कि उन्होंने इस नियन्त्रण का पालन किया है । उन के घरों में सीलिंग प्राइस के बावजूद ज्यादा दाम पर चीज़ें मंगाई जाती रही हैं। मैं मिसाल देता हूं, चने को ही ले लीजिये, १२ रुपये मन चने की सीलिंग प्राइस गवर्नमेंट ने बांधी जो थोड़े दिन पहले तक तो थी ही और शायद आज भी वही १२ रुपये मन चने का दाम गवर्नमेंट की तरफ़ से बंधा है ।

श्री किदवई : अब कोई सीलिंग नहीं है ।

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन : आप ने हाल में हटा दी होगी, लेकिन एक महीने पहले तक की बात मैं आप को बतलाता हूं । चने की सीलिंग प्राइस १२ रुपये मन थी । अब शायद महीने भर के अन्दर आप ने इस को हटा दिया होगा । दिल्ली में सीलिंग प्राइस १२ रुपये मन थी, लेकिन लोग चना १९ रुपये, २१ और २२ रुपये के भाव से खरीदते थे । इस बारे में एक मंत्री महोदय से चर्चा आई, मुझे उन का नाम लेने की ज़रूरत नहीं । उन्होंने बतलाया कि मैं भी तो इसी भाव पर खरीदता हूं, यह आप के सेन्टर के एक मंत्री की बात कहता हूं । मेरे एक मित्र लड़कों को पढ़ाने की एक संस्था इंस्टीट्यूशन के चलाने वाले हैं । वहां लगभग १५० लड़के रहते हैं । उन्होंने एक मंत्री महोदय से कहा कि देखिये यह जो छः छटांक का राशन लड़कों को मिलता है उस में उन का गुज़ारा नहीं होता और एक लड़के के खाने का औसत करीब ९ छटांक पड़ता है, उस राशन को सप्लीमेंट या पूरा करने के लिये हमें चना खरीदना पड़ता है और वह हमें २२ रुपये और २१ रुपये के भाव से मिलता है जब कि उस की सीलिंग प्राइस गवर्नमेंट ने १२ रुपये बांधी है । इस के लिये कोई रास्ता अथवा हल निकालिये, क्या हम चने की जगह मूंग अथवा उड़द की दाल लड़कों को देने के लिये खरीदें ? उस का वह मंत्री महोदय जवाब देते हैं कि यह सब ऐसे ही चलता है, तुम क्यों घबराते हो, हम भी तो इसी भाव पर खरीदते हैं ? मेरा कहना यह है कि क्या यह अनतिकता समाज में ऊपर से फैलाई जा रही है या गवर्नमेंट की तरफ़ से फैलाई जा रही है ?

चूं कुफ्र अज काबा बरखेज़द
कुजा मानद मुसलमानी ।

मैं नहीं कह सकता कि इस भाषा को मेरे "परन्तु हिन्दी" न समझने वाले भाई समझ सके होंगे । यह कुछ अनैतिकता, सरकारी आदमियों के घर में चले, तब फिर जनता का क्या ठिकाना ?

बाबु रामनारायण सिंह : बहुत ठीक ।

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन : इस अनैतिकता को बढ़ाने में गवर्नमेंट का हाथ रहा है । मैं अपने अनुभव से आप को कहता हूं मेरा जनता से गहरा सम्पर्क रहा है, मैं जन-पुरुष हूं, मुझे यह दिखलाई पड़ता है कि इन पिछले चार पांच वर्षों में इस देश में और इस समाज में अनैतिकता बहुत बढ़ गई है और आज हमारे लिये यह कहना कि कौन पुरुष नैतिक रीति से जीवन व्यतीत करता है कठिन हो गया है । कितने आदमी ऐसे होंगे जो इन नियन्त्रणों के रहते हुए अनैतिकता से बच पाये हैं । इन चार पांच वर्षों में अनैतिकता जो फैली है उस में ५० फ़ी सदी अंश गवर्नमेंट के सप्लाई और फ़ूड विभाग का रहा है । चाहे वह सेन्टर के हों, अथवा राज्यों के । उन सभी ने मिल कर इस अनैतिकता को फैलाया है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: स्टेट्स खुद ब्लैक मार्केटिंग करती रहती हैं ।

श्री पुरुषोत्तमदास टडन : बेईमानी आफ़िशियल यानी सरकारी नौकरों में बड़ी है । मुझे इलाहाबाद ज़िले की एक बात मालूम हुई एक कांग्रेस कार्यकर्त्ता ने जो बिल्कुल विश्वसनीय है, बताया कि एक इंस्पैक्टर की जिस की तनख़्वाह १०० या १२५ रुपये के लगभग है, एक छोटी सी मंडी में लगभग १०० रुपये रोज़ाना की आमदनी है । जितना माल उस मंडी में जाता है, उस पर आठ आने प्रति बोरा वह वसूल करता है । फिर इस कंट्रोल और नियंत्रण का यह परिणाम हुआ कि चारों ओर नैतिक स्तर गिर गया है ।

(श्री पुरूषोत्तमदास टंडन)

मैं अपने भाइयों से जो कंट्रोल के पक्ष में हैं पूछता हूं कि क्या इस अवस्था के ऊपर आप का ध्यान नहीं जाता। हो सकता है कि कन्ट्रोल हटाने से कुछ थोड़े से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़े। लेकिन उस के साथ ही आप इस अनैतिकता को जो फैली हुई है देखें। मैं अपने भाई श्री रफ़ी अहमद किदवई को इस पर बधाई देता हूं कि उन्होंने इस मसले के ऊपर ध्यान दिया है और मैं आशा करता हूं कि आगे को यह चीज़ ख़त्म हो जायेगी। मैंने तो एक जगह कहा था कि यह तो अनैतिकता की जड़ है और इस की जितनी जल्दी समाप्ति हो सके की जाये। इस के हटाने पर ही मैं अपने देश में भलाई की आशा करूंगा। कुछ लोग इस के पक्ष में कहते हैं कि इस से एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन (समान वितरण) होता है, लेकिन ऐसा है नहीं, आप मज़दूरों से पूछिये जिन को ६ छंटाक खाने के लिये मिलता है, जो उनके लिये बिल्कुल ना काफ़ी होता है। उन को अपना पेट भरने के लिये ब्लैक मार्केट से अनाज ख़रीदना पड़ता है। यहां आप की दिल्ली में अनाज ब्लैक मार्केट में मिलता है। लखनऊ शहर के कुछ बाहर एक जगह है जहां, मुझे मालूम है, लोग जाते हैं और वहां से अनाज ख़रीद कर शहर में ले आते हैं, हर वक्त कोई जांच पड़ताल नहीं करता। यह बात बिल्कुल ग़लत है कि कंट्रोल से अन्न का उचित बटवारा होता है। हम ने इस देश में कंट्रोल का प्रयोग, ऐक्स-पैरीमेंट किया। वह प्रयोग यहां असफल साबित हुआ। अब इस कंट्रोल के प्रयोग को समाप्त करने में ही हमारी बुद्धिमानी है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कल उत्तर देंगे।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार १ जुलाई, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।